परिशिष्टों की सूची

		पृष्ठ क्र.
अध्याय – 1	**प्रस्तावना**	
परिशिष्ट 1.1	राज्य की जिलावार स्थिति, भौगोलिक क्षेत्रफल, जनसंख्या, लिंग अनुपात एवं साक्षरता	302
परिशिष्ट 1.2	द्वितीय राज्य वित्त आयोग के गठन की अधिसूचना	303
परिशिष्ट 1.3	प्रथम राज्य वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि में वृद्धि की अधिसूचना एवं द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि में परिवर्तन की अधिसूचना	304
परिशिष्ट 1.4	द्वितीय राज्य वित्त आयोग के कार्यकाल में वृद्धि की अधिसूचना	306
परिशिष्ट 1.5	राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारी जिनके साथ आयोग द्वारा चर्चा की गई	307
परिशिष्ट 1.6	स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा सूक्ष्म अध्ययन हेतु चयनित पंचायती राज संस्थाओं की सूची	308
परिशिष्ट 1.7	संभाग स्तरीय बैठकों में उपस्थिति	309
परिशिष्ट 1.8	व्यक्तियों एवं समूहों से सुझाव प्राप्त करने हेतु समाचार पत्रों में आयोग का विज्ञापन	311
परिशिष्ट 1.9	उद्योगों के प्रतिनिधियों की सूची जिनसे आयोग द्वारा चर्चा की गई	312
परिशिष्ट 1.10	पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों पर आयोजित संगोष्ठी में उपस्थिति	312
परिशिष्ट 1.11	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा आयोग को प्रस्तुत ज्ञापन/सुझाव	313
परिशिष्ट 1.12	आयोग द्वारा वर्ष 2012–13 के लिये प्रस्तुत अंतरिम प्रतिवेदन	322
अध्याय –5	**छत्तीसगढ़ में पंचायती राज**	
परिशिष्ट 5.1	छत्तीसगढ़ राज्य की जिलेवार जनसंख्या एवं पंचायतों की स्थिति	335
अध्याय –6	**पंचायत : कृत्यों का अंतरण**	
परिशिष्ट 6.1	पंचायत एक्टीविटी मैपिंग	336
परिशिष्ट 6.2	पंचायतो को सौपे गये कृत्यों के क्रियान्वयन के लिये विभिन्न विभागों द्वारा प्रावधानित राशि	347

		पृष्ठ क्र.
अध्याय – 7	**पंचायतों के वित्तीय संसाधन : आंतरिक संसाधनों का दोहन**	
परिशिष्ट 7.1	सेम्पल ग्राम पंचायतों की कुल प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश (प्रतिशत)– वार्षिक औसत 2006–07 से 2010–11	349
परिशिष्ट 7.2	सेम्पल ग्राम पंचायतों की कुल प्राप्तियों में कर भिन्न राजस्व का अंश (प्रतिशत)– वार्षिक औसत 2006–07 से 2010–11	351
परिशिष्ट 7.3	सेम्पल ग्राम पंचायतों की प्रति व्यक्ति औसत प्राप्तियां, व्यय एवं आंतरिक स्त्रोंतो से आय – वार्षिक औसत 2006–07 से 2010–11	352
परिशिष्ट 7.4	ग्राम पंचायत आंतरिक संसाधनों में घटकों का कुल कर राजस्व, कुल आंतरिक संसाधन, कुल प्राप्तियों में अशंदान तथा ग्राम पंचायत की प्रति व्यक्ति आय	353
परिशिष्ट 7.5	सेम्पल ग्राम पंचायत की कुल प्राप्तियों के मुख्य घटक का अंशदान– वार्षिक औसत 2006–07 से 2010–11	354
परिशिष्ट 7.6	राज्य की 9734 पंचायतों की कुल प्राप्तियों के घटक– प्रक्षेपित आधार पर	355
परिशिष्ट 7.7	सेम्पल जनपद पंचायतों की आंतरिक संसाधनों से प्राप्तियां – वार्षिक औसत 2006–07 से 2010–11	356
परिशिष्ट 7.8	राज्य की सभी ग्राम पंचायतों की अनिवार्य करों से प्राप्तियों का प्रक्षेपण	357
अध्याय –8	**पंचायतों को राजस्व का हस्तांतरण**	
परिशिष्ट 8.1	पंचायती राज संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित कुछ केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान – वर्ष 2008–09 से 2010–11	358
अध्याय – 9	**पंचायतों का व्यय**	
परिशिष्ट 9.1	सेम्पल ग्राम पंचायतों के कुल व्यय के घटक– वार्षिक औसत 2006–07 से 2010–11	359
परिशिष्ट 9.2	सेम्पल ग्राम पंचायतों द्वारा मूलभूत नागरिक सुविधाओं के प्रदाय पर व्यय के घटक – वार्षिक औसत 2006–07 से 2010–11	360
परिशिष्ट 9.3	सेम्पल ग्राम पंचायतों का कुल व्यय एवं प्रति व्यक्ति व्यय : वार्षिक औसत वर्ष 2006–07 से 2010–11	361
परिशिष्ट 9.4	पंचायती राज संस्थाओं के कुल व्यय के संघटक– वर्ष, 2008–09 से 2010–11	362

		पृष्ठ क्र.
परिशिष्ट 9.5	पंचायती राज संस्थाओं की कुल प्राप्ति एवं व्यय : वार्षिक औसत वर्ष 2008–09 से 2010–11	363
अध्याय –11	**छत्तीसगढ़ में शहरीकरण**	
परिशिष्ट 11.1	स्थानीय नगरीय निकायों की जिलेवार संख्या	364
अध्याय –12	**नगरीय प्रशासन व्यवस्था**	
परिशिष्ट 12.1	12वीं अनुसूची में वर्णित कार्य जो नगर पालिक अधिनियम के अंतर्गत नगरीय निकायो को सौंपे गये	365
परिशिष्ट 12.2	12वीं अनुसूची में वर्णित नगरीय निकायो को सौंपे गये कार्यो के संबम्ध में कियान्वयन की स्थिति	366
अध्याय – 13	**अधोसंरचना एवं सेवा प्रदाय**	
परिशिष्ट 13.1	नगरीय निकायों के लिये सेवा प्रदाय मानक स्तर	367
परिशिष्ट 13.2	कार्य दक्षता के स्तर पर नगरीय निकायों की संख्या	368
परिशिष्ट 13.3	नगरीय निकायों में अधोसंरचना निर्माण एवं परिचालन में प्रति व्यक्ति निवेश राशि	369
अध्याय – 14	**नगरीय निकायों की वित्त व्यवस्था**	
परिशिष्ट 14.1	नगरीय निकायों के ऋणों की स्थिति	370
अध्याय – 15	**वित्तीय आवश्यकता और राज्य शासन से अंतरण**	
परिशिष्ट 15.1	नगरीय निकायों में चरणबद्ध निवेश की आवश्यकता	371

परिशिष्ट 1.1

राज्य की जिलावार स्थिति, भौगोलिक क्षेत्रफल, जनसंख्या, लिंग अनुपात एवं साक्षरता

क्र.	जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	जनसंख्या	लिंग अनुपात (प्रति 1000 पुरूषों पर स्त्रियों की संख्या)	साक्षरता दर
1	रायपुर	6965.36	2159880	961	81.42
2	दूर्ग	3069.1	1721726	966	83.16
3	बिलासपुर	6929.43	1960466	971	73.68
4	राजनांदगांव	8022.52	1537520	1017	76.97
5	धमतरी	4081.93	799199	1012	78.95
6	कबीरधाम	4447.05	822239	997	61.95
7	बस्तर	6418.05	833318	1018	51.05
8	कांकेर	6432.68	748593	1007	70.97
9	जांजगीर चांपा	4466.74	1620632	986	73.70
10	कोरबा	7145.44	1206563	971	73.22
11	रायगढ़	6527.74	1493627	993	73.70
12	जशपुर	6457.41	852043	1004	68.60
13	सरगुजा	9441.56	842085	977	61.80
14	कोरिया	5977.7	659039	971	71.41
15	बिजापुर	6552.96	255180	982	41.58
16	नारायणपुर	6922.68	140206	998	49.59
17	बलरामपुर	3803.08	730275	971	59.20
18	सुरजपुर	2789.76	788969	979	62.26
19	महासमुंद	4963.01	1032275	1018	71.54
20	दंतेवाड़ा	5710.99	282803	1025	49.11
21	बलोदाबाजार	3593.86	1304881	1004	71.50
22	गरियाबंद	2887.06	597399	1018	69.03
23	बालोद	2777.89	826019	1023	80.86
24	बेमेतरा	2854.81	795334	1001	70.59
25	कोंडागांव	3684.83	578326	1034	61.31
26	सुकमा	3335.3	249988	1018	35.43
27	मुंगेली	1639.42	701611	976	65.56
	कुल	**137898.36**	**25540196**	**991**	**71.04**

परिशिष्ट 1.2

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय-रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 23/07/2011

क्रमांक1086/एल 8-9/2011/वित्त/बजट-4-भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-झ के खण्ड(1) के साथ पठित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्रमांक 3 सन् 1994)एवं यथा संशोधित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2003 (क्रमांक 9 सन् 2003) की धारा 3 के उपबंधों के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं, जिसमें श्री अजय चंद्राकर, अध्यक्ष तथा डॉ. अंशोक कुमार पारख, सदस्य होंगे ।

2. आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य जिस तारीख पर अपने-अपने पद ग्रहण करते हैं, उस तारीख से 31 जुलाई, 2012 तक पद धारण करेंगे ।

3. निर्देश पद (टी0आ0आर0) के संबध में पृथक से अधिसूचना जारी की जावेगी।

4. आयोग, पैरा 3 में संदर्भित अधिसूचना में अंकित प्रत्येक विषय पर, 01 अप्रैल 2011 से प्रारंभ होने वाली 5(पांच) वर्ष की कालावधि के लिए अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई 2012 तक या उसके पूर्व उपलब्ध करायेगा । आयोग यह भी बतायेगा कि किस आधार पर उसने निष्कर्ष निकाले है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(अजय सिंह)
प्रमुख सचिव
वित्त विभाग

क्रमांक1087/एल 8-9/2011/वित्त/बजट-4-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इसकी अधिसूचना क्रमांक1086 दिनांक23/7/11 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

23/7/11

(अजय सिंह)
प्रमुख सचिव
वित्त विभाग

परिशिष्ट 1.3(1/2)

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय

//अधिसूचना//

संशोधन

रायपुर, दिनांक 15 जून, 2012.

क्रमांक 3398 /680/2012/स्था./चार:: राज्य शासन, एतद् द्वारा, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 286/ब-4/चार/2003, दिनांक 22.08.2003 की कण्डिका क्रमांक-4 में उल्लेखित 1 अप्रैल, 2005 से आरंभ होने वाली पाँच वर्ष की कालावधि को दिनांक 31.03.2012 तक विस्तारित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(सी.जे.खत्री) 15/6/12
संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

परिशिष्ट **1.3(2/2)**

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय

//अधिसूचना//

संशोधन

रायपुर, दिनांक 15 जून, 2012.

क्रमांक 1000/680/2012/स्था./चार:: राज्य शासन, एतद् द्वारा, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1086/एल-8-9/2011/वित्त/बजट-4 दिनांक 23.07.2011 की कण्डिका क्रमांक-4 की प्रथम पंक्ति में अंकित "1 अप्रैल, 2011" के स्थान पर "1 अप्रैल 2012" प्रतिस्थापित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
(सी.जे.खत्री) 15/6/12
संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

परिशिष्ट 1.4

छत्तीसगढ़ शासन,
वित्त विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

//अधिसूचना//

रायपुर, दिनांक 03 अगस्त, 2012.

क्रमांक 1238/680/2012/स्था./चार:: इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1086/एल 8–9/ 2011/वित्त/बजट–4, दिनांक 23.07.2011 के अनुसरण में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद् द्वारा, राज्य वित्त आयोग के कार्यकाल में दिनांक 01.08.2012 से 31.03.2013 तक वृद्धि करते हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
(सी. खत्री) 03/8/12
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

परिशिष्ट 1.5

राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारी जिनके साथ आयोग द्वारा चर्चा की गई

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
2. सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
3. संचालक, पंचायत
4. संचालक, राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

1. प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
2. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

वित्त विभाग

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग
2. आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा
3. उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा
4. सयुक्त संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा

अन्य विभाग

1. प्रमुख सचिव, वन विभाग
2. सचिव, राजस्व विभाग
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, खनिज संसाधन विभाग

परिशिष्ट 1.6

स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा सूक्ष्म अध्ययन हेतु चयनित पंचायती राज संस्थाओं की सूची

समर्थन

जिला	ग्राम पंचायत
राजनांदगांव (8)	अर्जुनी
	अमलीडीह
	कु भाटागांव
	खेमरा
	मानपुर
	शिवनी
	भर्रीटोला
	आत्रा
महासंमुद (8)	सीनोधा
	बिरकोनी
	झलप
	नांदगांव
	खुठेरी
	गौपालपुर
	कंचनपुर
	भत्तरीडीह
सरगुजा (8)	डोरपुर
	आसांदी
	केरा
	गागोली
	पोड़ी
	लहपत्रा
	कुंनी
	कंवरपुर
बस्तर (8)	दर्भा
	चन्द्रगीरी
	बड़ेकर्मा
	नेगानार
	करमारी
	कुगरपाल
	मूदगांव
	सोनरापाल
कुल– 32 ग्राम पंचायत	

प्रदान

जिला	ग्राम पंचायत
बिलासपुर(8)	लालाती
	टिकरखुर्द
	धनौवली
	भैंसाझांर
	सेमरा
	मिटूनावागांव
	झांवर
	खरगहना
धमतरी (8)	अरौद
	सिंगपुर
	मूडपार
	केरेगांव
	चन्नागांव
	जी जामगांव
	हर्दी
	गट्टासिल्ली
कांकेर (8)	मसुलपानी
	भनसूली
	आरमदूल
	आरर्वी
	कोडे
	लोहातरा
	संभलपुर
	भुलावन
रायगढ़ (8)	बारलिया
	खण्डगांव
	अरबा
	भेडीमुढ़ा
	चरकापारा
	गोपाल पुर
	खेदमा
	डोरभाता
कुल– 32 ग्राम पंचायत	

परिशिष्ट 1.7

संभाग स्तरीय बैठकों में उपस्थिति की सूची

15.05.2012 रायपुर संभाग

पंचायत अधिकारी	पंचायत के निर्वाचित जन प्रतिनिधि
कलेक्टर– रायपुर	अध्यक्ष,जनपद पंचायत–4
मु.का.पा.अ., जिला पंचायत रायपुर,महासंमुद	संदस्य,जिला पंचायत–10
मु.का.पा.अ., जनपद पंचायत– 23	संरपच–27

16.05.2012 जिला बेमेतरा

पंचायत अधिकारी	पंचायत के निर्वाचित जन प्रतिनिधि
उप संचालक पंचायत, जिला बेमेतरा	अध्यक्ष,जनपद पंचायत–1
मु.का.पा.अ.,जनपद पंचायत– 6	संदस्य, जिला पंचायत–4
	पंचायत सचिव–5
	संरपच–6

17.05.2012 दुर्ग संभाग

पंचायत अधिकारी	पंचायत के निर्वाचित जन प्रतिनिधि
उप संचालक पंचायत, जिला बालोद	अध्यक्ष,जनपद पंचायत–8
मु.का.पा.अ., जनपद पंचायत– 18	संरपच–27

22.05.2012 बिलासपुर संभाग

पंचायत अधिकारी	पंचायत के निर्वाचित जन प्रतिनिधि
मु.का.पा.अ. जिला पंचायत जांजगीर–चांपा, कोरबा	अध्यक्ष,जनपद पंचायत–1
मु.का.पा.अ. जनपद पंचायत– 24	संदस्य जिला पंचायत–13
	संरपच–8

24.05.2012 सरगुजा संभाग

पंचायत अधिकारी

उप संचालक पंचायत, जिला सरगुजा
सहायक संचालक, पंचायत
मु.का.पा.अ. जनपद पंचायत– 21
पंचायत सचिव–45

नगरीय विभाग के अधिकारी

आयुक्त, नगर निगम,अंबिकापुर
संयुक्त संचालक शहरी निकाय, सरगुजा
मुख्य नगर पालिका अधिकारी –16
सहायक अभिंयता–1

नगरीय निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधि

अध्यक्ष–नगरीय निकाय, खरसिया और जांजगीर–नैला
सभापति–नगर पालिका
अध्यक्ष –नगर पंचायत –18
एल्डरमेन–नगर पंचायत,सरिया

02.06.2012 बिलासपुर संभाग

नगरीय विभाग के अधिकारी

कलेक्टर –बिलासपुर
आयुक्त–नगरीय निकाय, बिलासपुर
सयुक्त संचालक, नगरीय विभाग, बिलासपुर
मुख्य नगर पालिका अधिकारी –30

07.06.2012 बस्तर संभाग

पंचायत अधिकारी और निर्वाचित जनप्रतिनिधि

अध्यक्ष–जिला पंचायत, जगदलपुर
सदस्य–जिला पंचायत –29
अध्यक्ष –जनपद पंचायत–12
सरपंच–22

नगरीय विभाग. अधिकारी और निर्वाचित जन प्रतिनिधि

आयुक्त, नगर निगम जगदलपुर
अध्यक्ष–नगर निगम–8
उपाध्यक्ष – नगरीय निकाय
सयुक्त संचालक नगरीय विभाग, जगदलपुर
मुख्य नगर पालिका अधिकारी –10

15.06.2012 रायपुर संभाग

आयुक्त, नगर पालिका भिलाई और दुर्ग

सयुक्त संचालक नगरीय विभाग, रायपुर
उपसंचालक. नगरीय विभाग, रायपुर
मुख्य नगर पालिका अधिकारी –36

नगरीय निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधि

महापौर, नगर निगम–रायपुर
अध्यक्ष –नगर पालिका परिषद/नगर निगम

09.07.2012 सरगुजा संभाग

पंचायत निर्वाचित जनप्रतिनिधि

अध्यक्ष–जिला पंचायत, सरगुजा
अध्यक्ष–जनपद पंचायत–16
सदस्य–जिला पंचायत –23
सरपंच–25
उप संचालक पंचायत, जिला– सूरजपुर
मु.न. पालिका अधिकारी, जनपद पंचायत –3

नगरीय निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधि

महापौर नगर निगम–अंबिकापुर
सभापति–3
अध्यक्ष–नगर पंचायत–12
उपाध्यक्ष –नगर निगम

परिशिष्ट **1.8**

छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग

सी-52, शैलेन्द्र नगर, रायपुर-492001

सार्वजनिक सूचना

संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप छत्तीसगढ़ में द्वितीय राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है. भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-झ तथा 243-म के अनुसार राज्य वित्त आयोग, राज्य की पंचायतों तथा नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा तथा राज्यपाल को निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनुशंसा देगा-

(एक) राज्य द्वारा उद्ग्रहणीय करों, शुल्कों, पथकरों तथा फीसों के शुद्ध आगमों के राज्य तथा पंचायतों और नगरपालिकाओं के बीच वितरण जो संविधान के अधीन उनके बीच विभाजित किए जा सकें तथा समस्त स्तरों पर ऐसे आगमों के उनके अपने-अपने अंशों का उक्त निकायों के बीच आवंटन.

(दो) करों, शुल्कों, पथकरों तथा फीसों का निर्धारण जो पंचायतों और नगर पालिकाओं का समनुदेशित या विनियोजित की जा सकेंगी.

(तीन) राज्य की संचित निधि में से पंचायतों और नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान.

(चार) पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के आवश्यक उपायों सहित उपलब्ध संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करने हेतु एवं लागतों की वसूली (प्रयोक्ता-प्रभारों) के लिए आवश्यक उपाय.

अनुशंसायें पांच वर्ष तक लागू रहेंगी. राज्य वित्त आयोग आम जनता, संस्थाओं, संगठनों, विशेषज्ञों, बुद्धिजीवियों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों से उपर्युक्त बिन्दुओं पर सुझाव आमंत्रित करता है.

समस्त सुझाव छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग, सी-52, शैलेन्द्र नगर, रायपुर के पते पर डाक/व्यक्तिगत रूप से अथवा ई-मेल c.g.state.fin.com@gmail.com द्वारा प्रकाशन तिथि से एक माह के भीतर भेजे जा सकते है.

(आर.एस. विश्वकर्मा)
सचिव

संवाद-49727

परिशिष्ट 1.9

पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों पर आयोजित संगोष्ठी में उपस्थिति

दिनांक .14.06.2012

1. छत्तीसगढ़ फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज
2. उरला औद्योगिक संगठन
3. छत्तीसगढ़ उद्योग महासंघ
4. लघु उद्योग भारती
5. फिक्की
6. पी.एच.डी. चेम्बर ऑफ कामर्स

परिशिष्ट 1.10

पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों पर आयोजित संगोष्ठी में उपस्थिति

पंचायती राज संस्थाओं पर आयोजित संगोष्ठी

दिनांक 4 अगस्त 2012, स्थान– ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा

प्रतिभागी

1. माननीय श्री अजय चंद्राकर, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग, रायपुर
2. डॉ. अशोक कुमार पारख, सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग, रायपुर
3. श्री एस.के. मिश्र, सलाहकार, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग, रायपुर
4. प्रो. व्ही.एन. आलोक, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, दिल्ली
5. प्रो. भागवत पात्रो
6. डॉ. अशोक चौबे, राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान
7. डॉ. अशोक जैसवाल, राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान
8. गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.)– समर्थन और प्रदान

नगरीय निकायों पर आयोजित संगोष्ठी

दिनांक 01 सितम्बर 2012

प्रतिभागी

1. माननीय श्री अजय चंद्राकर, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग, रायपुर
2. डॉ. अशोक कुमार पारख, सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग, रायपुर
3. श्री एस.के. मिश्र, सलाहकार, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग, रायपुर
4. अजय सिंह, प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
5. श्री बी.एन. लोहानी (पूर्व मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश), ए.आई.आई.एल.एस.जी., भोपाल
6. श्री मुकेश माथुर
7. प्रो. रविन्द्र प्रसाद, आस्की, हैदराबाद
8. प्रो. श्रीनिवास चारी, सी.ई.ई.यू.आई., हैदराबाद
9. श्री रोहित यादव, संचालक, नगरीय प्रशासन विभाग
10. नगर निगम से आये कुछ आयुक्त

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय परिसर, रायपुर

क्र./पंचा./पंग्राविवि/2012/826 रायपुर दिनांक 3-9-2012

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़, राज्य वित्त आयोग,
शैलेन्द्र नगर, रायपुर

विषय :- **त्रिस्तरीय पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ बनाने हेतु सुझाव।**

संदर्भ :- **श्री एस.के. मिश्र, सलाहकार का अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 733, दिनांक 12.06.2012.**

—00—

संदर्भित अर्धशासकीय पत्र की कंडिका क्रमांक दो द्वारा

1. त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने एवं
2. ग्रामीण जनता के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने हेतु सुझाव चाहे गये है।

विभाग की ओर से उपरोक्त बिन्दुओं पर सुझाव सह अभिमत संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पंचायतराज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ बनाने हेतु सुझाव

1. शासन को रोड टैक्स, स्टाम्प शुल्क, आबकारी शुल्क, कृषि उपज की बिक्री पर उपकर, वनोपज पर उपकर, गौण खनिज रायल्टी आदि से प्राप्त होने वाली राशि में से एक निश्चित दर से राशि त्रिस्तरीय पंचायतों को दी जाय।
2. पंचायत क्षेत्र में स्थापित उद्योगों से होनी वाली आय का निश्चित प्रतिशत पंचायतों को दिया जावें।
3. 2000 से अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों तथा सभी जनपद पंचायतों को व्यावसायिक काम्पलेक्स निर्माण हेतु राशि उपलब्ध कराई जावें, ताकि भवन किराये के रूप में स्थायी आय का स्त्रोत विकसित हो सके।
4. मछली पालन के लिये दिये जाने वाले तालाबों की प्रारंभिक लीज राशि में वृद्वि की जावे तथा लीज राशि में 10 प्रतिशत वृद्वि (चक्रवृद्वि दर पर) प्रतिवर्ष की जावें। लीज राशि का निर्धारण औसत जल क्षेत्र मछली की उत्पादकता के आधार पर किया जावें।
5. जन समस्या निवारण शिविर, ग्राम संपर्क अभियान, कृषि रथ यात्रा, लोकार्पण, भूमिपूजन आदि नियमित कार्यकमों के लिये व्यय की सीमा निर्धारित कर संबंधित ग्राम/जनपद पंचायत को शासन द्वारा राशि उपलब्ध कराई जावे, ताकि इन कार्यो पर विकास कार्य के लिये प्राप्त राशि के व्यय को रोका जा सके।
6. शासन द्वारा जिस प्रकार नगरीय निकाय, अशासकीय शिक्षण संस्थानों आदि के कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं अन्य प्रशासकीय व्यय हेतु अनुदान राशि दी जाती है, उसी प्रकार त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं अन्य प्रशासकीय व्यय हेतु अनुदान राशि उपलब्ध कराई जावें।
7. त्रिस्तरीय पंचायतों को विभिन्न विभागों के कार्यो का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। संबंधित विभाग के इन कार्य को सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु प्रतिवर्ष निश्चित राशि ग्राम/जनपद एवं जिला पंचायतों को राशि उपलब्ध कराई जावें।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधा उलपब्ध कराने तथा पंचायतों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने हेतु सुझाव

1. राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर त्रिस्तरीय पंचायतों को मिलने वाली राशि दो किस्त (प्रथम किस्त अप्रैल में तथा द्वितीय किस्त अक्टूबर में) अनिवार्यतः प्राप्त हो जावें।
2. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा नल–जल योजना संधारित करने ग्राम पंचायतों को राशि उपलब्ध कराई जाती है। इस राशि का प्रतिवर्ष पुनरीक्षण किया जावें तथा राशि वर्ष में एक बार न देते हुए प्रति त्रैमास दी जावें।
3. पूर्व वर्षो में पंचायत द्वारा बनाये गये भवन, सड़क, नाली, हैण्ड पंप आदि के मरम्मत के लिये प्रतिवर्ष निश्चित राशि उपलब्ध कराई जावें, ताकि इन भवन आदि का आवश्यकतानुसार संधारण होता रहे।
4. पंचायत क्षेत्र के किसी भी विभाग के रू. दस लाख से कम राशि के निर्माण कार्य पंचायतों के माध्यम से तथा रू. पचास लाख से कम राशि के निर्माण कार्य जनपद पंचायतों के माध्यम से कराये जावें।
5. प्रत्येक ग्राम पंचायत को इंटरनेट से जोड़ते हुए कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध कराया जावे। योजना का क्रियान्वयन सामुदायिक विकासखण्डों से प्रारंभ किया जावें।
6. प्रत्येक जनपद पंचायत में कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद (दो–पद) निर्मित किये जावे।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

परिशिष्ट **1.11(2/2)**

छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर

क्रमांक :1022/862/18/2010 रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2012

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग,
रायपुर।

विषय :— **नगरीय निकायों को सुदृढ़ एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए सुझावों को वित्त आयोग के प्रतिवेदन में शामिल किए जाने बाबत् ज्ञापन।**

—000—

राज्य के 168 नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभाग द्वारा तैयार सुझावों को वित्त आयोग के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु ज्ञापन संलग्न प्रेषित है।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।।

17.10.12
(एम.एम. मिंज)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

नगरीय निकायों को सुदृढ़ एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए सुझावों को वित्त आयोग के प्रतिवेदन में शामिल किए जाने बाबत् ज्ञापन ।

———

राज्य में 10 नगर निगम, 32 नगरपालिकाएं एवं 126 नगर पंचायतें अस्तित्व में हैं । इन निकायों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सर्वथा उपयुक्त होगा :–

1. राज्य की संचित निधि में से नगर पालिकाओं की सहायता हेतु अनुदान के आधारों के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्य वित्त आयोग द्वारा अपने प्रतिवेदन में राज्य के स्वयं के शुद्ध राजस्व कर 8.827 प्रतिशत अवधि 2005–06 से 2009–10 तक स्थानीय निकायों के हिस्से में अंतरित करने की अनुशंसा की गई थी । जिसका विभाजन जनसंख्या के आधार पर उनके पारस्परिक अनुपात के आधार पर किये जाने की बात थी । विगत जनगणना में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 79.91 एवं नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 20.09 था, जिसके आधार पर राजस्व अंतरण का प्रतिशत ग्रामीण हेतु 6.62 एवं नगरीय हेतु 1.659 अनुशंसित की गई थी ।

   जिस पर विचारोपरांत राज्य शासन द्वारा शुद्ध राजस्व कर के 6 प्रतिशत स्थानीय निकायों को अंतरित किया जाना मान्य किया गया तथा जनसंख्या के आधार पर 4.79 प्रतिशत ग्रामीण निकायों को तथा 1.21 प्रतिशत शहरी निकायों को अंतरित किया जाना मान्य किया गया है ।

   नगरीय निकायों की संख्या में बढ़ोत्तरी के उपरांत वर्ष 2001 की जनसंख्या के आधार पर नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या 22.70 प्रतिशत हो गई । जिसके आधार पर स्थानीय निकायों को अंतरित किये जाने वाले मान्य 6 प्रतिशत भाग का 1.21 प्रतिशत के स्थान पर 1.36 प्रतिशत भाग नगरीय निकायों को अंतरित किये जाने का प्रस्ताव किया गया था ।

नगरीय जनसंख्या 2011 के अनुसार 23.24 प्रतिशत है साथ ही ग्रामीण तथा नगरीय निकायों की जिम्मेदारी तथा कार्यक्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है । अतः राज्य शासन के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 15 प्रतिशत स्थानीय निकायों के हिस्से में अंतरित होना चाहिए । जिसका विभाजन 2011 की जनसंख्या के आधार पर ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत 76.76 एवं नगरीय जनसंख्या प्रतिशत 23.24 के आधार पर राजस्व अंतरण का प्रतिशत ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 11.514 प्रतिशत नगरीय स्थानीय निकायों के लिए 3.486 प्रतिशत होना चाहिए ।

नगरीय स्थानीय निकायों के बीच आबंटन के मापदण्ड हेतु प्रथम राज्य वित्त आयोग द्वारा मापदण्ड भार प्रतिशत जनसंख्या पर 80 प्रतिशत क्षेत्रफल पर 10 तथा नगरीय स्थानीय निकायों की गंदी बस्ती जनसंख्या पर 10 अनुशंसित किया गया था, जिस पर राज्य शासन द्वारा मापदण्ड निर्धारित करते हुए अंतरण हेतु जनसंख्या पर 70 प्रतिशत क्षेत्रफल पर 10 प्रतिशत गंदी बस्ती पर 10 प्रतिशत तथा राजस्व प्रयास पर 10 प्रतिशत का मापदण्ड भार प्रतिशत मान्य किया गया है ।

वर्तमान में भी राज्य शासन द्वारा अंतर विभाजन हेतु प्रचलित मापदण्ड भार प्रतिशत को जारी रखा जाना उचित रहेगा ।

2. शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रथम राज्य वित्त आयोग द्वारा सामान्य उद्देशीय अनुदान प्रतिवर्ष राशि रूपये 16 करोड़ का आबंटन दिया जाना तथा प्रतिवर्ष 1 करोड़ बढ़ाया जाना अनुशंसित किया गया था, जिसे राज्य शासन द्वारा मान्य किया गया है । वर्तमान परिस्थिति में महंगाई की वृद्धि दर तथा राज्य शासन के आय में हुई वृद्धि को देखते हुए सामान्य उद्देशीय अनुदान की राशि प्रतिवर्ष न्यूनतम 200 करोड़ का आबंटन किया जाना तथा प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत राशि की बढ़ोत्तरी किया जाना आवश्यक है ।

आधुनिक वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से वित्तीय संसाधन स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराने हेतु राज्य स्तर पर वित्तीय प्रबंधन एवं परियोजना सलाहकार संस्था स्थाई रूप से स्थापित किया जाना भी एक सकारात्मक कार्य रहेगा ।

स्थानीय नगरीय निकायों का कार्य मूलभूत नागरिक सुविधा उपलब्ध कराना होता है जो राजस्व की प्राप्ति पर निर्भर करता है । राज्य में काफी छोटे छोटे निकाय हैं जिनके आय स्त्रोत सीमित होने से नगर का विकास कार्य प्रभावित होता है । वर्तमान में प्रति व्यक्ति 26/– की दर से चुंगी क्षतिपूर्ति के रूप में राशि निकायों को प्रदान की जाती है, जो वेतन भत्तों के लिए भी कम हो जाता है । अतः शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए राज्य शासन के बजट में से नगरीय निकायों के लिए विकास अनुदान दिया जाना चाहिए तथा वर्तमान में प्रदाय की जाने वाली चुंगीक्षतिपूर्ति की राशि को दुगुना किया जाना चाहिए ।

3. स्थानीय नगरीय निकायों द्वारा नागरिकों के हितों की सुरक्षा के लिए तथा उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य नगरपालिक राजस्व के संग्रहण तथा उससे संबद्ध अथवा आनुषंगिक विषयों के सुव्यवस्थापन एवं विनियमन के लिए एक विनियामक आयोग स्थापित करने हेतु विधेयक छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा पारित कर छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 30.03.11 में प्रकाशित किया गया है । छत्तीसगढ़ नगरपालिक राजस्व विनियामक आयोग के गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । उक्त विधेयक में विनियामक आयोग के कृत्य वर्णित है । आयोग के कार्यक्षेत्र में विस्तार किया जाना उपयुक्त होगा ।

4. राज्य शासन द्वारा नगर पंचायत गठन के लिए 5 हजार से अधिक परन्तु 20 हजार से कम, नगर पालिका गठन हेतु 20 हजार से अधिक परन्तु 1 लाख से कम तथा नगर निगम के गठन हेतु एक लाख या इससे अधिक की आबादी का मापदण्ड निर्धारित किया गया है । इससे छोटे–छोटे कस्बे भी नगर का स्वरूप ले रही है । विभाग का मत है कि व्यवहारिक कठिनाईयों को दूर करने के लिए नगर पंचायत गठन हेतु 10 हजार से 50 हजार, नगर पालिका गठन हेतु 50 हजार से 1 लाख की आबादी का मापदण्ड निर्धारित किया जाना चाहिए । नगर निगम गठन के लिए पूर्व निर्धारित मापदण्ड़ उपयुक्त प्रतीत होता है ।

5. शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूत तथा आत्मनिर्भर करने के लिए स्थानीय निकायों के स्वयं के द्वारा अर्जित किये जाने वाले राजस्व की वृद्धि के लिए आधुनिक प्रबंधन प्रणाली का विकास किया जाना आवश्यक है । इस दिशा में नगरीय निकायों के कार्य कौशलता में वृद्धि हेतु नगरीय प्रशासन के लिए प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान की स्थापना किया जाना भी आवश्यक है । नगरीय निकायों को अपनी स्वयं की संपत्ति के व्यवसायिक उपयोग के माध्यम से नियमित आय में वृद्धि किये जाने का प्रयास करना होगा साथ ही उपभोक्ता प्रभारों तथा संचालन संधारण व्यय के मध्य संतुलन स्थापित किया जाना भी जरूरी है । इसके लिए अनावश्यक स्थापना व्यय में कमी एवं नगरीय निकायों की अति आवश्यक सेवाओं तथा सुविधाओं पर व्यय तथा गैर जरूरी नगरीय निकायों के खर्चो की पहचान तथा प्राथमिकता निर्धारण की प्रणालीगत् व्यवस्था का विकास किया जाना चाहिए ।

6. राज्य शासन द्वारा नागरिकों की आवश्यकता के अनुरूप योजनाएं बनाई जाकर उनके क्रियान्वयन हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जाती है किंतु तकनीकी मार्गदर्शन के अभाव में कभी कभी योजना बनाने के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती । निकायों में तकनीकी अमले की कमी के कारण भी कार्य प्रभावित होता है । अतः नगरीय निकाय में बड़े प्रोजेक्टर्स के क्रियान्वयन हेतु संचालनालय स्तर पर प्रोजेक्ट प्लानिंग बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए।

7. नगरीय निकाय द्वारा जनआवश्यकता के अनुरूप बस स्टैण्ड, मुक्तिधाम, सार्वजनिक उद्यान, शॉपिंग काम्पलेक्स आदि का निर्माण कराया जाता है किंतु भूमि के अभाव में उक्त महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन बाधित होता है । राज्य शासन द्वारा अपने अतिमहत्वाकांक्षी योजना के लिए स्वीकृति दे दी जाती है किन्तु नगर में निकाय की स्वामित्व की भूमि नहीं होने से उसका क्रियान्वयन अथवा कार्य का कराया जाना संभव नहीं हो पाता । अतः समस्त प्रकार की शहरी भूमि निकाय को हस्तांतरित की जानी चाहिए तथा निवेश क्षेत्र में विकास करने वाली संस्था/प्राधिकरण संबंधित नगरीय निकाय के अधीन होना चाहिए ।

8. राज्य के अधिकांश नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है । अतः नगरीय निकाय की भूमियों का व्यवसायिक प्रबंधन किए जाने का प्रावधान होना चाहिए ताकि निकाय की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने की दिशा में प्रयास हो सके ।

कृपया उपरोक्त बिन्दुओं पर विचार करते हुए वित्त आयोग के प्रतिवेदन में इन सुझावों को शामिल कराने का कष्ट करें ।

संचालक २०।०९।१२
नगरीय प्रशासन एवं विकास
छत्तीसगढ़ रायपुर

परिशिष्ट 1.12
द्वितीय राज्य वित्त आयोग
अंतरिम प्रतिवेदन
(वर्ष 2012–13 के लिए)

I. प्रस्तावना

1.1 द्वितीय राज्य वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 243–(झ) सहपठित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 एवं यथा संशोधित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2003, की धारा 3 के उपबंधों के अनुसरण में राज्य शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1086/एल–8–9/ 2011/वित्त/बी–4, दिनांक 23 जुलाई 2011 के द्वारा किया गया है। वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1373/एल–8–9/ 2011/वित्त/बी–4, दिनांक 13.9. 2011 में आयोग के संदर्भ बिंदु (terms of reference) अधिसूचित किये गये हैं। इस अधिसूचना के अनुसार आयोग को 1 अप्रैल 2011 से प्रारंभ होने वाली पांच वर्ष की कालावधि के लिए अपना प्रतिवेदन 31 जुलाई 2012 तक सौंपना था। प्रथम राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन की अधिनिर्णय (award) अवधि वर्ष 2011–16 थी। परंतु आयोग को कार्यालय के लिए आवश्यक स्थान चयन करने में तथा अपेक्षित कर्मचारी जुटाने में अधिक समय लगा। यही कारण है कि आयोग जनवरी 2012 के बाद ही क्रियाशील हो पाया। आयोग के लिए जुलाई 2012 तक निर्दिष्ट संदर्भ बिंदु के अनुरूप आवश्यक जानकारी एवं समंको (data) का संग्रहण, मिलान तथा विश्लेषण करके निष्कर्षो पर पहुंचना संभव नहीं था। इन परिस्थितियों में आयोग की अनुशंसा पर राज्य शासन ने प्रथम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के लागू रहने की अवधि को एक वर्ष के लिए (वर्ष 2011–12 तक) बढ़ा दिया। साथ ही द्वितीय राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें लागू रहने की अवधि को वर्ष 2012–17 तक, क्रमशः अधिसूचना क्रमांक 1000/ 680/ 2112/ स्थापना/चार दिनांक 15 जून 2012 तथा अधिसूचना क्रमांक 1238/680/2112/स्थापना/चार द्वारा बढ़ाया गया। आयोग द्वारा राज्यपाल महोदय को अपनी अनुशंसाएं 31 मार्च 2013 तक सौंपना है।

1.2 आयोग से यह अपेक्षा है कि वह राज्य की पंचायतों एवं नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा तथा संविधान के अनुच्छेद 243 (I) तथा 243 (Y) के अधिदेश के अनुसार अनुशंसा करेगा। इस परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के निर्वाचित पदाधिकारियों तथा अधिकारियों से विस्तार से विचार–विमर्श एवं चर्चा की गयी। संबंधित सभी विभागों के अधिकारियों से विमर्श किया गया, तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के माननीय मंत्रियों एवं माननीय मुख्यमंत्रीजी, जिनके पास वित्त विभाग का प्रभार भी है, से भी विमर्श किया गया। आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों से विस्तृत प्रश्नावली के आधार पर जानकारी प्राप्त की गई। 5427 ग्राम पंचायतों (कुल संख्या का 50% से अधिक), 18 जिला पंचायतों एवं 109 जनपद पंचायतों तथा 100 नगरीय स्थानीय निकायों से प्राप्त जानकारी तथा समंको का विश्लेषण किया जा रहा है। आयोग द्वारा समंको के विश्लेषण एवं प्रतिवेदन तैयार करने हेतु प्रतिष्ठित परामर्शदाताओं की सेवाएं प्राप्त की गई हैं। राज्य सरकार के संबंधित विभागों से ज्ञापन प्राप्त किए जाने हैं। अभी तक आयोग को मात्र नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से संक्षिप्त ज्ञापन प्राप्त हुआ है। इन

स्थितियों में आयोग द्वारा मार्च 2013 के पहले प्रतिवेदन सौंपना संभव नहीं है। राज्य के स्थानीय निकाय वर्ष 2011–12 के संशोधित अधिनिर्णय से वंचित रहे हैं। हम चालू वित्त वर्ष के मध्य में है। यदि आयोग द्वारा वर्ष 2012–13 के लिए अनुशंसाएं शीघ्र नही सौंपी जाती है, तो चालू वर्ष के अंतिम पूरक बजट में इसको स्थान नहीं मिल पायेगा, जिससे स्थानीय निकायों को चालू वर्ष में आयोग के अधिनिर्णय का लाभ नहीं मिल सकेगा। इस स्थिति को ध्यान में रखकर आयोग द्वारा वर्ष 2012–13 के लिए अंतरिम प्रतिवेदन सौंपने का निर्णय लिया गया है।

II. राजस्व बंटन का दृष्टिकोण (Approach to Revenue Sharing)

2.1 स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने, तथा राज्य द्वारा उद्ग्रहणीय करों, शुल्कों, पथकरों तथा फीसों के शुद्ध आगमो तथा सभी स्तरों के निकायों के बीच आबंटन को निर्धारित करने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करने हेतु आयोग को अधिदेशित किया गया है। आयोग को ऐसे करों, शुल्कों आदि के बारे में अनुशंसा करने के लिए भी निर्देश है, जिनके आगमों को पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों को सौंपा (assigned) जा सके। राज्य की संचित निधि से इन संस्थाओं को सहायता अनुदान देने के संबंध में अनुशंसा करना भी आयोग का कार्य है। आयोग का एक और महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के उपायों के बारे में सुझाव देना है। एक वर्ष के लिये इस अंतरिम प्रतिवेदन में पंचायतों एवं नगरीय निकायों को राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व के अंतरित किए जाने वाले हिस्से के बारे में अनुशंसा की गई है तथा कर राजस्व के समनुदेशन एवं स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार के कुछ उपायों पर भी संक्षिप्त में चर्चा की गई है, जिनको चालू वर्ष के बजट में शामिल किया जाना है। आयोग के अंतिम प्रतिवेदन में वित्तीय स्थिति में सुधार के उपायों तथा पंचायतों एवं नगरीय निकायों की कार्य पद्धति में सुधार पर और अधिक विस्तार से चर्चा की जायेगी।

2.2 एक अलग राज्य बन जाने (नवंबर 2000) के बाद छत्तीसगढ़ ने तेजी से आर्थिक विकास किया है। इसके बावजूद गरीबी अनुपात अधिक है तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या 40.92% है। राज्य की 76.8% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में है और अधिकतर कृषि पर आश्रित है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ प्रधानतः ग्रामीण राज्य है। राज्य का एक बड़ा हिस्सा (44%) वनाच्छादित है। राज्य में आदिवासी जनसंख्या 32.8% है। जनसंख्या का घनत्व 189 प्रति वर्ग कि.मी. (जनगणना 2011) है, जो अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। राज्य में जनसंख्या के बिखराव के कारण, अधोसंरचना एवं नागरिक सेवाओं दोनों की प्रति व्यक्ति लागत ऊंची है।

2.3 राज्य में 9734 ग्राम पंचायत, 146 जनपद पंचायत तथा 18 जिला पंचायत है। इनमें से, कुल ग्राम पंचायतों की आधी के लगभग 4607 ग्राम पंचायतें, संविधान की पांचवी अनुसूचित क्षेत्र में स्थित हैं जिन पर पेसा (PESA) लागू होता है। राज्य में 169 नगरीय निकायों में 10 नगर निगम, 32 नगर पालिका तथा 127 नगर पंचायतें हैं। अधिकांश नगर पंचायतों में नगरीय सुविधाओं का अभाव है। संवैधानिक अधिदेश एवं उनको शासित करने वाले परिनियमों के अनुरूप कार्य करने के लिए इन स्थानीय निकायों को वर्तमान में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से कहीं अधिक की आवश्यकता होगी। वस्तुतः आयोग को इस तथ्य की जानकारी है कि पंचायतों के साथ ही साथ नगरीय निकायों द्वारा प्रदाय की जाने वाली नागरिक सेवाओं की स्थिति संतोषप्रद नहीं है। राज्य के स्थानीय निकायों में क्षमता का अत्यंत अभाव है तथा स्वयं के संसाधन जुटाने का आधार सीमित है। इस प्रकार यह इन दोनों

कमजोरियों से ग्रसित है। साथ ही वे जो सीमित सेवाएं उपलब्ध कर रहे हैं, उसका मूल्य भी वसूल नही कर पाते हैं।

2.4 ग्राम पंचायतें, पंचायती राज व्यवस्था तथा ग्रामीण शासन प्रणाली (governance) की आधार स्तम्भ है। वर्तमान में अधिकांश पंचायतों की संस्थागत क्षमता अत्यन्त सीमित है। अनुसूचित क्षेत्र में स्थित पंचायतों की स्थिति अत्यंत बदतर है। आयोग अपने अंतिम प्रतिवेदन में ग्राम पंचायतों की क्षमता विकास के बारे में विस्तृत अनुशंसाएं देगा। परंतु उनके वित्तीय संसाधनों को अविलंब बढ़ाया जाना जरूरी है।

2.5 राज्य में नगर पंचायतों की भी वही स्थिति है। उनमें से अधिकांश 'नगर' नहीं है जबकि वे पंचायत भी नही रही। नगर पंचायत घोषित करने के लिए जनसंख्या या अन्य कोई मापदण्ड राज्य शासन द्वारा निर्धारित नहीं है। कमोवेश अधिकतर नगर पंचायतों की स्थिति ग्राम की ही है। नगर पंचायत बन जाने से ग्रामीण क्षेत्र के लिए बनी केन्द्रीय एवं राज्य योजनाओं के लाभ से ये वंचित हो गये है। इन निकायों को थोडी बहुत नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराना है तो वित्तीय संसाधनों के अंतरण में इनको वरीयता देनी पड़ेगी। नगर निगम एवं नगरपालिकाओं में वित्त के अलावा अभिशासन (governance) एक प्रमुख मुद्दा है।

2.6 ये कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर आयोग के अंतिम प्रतिवेदन में विस्तार से चर्चा की जायेगी। किन्तु इन्हें चालू वर्ष के लिये राजस्व के अंतरण की अनुशंसा करते समय भी ध्यान में रखा गया है।

III. अंतरण के सिद्धांत (Principles of Devolution)

3.1 आयोग द्वारा वर्ष 2012–13 के विभाजनीय कोष (Divisible Pool) के लिए केवल राज्य के शुद्ध कर राजस्व को ही लिया गया है। चूंकि इस वर्ष का बजट राज्य विधानसभा द्वारा पहले से ही पारित कर दिया गया है, इसलिए बजट में प्रावधानित राज्य के स्वयं के कर राजस्व (SOTR) को ही विवेचन में लिया गया है। राज्य के स्वयं के कर राजस्व में से तीन करों यथा 0029–भू राजस्व, 0042–माल एवं यात्री कर, 0045–वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य करों के आगम पूर्ण रूपेण स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। इन करों के आगम तथा बचे हुए करों के संग्रहण में होने वाले खर्चो को घटाने के बाद शुद्ध कर राजस्व प्राप्त किया गया है। इन आधारों पर राज्य के स्वयं का शुद्ध कर राजस्व की गणना निम्न प्रकार से की गई है और उसे विभाजनीय कोष माना गया है :

क्रमांक	विवरण	धनराशि (करोड़ रू.में)
1	वर्ष 2012–13 का राज्य का स्वयं का कर राजस्व (SOTR)	12,175.59
2	घटाइये –स्थानीय निकायो को हस्तांतरित तीन करों का आगम	1,087.82
3	घटाइये – संग्रहण पर कुल व्यय	258.31
	राज्य का स्वयं का शुद्ध कर राजस्व (SOTR)	10,829.46

बजट में दर्शाये गए करों पर संग्रहण पर व्यय कुल संग्रहित करों का 2.1% है। यह उचित प्रतीत होता है तथा यह पिछले पांच वर्षों में हुए व्यय के समान है।

3.1 प्रथम राज्य वित्त आयोग ने राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व (SOTR) का 8.287% हिस्सा स्थानीय निकायों को अंतरित किये जाने की अनुशंसा की थी। किन्तु राज्य शासन द्वारा केवल 6% अंतरण स्वीकार किया गया। हमारी विचारित राय है कि स्थानीय निकायो की सेवाओं का स्तर उंचा करने तथा क्षेत्र में अधोसंरचना की जरूरतों को पूरा करने के लिए 6% हिस्सा पर्याप्त नहीं है। विभिन्न कृत्यों का निर्वहन करने, चिन्हित नगरीय एवं ग्रामीण अधोसंरचना का स्तर उंचा करने तथा जनता को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करने के लिए अधिक अंतरण की आवश्यकता है। इससे ही इन निकायों का जमीनी आधार मजबूत बनेगा तथा वे जनता का विश्वास अर्जित करने में सक्षम होंगे। राज्य के स्थानीय निकाय इन दोनो ही क्षेत्रों में कमजोर हैं। साथ ही केन्द्र तथा राज्य सरकारों की प्रचलित योजनाएं इन दो मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नही कर पाती हैं, जिनकी जनता इन स्थानीय निकायो से अपेक्षा करती है। हमारा विश्वास है कि स्थानीय निकायो के आंतरिक संसाधनों के जुटाने के वर्तमान स्तर में काफी वृद्धि की संभावनाएं है। किन्तु निकायों के वर्तमान कार्यक्षमता को ध्यान में रखते हुए हमारा मत है कि थोड़ा नहीं बल्कि अधिक राजस्व का अंतरण ही इसमें सहायक सिद्ध होगा। आयोग के ध्यान में यह तथ्य है कि पिछले पांच वर्षो में राज्य शासन द्वारा 6% से अधिक राशि उपलब्ध कराई गई है। इसके बावजूद अधिकतर मामलों में उनकी स्थिति अपरिवर्तित रही है। इसलिए आयोग यह अनुशंसा करता है कि राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व (SOTR) में स्थानीय निकायों का हिस्सा 8% होना चाहिए। राज्य का स्वयं का शुद्ध कर राजस्व (SOTR) रू.10829.46 करोड़ का 8% हिस्सा रू.866.36 करोड़ होता है।

3.2 सामान्यतः अंतरण की जाने वाली कुल धनराशि पंचायतों एवं नगरीय निकायों के बीच में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बंटन की जाती है। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में ग्रामीण जनसंख्या 76.8% तथा नगरीय जनसंख्या 23.2% है। इसलिए धनराशि के वितरण में पंचायती राज संस्थाओं का हिस्सा 6.15% एवं नगरीय स्थानीय निकायों का हिस्सा 1.85% होगा। तदानुसार पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय स्थानीय निकायो का हिस्सा निम्नानुसार आकलित किया गया है :–

क्रमांक	विवरण	धनराशि (करोड़ रू.में)
1	पंचायती राज संस्थाएं – (6.15%)	666.01 (या 666.00)
2	नगरीय स्थानीय निकाय – (1.85%)	200.35
	कुल	866.36

II. पंचायती राज संस्थाओ को आबंटन

4.1 जहां तक पंचायती राज संस्थाओं का संबंध है,जिलावार कोष वितरण की अनुशंसा निम्नांकित आधार पर की गई है :

1) जनसंख्या (जनगणना 2011) – मानदंड भार 60%

2) क्षेत्रफल – मानदंड भार 20%

3) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या – मानदंड भार 10%

4) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार – मानदंड भार 10%

गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले परिवारों की संख्या 2002 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार होगी। हमारी जानकारी के अनुसार राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान के लिए सामाजिक –आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। इस सर्वेक्षण के परिणाम उपलब्ध हो जाने पर, ऐसे परिवारों की संशोधित संख्या को लिया जाना चाहिए। प्रथम राज्य वित्त आयोग द्वारा आंतरिक राजस्व के प्रयास (IRM) पर 10% मानदंड भार दिया गया था। राज्य की 50% से अधिक ग्राम पंचायतों से प्राप्त जानकारी तथा आयोग द्वारा कंसल्टेंटस के माध्यम से कराए गए स्थानीय सर्वेक्षणों से प्राप्त स्थिति के अध्ययन के बाद हमारे मत में धनराशि के हस्तांतरण में राजस्व प्रयास (IRM) का मानदण्ड किसी भी प्रकार से व्यावहारिक नहीं होगा। इसके स्थान पर हमने गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या को मानदंड भार का सुझाव दिया है। हमारे मत में छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में यह अधिक सार्थक है। इसमें सन्देह नही है कि ग्राम पंचायतों द्वारा आंतरिक राजस्व जुटाने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हम आंतरिक राजस्व बढ़ाने के प्रयास को कुछ अन्य प्रकार से प्रोत्साहित करने पर विचार करेगे। इन मानदंडो के आधार पर जिलेवार आबंटन की गणना की गई है जो नीचे तालिका –1 में दिया गया है:–

तालिका–1

पंचायती राज संस्थाओं को जिलेवार आबंटन

क्रमांक	जिला	प्रतिशत	राशि (करोड़ में)
1	बालोद *	3.27	21.76
2	बलौदाबाजार *	5.16	34.39
3	बलरामपुर *	3.83	25.48
4	बस्तर	4.01	26.72
5	बेमेतरा *	3.32	22.11
6	बीजापुर	2.07	13.77
7	बिलासपुर	6.52	43.43
8	दंतेवाड़ा	1.46	9.73
9	धमतरी	2.90	19.33
10	दुर्ग	2.77	18.44

11	गरियाबंद *	2.91	19.36
12	जांजगीर–चांपा	6.18	41.16
13	जशपुर	4.33	28.81
14	कबीरधाम	3.53	23.53
15	कांकेर	3.83	25.48
16	कोन्ड़ागांव *	3.10	20.65
17	कोरबा	4.19	27.89
18	कोरिया	2.49	16.61
19	महासमुन्द	4.59	30.59
20	मुंगेली *	2.87	19.09
21	नारायणपुर	0.71	4.71
22	रायगढ़	6.43	42.83
23	रायपुर	4.01	26.68
24	राजनांदगांव	6.29	41.91
25	सुकुमा *	1.77	11.80
26	सूरजपुर *	3.64	24.25
27	सरगुजा	3.83	25.51
	कुल	**100.00**	**666.00**

टिप्पणी–9 नए जिलों की जिला पंचायतों का 3% आबंटन उन जिलों में जोड़ा जाना है जिससें कि वे वर्तमान में संबद्ध है।

4.1 हमने उपरोक्त 6.15% हिस्सों का त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं, अर्थात जिला पंचायत, जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायतों में वितरण की अनुशंसा मुख्यतः उनके वैधानिक एवं अन्य उत्तरदायित्वों के आधार पर की है। ग्राम पंचायतें, पंचायत प्रणाली के केन्द्र में बनी रहने वाली हैं तथा ग्रामीण शासन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था है। कुछ सीमा तक जनपद पंचायतें तथा अधिक निश्चित रूप से जिला पंचायतों को वित्तीय स्वीकृति, समन्वय तथा पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। जिला पंचायत में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDA) का संविलियन हो जाने से इसका उत्तरदायित्व बढ़ गया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के मध्य राशि का बंटवारा निम्नानुसार प्रस्तावित है–

1.	जिला पंचायत – 3%	लगभग रू. 20.00 करोड़
2.	जनपद पंचायत – 12%	लगभग रू. 80.00 करोड़
3.	ग्राम पंचायत – 85%	लगभग रू. 566.00 करोड़
	कुल – 100%	लगभग रू. 666.00 करोड़

4.1 वर्तमान में राज्य में कुल 18 जिला पंचायतें हैं, यद्यपि वर्तमान में जिलों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। जिला पंचायतों का 3% हिस्सा उनके जिलों के लिए आबंटन (तालिका–1) का 3% होगा। नये 9 जिलों के जिला पंचायत के लिए आबंटित राशि उन जिला पंचायतों को जायेगी जिनसे वे वर्तमान में संबद्ध है।

4.2 जिले के जनपद पंचायतों व ग्राम पंचायतों के बीच क्रमशः 12% एवं 85% का परस्पर वितरण जनसंख्या के आधार पर होगा। ग्राम पंचायतों के कुल आबंटन में से अनुसचित क्षेत्र में स्थित 4607 ग्राम पंचायतों को प्रति ग्राम पंचायत रू. 2.0 लाख आबंटन की अनुशंसा की जाती है। अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों की औसत जनसंख्या लगभग 1900 है। इस प्रकार इन ग्राम पंचायतों को लगभग रू 100 प्रति व्यक्ति मान से अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी। सभी 9734 ग्राम पंचायतों, जिनमें अनुसूचित विकासखंडो में स्थित ग्राम पंचायतें भी शामिल है, के लिए रू. 473.86 करोड़ रूपये की उपलब्धता रहेगी (रू. 566.00 करोड़ से पेसा विकासखंडों के पंचायतों के लिए रू. 92.14 करोड़ घटाने के बाद)। इस प्रकार प्रति ग्राम पंचायत औसतन रू. 4.9 लाख आबंटित होगा। जबकि अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को रू. 2.0 लाख अतिरिक्त आबंटन के कारण औसतन रू. 6.90 लाख प्राप्त होगा। हम आशा करते है कि अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त सहायता का उपयोग बेहतर मूलभूत सेवाओं को उपलब्ध कराने में किया जावेगा।

4.3 पंचायती राज संस्थाओं की दोनों ऊपरी स्तरों का कार्य मुख्य रूप से पर्यवेक्षण का है। इसलिए इन्हें प्रस्तावित आबंटन कुछ अधिक प्रतीत होता है, अतः हम अनुशंसा करते हैं कि जनपद पंचायत इस राशि का उपयोग अन्य कार्यों के साथ–साथ (i) जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायतों की आस्तियों के रखरखाव, तथा (ii) निर्माण कार्यो के लिए ग्राम पंचायतों को तकनीकी सहायता उपलब्ध किये जाने के लिए उपयोग करें।

4.4 जहां तक जिला पंचायतों का संबंध है, इन संस्थाओं की आयोग के समक्ष एक मुख्य मांग यह थी कि जिला पंचायतों को कुछ धनराशि उन कार्यो की स्वीकृति के लिए उपलब्ध की जानी चाहिए जिसे वे महत्वपूर्ण समझते हैं और जिसमें एक से अधिक ग्राम पंचायत लाभन्वित हो रही हों। जिला पंचायतें आबंटित राशि का उपयोग उपरोक्त कार्यो के लिए कर सकते है। इसके अलावा वे इस राशि को पंचायतों की कार्यप्रणाली पर सेमीनार आयोजित करने तथा पंचायत व सरपंचो के लिए जागरूकता शिविर आयोजित करने में उपयोग कर सकते है। इसमें एक महत्वपूर्ण घटक समस्त ग्रामीण विकास, ग्रामीण रोजगार तथा अन्य केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी का संकलन का प्रकाशन होना चाहिए। यह सरल भाषा में होना चाहिए जिसे पंचायत स्तर के अधिकारी एवं निर्वाचित प्रतिनिधि समझ सकें। इस प्रकाशन को सभी ग्राम पंचायतो में वितरण करना चाहिए। इस राशि का उपयोग जिला स्तर पर सभी ग्राम पंचायतों का कम्प्यूटरीकृत सांख्यिकी बैंक (डाटा बैंक) निर्माण में भी किया जाना चाहिए। इस डाटा बैंक में जिलावार डाटा, ग्राम पंचायतों की सम्पत्तियों के बारे में जानकारी, उनके द्वारा कियान्वयन की गई योजनाओं के विषय में जानकारी, उनके पिछले 3 साल के बजट तथा साथ में लेखे, इत्यादि रहना चाहिए। हम चाहते है कि डाटा बैंक में अधिक से अधिक डाटा व जानकारी रहे।

II. नगरीय निकायो को आबंटन (Allocation to ULBs)

5.1 नगरीय निकायों का हिस्सा 1.85% होता है (कंडिका 3.3)। प्रथम राज्य वित्त आयोग द्वारा

नगरीय स्थानीय निकायो में सभी स्तर पर परस्पर आबंटन निम्न मानदण्डों पर किया गया था :

1) जनसंख्या (जनगणना 2011)	–	मानदण्ड भार	–	80%
2) क्षेत्र	–	मानदण्ड भार	–	10%
3) गंदी बस्ती जनसंख्या	–	मानदण्ड भार	–	10%

राज्य सरकार द्वारा जनसंख्या का मानदण्ड भार कम करके 70% कर दिया गया तथा चौथा मानदण्ड 'राजस्व प्रयास' जोड़कर उसको 10% मानदण्ड भार दिया गया। कम से कम चालू वर्ष के लिए आबंटन हेतु राज्य सरकार द्वारा अपनाये गये मानदण्डों में हम परिवर्तन नही करना चाहते हैं। गंदी बस्ती का मानदण्ड भार बड़ी जनसंख्या के लिए अधिक तथा कम जनसंख्या के लिए कम होना चाहिए। गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगो को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए यह अनुशंसा की गई है। राजस्व प्रयास के लिए मानदण्ड भार आंतरिक राजस्व प्रयास (IRM) को प्रोत्साहित करने के लिए है। इसके लिए मानदण्ड नगरीय निकायों के पिछले तीन वर्षों में राजस्व में प्रतिवर्ष न्यूनतम 10% के निरंतर सुधार पर आधारित होगा।

III. शासन द्वारा राजस्व का हस्तांतरण (Transfer of funds by the Government)

6.1 प्रथम राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राशि का स्थानीय निकायो को हस्तांतरण राज्य सरकार द्वारा अधिकतर राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किया गया है। सरकारी योजनाओं के माध्यम से कोष के हस्तांतरण के अपने महत्व हो सकते हैं, किन्तु इससे स्थानीय निकायो को अपनी स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने तथा बेहतर सेवाओं के प्रावधान करने की स्वायत्तता नहीं रहती है। इस प्रक्रिया से कोष प्रवाह की निश्चितता (certainty) एवं पूर्वानुमेयता (predictability) सुनिश्चित नही रहती है तथा स्थानीय नियोजन में अड़चन होती है। यह स्थानीय निकायो को राजस्व के अंतरण के सिद्धांत के विरूद्ध है। जहां तक पंचायती राज संस्थाओं का संबंध है राज्य सरकार द्वारा चार योजनाओं : 1. मुख्यमंत्री ग्रामोत्कर्ष योजना 2. छत्तीसगढ़ ग्रामीण निर्माण योजना 3. ग्राम गौरव योजना तथा 4. ग्राम विकास योजना के लिए आवश्यक प्रावधान प्रथम राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित पंचायतों को अंतरित राशि से किया जा रहा है। वित्त विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2007–2011 की पांच वर्ष की अवधि में पंचायती राज संस्थाओं को आबंटित कुल रू. 1620.16 करोड़ में से बजट में रू. 600 करोड़ का प्रावधान इन योजनाओं के लिए किया गया था। हमारा मानना है कि जिन लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के लिए राशि उपलब्ध की गई थी, उसमें दोहरापन (overlapping) है तथा इनमें से कोई भी योजना नागरिक मूलभूत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नही है। आयोग अनुशंसा करता है कि चालू वर्ष 2012–13 से राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर ग्रामीण निकायो के लिए उपलब्ध किये जाने वाली राशि का इन योजनाओं के लिए उपयोग तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायतो को अंतरित की जाने वाली संपूर्ण राशि अनाबद्ध (untied) होनी चाहिए। क्योकि यह मुख्य रूप से ग्रामों में मूलभूत नागरिक सुविधाओं के लिए होती है, जैसे पेयजल आपूर्ति, सड़क प्रकाश, गांवों में स्वच्छता तथा सफाई, ठोस अपशिष्ट का निस्तारण आदि।

6.2 आयोग के ध्यान में यह बात आई है कि पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सभी व्यय, जिनकी प्रकृति कुछ भी रही हो, उसे राज्य वित्त आयोग के अंतरण के रूप में दर्ज किया गया है। इसमें

"पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित व्यय" की एक बड़ी राशि रू. 234.28 करोड़ शामिल है (स्कीम कोड़ 2474)। वित्त विभाग द्वारा हमें दी गई जानकारी के अनुसार पंचायत अंकेक्षक जो कि राज्य शासन के कर्मचारी है, उनका वेतन भी इसी शीर्ष के अंतर्गत लेखे में दर्ज किया गया है। शासकीय कर्मचारियों के वेतन को पंचायतों को अंतरित राशि का अंश नहीं माना जा सकता है। इस व्यय का वहन राज्य शासन को करना चाहिए।

6.3 जहां तक नगरीय स्थानीय निकायो का संबंध है, प्रथम राज्य वित्त आयोग के रू. 405.04 करोड़ अधिनिर्णय के विरूद्ध राज्य शासन द्वारा पांच वर्षो की अवधि में रू. 648.21 करोड़ राशि उपलब्ध कराई गई है। विभिन्न शीर्षो के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई यह राशि निःसंदेह पर्याप्त है, किन्तु राशि का आबंटन विशेषकर नगरीय अधोसंरचना के लिए अधिकतर तदर्थ एवं मांग के आधार पर किया गया है। हम अनुशंसा करते है कि नगरीय स्थानीय निकायो के हिस्से का अंतरण अनाबद्ध (untied) होना चाहिए तथा उसका उपयोग मूलभूत नागरिक सेवाओं को उपलब्ध कराने तथा नगरीय अधोसंरचना के लिए किया जाना चाहिए। राज्य शासन इस संबंध में उचित दिशा–निर्देश जारी करें। अन्तरण अनाबद्ध होने से स्थानीय निकायो को धनराशि के प्रवाह की निश्चितता एवं पूर्वानुमेयता हो सकेगी, जिसका वर्तमान में अभाव है।

IV. राजस्व का सौंपा जाना (Assigned Revenue)

7.1 प्रस्तुत प्रतिवेदन में हम राज्य शासन द्वारा स्थानीय निकायो को सौंपे गये कर राजस्व के बारे कोई अनुशंसा नही कर रहे हैं। इसके विषय में अंतिम रिपोर्ट में विस्तृत अनुशंसा की जायेगी।

वर्ष 2012–13 के बजट में राज्य शासन द्वारा स्थानीय निकायों को कर राजस्व सौंपने के बारे में जो प्रावधान किये गये हैं, वह निम्नानुसार है :

तालिका – 2
स्थानीय निकायो को सौंपा गया कर राजस्व

क्र.	शीर्ष मदें	बजट प्रावधान 2012–13 (करोड़ रू. में)
अ	पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरण	
1.	भू–राजस्व (0029)	275.00
2.	स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क (4610)*	45.00
3.	गौण खनिज रायल्टी अनुदान (6299)	110.00
4.	मनोरंजन कर अनुदान (8879)	1.90
	योग	**431.90**
आ	नगरीय निकायों को हस्तांतरण	
1.	प्रवेश कर (चुंगी) अनुदान (8018)	668.25
2.	यात्री कर अनुदान (9436)	8.00
3.	एफ.एल. लाइसेंस शुल्क (5061)	15.50
4.	स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क (4035)	36.16
5.	मनोरंजन कर अनुदान (8850)	7.76
	योग	**735.67**

(*) में बजट का स्कीम कोड दर्शाया गया है।

VIII.स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान (grants-in-aid)

राज्य की संचित निधि से पंचायतों एवं नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान की अनुशंसा करना भी आयोग का कार्य है। अन्तिम प्रतिवेदन में इस पर विस्तृत चर्चा की जायेगी। चालू वर्ष के लिए हम निम्नलिखित अनुशंसा करना चाहेंगे :–

8.1 ग्राम पंचायतों के आंतरिक संसाधन प्रयास (IRM) को प्रोत्साहित करने के लिए यह अनुशंसा की जाती है कि यदि कोई एक ग्राम पंचायत एक वर्ष में अपना राजस्व सग्रंहण पिछले वर्ष की तुलना में 10% से अधिक सुधारती है, तो राजस्व में जितनी वृद्धि की गई है उतनी ही राशि राज्य शासन उन्हें अनुदान के रूप में दे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस अनुशंसा को लागू करने के लिए एक स्कीम तैयार करना चाहिए।

8.2 हमने पहले भी नगरीय स्थानीय निकायों में नगर पंचायतों की असंतोषजनक वित्तीय स्थिति का उल्लेख किया है। आयोग अनुशंसा करता है कि कंडिका 8.3 में उल्लिखित 5 नगर पंचायतों को छोड़कर शेष सभी प्रति नगर पंचायत को एक करोड़ रूपये का एक बार अनुदान इस शर्त के साथ दिया जाये कि इसकी 50% राशि अधोसंरचना तथा 50% राशि चिन्हित आधारभूत सेवाओं पर व्यय की जायेगी। इसके लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा उपयुक्त दिशा–निर्देश जारी किया जाये।

8.3 वर्तमान में राज्य की पांच नगर पंचायतें – बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, बलरामपुर तथा गरियाबंद नए जिलों के मुख्यालय है। इन नगर पंचायतों में बेहतर अधोसंरचना उपलब्ध कराने के लिए अन्य नगर पंचायतों की तुलना में अधिक धनराशि की आवश्यकता है। हमारी अनुशंसा है कि इन पांच नगर पंचायतों को प्रति नगर पंचायत दो करोड़ रूपये का एक बार में अनुदान दिया जाये। इस राशि का व्यय 50% अधोसंरचना विकास तथा 50% चिन्हित मूलभूत सेवाओं पर किया जाना चाहिए।

IX. स्थानीय निकायों के आंतरिक राजस्व उगाही में सुधार के उपाय (Measures for Improving IRM of local bodies)

9.1 प्रथम राज्य वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायो के आंतरिक राजस्व में वृद्धि के लिए कुछ उपयोगी सुझाव दिए गए थे। राज्य शासन द्वारा इनमें से अधिकांश सुझावों को स्वीकार कर लिया गया था, किन्तु अमल में लाने के लिए अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नही की गई है। आयोग का विश्वास है कि ग्रामीण एवं नगरीय दोनों ही स्थानीय निकायो द्वारा कर एवं अन्य राजस्व स्त्रोतों का पूरी तरह विदोहन नही हो रहा है। यदि उपलब्ध स्त्रोतों का पूर्ण विदोहन किया जाये तो स्थानीय निकायों के आंतरिक वित्तीय संसाधनों में बहुत अधिक वृद्धि होगी तथा उनकी राज्य शासन पर निर्भरता भी कम होगी। हम अंतिम प्रतिवेदन में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आयोग निम्न बिन्दुओं पर त्वरित कार्यवाही की अनुशंसा करता है :

9.2 ग्राम पंचायतों द्वारा उद्ग्रहित किये जाने वाले संपत्ति कर, पशु पंजीयन शुल्क, बाजार शुल्क आदि को 1960 के दशक में निर्धारित किया गया था। प्रथम राज्य वित्त आयोग द्वारा इनके दरों का पुनारावलोकन की अनुशंसा की गई थी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक पंचायत/76/पीएंडआरडी/2011 दिनांक 16.12.2011 द्वारा संचालक, पंचायत, की अध्यक्षता में एक

समिति की स्थापना की गई। इस समिति को प्रथम राज्य वित्त आयोग द्वारा दिए गए सुझावों का अध्ययन कर राज्य शासन को उपयुक्त कार्यवाही के बारे में सुझाव देना था। आयोग को प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त समिति अपनी अनुशंसाएं सौंपने की स्थिति से कहीं दूर है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए इस समिति के महत्व को देखते हुए हमारा राज्य शासन से विशेष आग्रह है कि इस समिति को तत्काल सक्रिय करें तथा अनुशंसाएं सौपने हेतु समिति को 3 माह की समय–सीमा निर्धारित करें।

9.3 पिछले कई वर्षों में ग्राम पंचायतों के उत्तरदायित्व तथा उनके द्वारा व्यय की जाने वाली राशि की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, किन्तु प्रशिक्षित जनशक्ति का अभाव एक बहुत बड़ी बाधा बनी हुई है। एक पंचायत सचिव से न तो कार्यात्मक, न ही वित्तीय जवाबदेही की अपेक्षा की जा सकती है। स्पष्ट रूप से एक व्यक्ति के संभालने के लिए एक पंचायत का कार्य बहुत अधिक है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा एक नई केन्द्रीय योजना 'राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान'' प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत अन्य बातों के अलावा ग्राम पंचायतों के लिए अतिरिक्त जनशक्ति का प्रावधान है। हमारा सुझाव है कि राज्य शासन को इस योजना का पूरा लाभ लेना चाहिए। इसके अंतर्गत राज्य का दायित्व योजना के लागत का केवल 20% है। इस योजना का लाभ लेते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक सहायक तथा एक लेखापाल कम कम्प्यूटर आपरेटर की व्यवस्था होनी चाहिए।

9.4 छत्तीसगढ़ नगरपालिका राजस्व (नियामक आयोग की स्थापना) अधिनियम 2011 का पारित होना नगरीय स्थानीय निकायो तथा नागरिको के हित में लिया गया एक बहुत बड़ा कदम है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इसके कानून बन जाने के बाद से 6 माह की अवधि में नियामक आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। यह अधिनियम 3 मई 2011 से प्रभावशील हो गया है, किन्तु नियामक आयोग का गठन अभी तक नहीं हुआ है। राज्य सरकार को बिना और अधिक विलंब किए आयोग का गठन करना चाहिए।

9.5 वर्तमान में बजट में ऐसा कोई शीर्ष नही है जिसके अंतर्गत राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा पर किये गये कोषों के हस्तांतरण को स्पष्ट रूप से दिखाया जा सके। केवल पंचायतो के लिए मूलभूत अनुदान के प्रावधान को राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों से संबंधित किया जा सकता है। बजट में कोई अन्य कार्यात्मक वर्गीकरण नहीं है जो यह स्पष्ट करे कि प्रावधान राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं से संबंध रखते हैं। राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर स्थानीय निकायो के अंतरण का बजट में सही वर्गीकरण को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस प्रकार के अंतरण का राज्य शासन की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव का आकलन केन्द्रीय वित्त आयोग को करना है। इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

X. अनुशंसाओं का सारांश

(1) वर्ष 2012–13 हेतु प्रस्तुत इस अंतरिम प्रतिवेदन में आयोग ने मुख्यतः स्थानीय निकायों के लिये धनराशि के अन्तरण पर ध्यान केन्द्रित किया है, जिससे कि चालू वर्ष के बजट में प्रावधान किया जा सके। (कंडिका 1.2)

(2) वर्ष 2012–13 के लिए राज्य के स्वयं का शुद्ध कर राजस्व विभाजनीय कोष (divisible pool) बनेगा। राज्य के स्वयं का शुद्ध कर राजस्व (SOTR) जिसका हिस्सा स्थानीय निकायों को दिया जाना है, कुल रू. 10829.46 करोड़ आता है। (कंडिका 3.1)

(3) स्थानीय निकायों को राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 8% हिस्सा जो रू. 866.36 करोड़ है, अंतरित करने की अनुशंसा की जाती है। (कंडिका 3.2)

(4) अंतरित की जाने वाली राशि पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों के मध्य उनकी जनसंख्या के अनुपात में वितरित की जायेगी। इस प्रकार पंचायती राज संस्थाओं का हिस्सा 6.15% तथा नगरीय निकायों का हिस्सा 1.85%, जो क्रमशः रू. 666 करोड़ तथा रू. 200.35 करोड़ होगा। (कंडिका 3.3)

(5) पंचायती राज संस्थाओं को जिलावार आबंटन जनसंख्या (60%), क्षेत्रफल (20%), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या (10%), गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या (10%) के आधार पर होगा। उक्त आधार पर इस प्रतिवेदन में हमने राज्य के सभी 27 जिलों में से प्रत्येक का हिस्सा तालिका–1 में आकलित किया है। (कंडिका 4.1)

(6) पंचायती राज संस्थाओं के लिए रखी गई (earmarked) राशि में त्रिस्तरीय संस्थाओं का हिस्सा इस प्रकार होगा – जिला पंचायत 3%, जनपद पंचायत 12% तथा ग्राम पंचायत 85% । (कंडिका 4.2)

(7) नये 9 जिले के जिला पंचायतों का हिस्सा, जहां पर अभी जिला पंचायतें गठित नहीं हैं, उन जिला पंचायतों को जायेगा, जिनके साथ वर्तमान में वे संबद्ध हैं। (कंडिका 4.3)

(8) जिलों में जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों के हिस्से क्रमशः 12% एवं 85% का परस्पर वितरण जनसंख्या के आधार पर किया जाये। (कंडिका 4.3)

(9) अनुसूचित क्षेत्र के विकास खंडो की ग्राम पंचायतों (4607 ग्राम पंचायतों) की मूलभूत सेवाओं को मजबूत करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को रू. 2 लाख के विशेष अतिरिक्त आबंटन की अनुशंसा की है। इन ग्राम पंचायतों को कुल रू. 92.14 करोड़ का आबंटन ग्राम पंचायतों के लिए निर्दिष्ट राशि में से होगा।

इस प्रकार गैर–अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में प्रत्येक को रू. 4.9 लाख तथा अनुसूचित क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायतों में प्रत्येक को रू. 6.9 लाख प्राप्त होगा।

(कंडिका 4.4)

(10) नगरीय निकायों में आबंटन का आधार जनसंख्या (मानदंड भार 70%), क्षेत्रफल (10%), गंदी बस्तियों की जनसंख्या (10%) तथा राजस्व प्रयास (10%) होगा। (कंडिका 5.1)

(11) हमारी अनुशंसा है कि ग्राम पंचायतों को आबंटित कुल धनराशि अनाबद्ध (untied) होनी चाहिए। आबंटित राशि का राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उपयोग, जैसा कि वर्तमान में किया जा रहा है, चालू वर्ष से बन्द किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायतों को आबंटित सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग गांव में मूलभूत सुविधाएं, जैसे पेयजल आपूर्ति, सड़कों पर प्रकाश, स्वच्छता, गांवों में सफाई तथा ठोस अपशिष्ट की निकासी आदि उपलब्ध किये जाने के लिए ही होगा। (कंडिका 6.1)

(12) ग्राम पंचायतों को अंतरित राशि का उपयोग पंचायत अंकेक्षको को वेतन भुगतान हेतु किया जा रहा है और इस प्रकार व्यय भार "पंचायत से संबंधित व्यय" मद में दर्शाया जा रहा है। पंचायत अंकेक्षक राज्य शासन के कर्मचारी हैं, अतः उनका व्यय भार राज्य शासन के द्वारा वहन किया जाना चाहिये। (कंडिका 6.2)

(13) नगरीय निकायों को राशि का आबंटन तदर्थ तथा मांग के आधार पर किया जाना प्रतीत हो रहा है। हमारी अनुशंसा है कि नगरीय निकायों को आबंटन अनाबद्ध (untied) होना चाहिए तथा उसका उपयोग केवल मूलभूत नागरिक सुविधाओं एवं नगरीय अधोसंरचना के लिए होना चाहिए। राज्य सरकार इस हेतु उपयुक्त दिशा निर्देश जारी करे। (कंडिका 6.3)

(14) आयोग अनुशंसा करता है कि आंतरिक राजस्व प्रयासों (IRM) को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य शासन ग्राम पंचायतों को उनके द्वारा पिछले वर्ष जुटाए गए स्वयं के राजस्व से अधिक राजस्व (जो कम से कम 10% होना चाहिए) के बराबर अनुदान (matching grant) राज्य के संचित कोष में से दे। (कंडिका 8.1)

(15) राज्य में नगर पंचायतों की वित्तीय स्थिति मजबूत नहीं है, जिसके कारण आवश्यक नागरिक सुविधाएं प्रदाय करने में असमर्थ हैं। अतः प्रत्येक नगर पंचायत को (नीचे उल्लिखित पांच नगर पंचायतों को छोड़कर) रू. 1 करोड़ एक बार सहायता अनुदान की अनुशंसा की जाती है। इसके साथ यह शर्त होगी कि इस अनुदान की 50% राशि अधोसंरचना पर व्यय की जाये तथा 50% का उपयोग चिन्हित मूलभूत सेवाओं पर किया जाये। इस हेतु नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा उपयुक्त दिशा–निर्देश जारी किये जायें। (कंडिका 8.2)

(16) राज्य की नगर पंचायतों में से पांच नगर पंचायतें – बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, बलरामपुर एवं गरियाबंद जिला मुख्यालय में स्थित है। जिला मुख्यालय होने की दृष्टि से इन नगरों में अधोसंरचना एवं नागरिक सुविधाओं का स्तर अच्छा होना चाहिए। इस उद्देश्य से इन नगर पंचायतों को प्रति नगर पंचायत रू. 2 करोड़ एक बार में सहायता अनुदान की अनुशंसा की जाती है। (कंडिका 8.3)

(17) ग्राम पंचायतों के करों में व्यापक संशोधन तथा अन्य बिन्दुओं का परीक्षण करके सुझाव देने के लिए राज्य शासन द्वारा गठित समिति को सक्रिय किया जाना चाहिए। इस समिति को अनुशंसाए सौंपने हेतु तीन माह की समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। (कंडिका 9.2)

(18) प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 2 अतिरिक्त स्टाफ – एक सहायक तथा एक लेखापाल–कम–कम्प्यूटर आपरेटर की व्यवस्था होनी चाहिये। इस हेतु केन्द्रीय योजना "राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान" का लाभ लिया जा सकता है। (कंडिका 9.3)

(19) छत्तीसगढ़ नगर पालिका राजस्व नियामक आयोग (छत्तीसगढ़ म्यूनिसिपल रेवेन्यु रेग्युलेटरी कमीशन) का गठन यथा शीघ्र किया जाना चाहिए। (कंडिका 9.4)

(20) राज्य के बजट में राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं के अनुसार स्थानीय निकायों को किये गये आबंटन के प्रावधान स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होना चाहिए। (कंडिका 9.5)

(डॉ. अशोक कुमार पारख)
सदस्य

(अजय चन्द्राकर)
अध्यक्ष

परिशिष्ट 5.1

छत्तीसगढ़ राज्य की जिलेवार जनसंख्या एवं पंचायतों की स्थिति

क्र.	जिला	जनसंख्या (2011)		कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत	पंचायतों की संख्या			अनुसूचित क्षेत्र में पंचायतों की संख्या			औसत जनसंख्या	
		कुल	ग्रामीण (प्रावधिक)		जिला पंचा.	जनपद पंचा.	ग्राम पंचा	जिला पंचा.	जनपद पंचा.	ग्राम पंचा	जनपद पंचा.	ग्राम पंचा
1	बालोद	826019	720697	87.25	-	5	393	-	1	55	144139	1834
2	बलोदा बाजार	1304881	1138729	87.27	-	6	499	-	-	-	189788	2282
3	बलरामपुर	730275	695579	95.25	-	6	340	1	6	340	115930	2046
4	बस्तर	833318	697934	83.75	1	7	317	1	7	317	99705	2202
5	बेमेतरा	795334	721077	90.66	-	4	334	-	-	-	180269	2159
6	बीजापुर	255180	225591	88.40	1	4	157	1	4	157	56398	1437
7	बिलासपुर	1960466	1347093	68.71	1	7	557	-	3	142	192442	2418
8	दंतेवाड़ा	282803	214830	75.96	1	4	114	1	4	114	53708	1884
9	धमतरी	799199	650045	81.34	1	4	333	-	1	86	162511	1952
10	दुर्ग	1721726	617184	35.85	1	3	267	-	-	-	205728	2312
11	गरियाबंद	597399	556967	93.23	-	5	308	-	3	190	111393	1808
12	जांजगीर–चांपा	1620632	1395433	86.10	1	9	576	-	-	-	155048	2423
13	जशपुर	852043	776017	91.08	1	8	411	1	8	411	97002	1888
15	कांकेर	748593	671834	89.75	1	7	386	1	7	386	95976	1741
14	कवर्धा	822239	734894	89.38	1	4	367	-	-	-	183724	2002
16	कोंडागांव	578326	520382	89.98	-	5	263	1	5	263	104076	1979
17	कोरबा	1206563	760360	63.02	1	5	352	1	5	352	152072	2160
18	कोरिया	659039	453476	68.81	1	5	236	1	5	236	90695	1922
19	महासमुंद	1032275	912166	88.36	1	5	491	-	-	-	182433	1858
20	मुंगेली	701611	636162	90.67	-	3	301	-	-	-	212054	2113
21	नारायणपुर	140206	118087	84.22	1	2	69	1	2	69	59044	1711
22	रायगढ़	1493627	1247346	83.51	1	9	702	-	5	349	138594	1777
23	रायपुर	2159880	884237	40.94	1	4	390	-	-	-	221059	2267
24	राजनांदगांव	1537520	1264980	82.27	1	9	692	-	3	161	140553	1828
27	सरगुजा	842085	703294	83.52	1	7	355	1	7	355	100471	1981
25	सुकमा	249988	221825	88.73	-	3	132	1	3	132	73942	1680
26	सूरजपुर	788969	717439	90.93	-	6	392	1	6	392	119573	1830
	कुल योग	**25540196**	**19603658**	**76.76**	**18**	**146**	**9734**	**13**	**85**	**4507**	**134272**	**2014**

परिशिष्ट 6.1

अधिकारों का प्रत्यायोजन
शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक एफ–1–117/2005/20, दिनांक 15/09/2006 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थाओं को संशोधन पश्चात हस्तांतरित कार्य।

राज्य की गतिविधि	ग्राम पंचायत	जनपद पंचायत	जिला पंचायत	अमला	बजट
1. शालाओं को मान्यता देना 2. पाठ्यक्रम एवं पुस्तकों का निर्धारण करना। 3. परीक्षा का आयोजन एवं संचालन। 4. छात्रों के शैक्षिक स्तर का मूल्यांकन। 5. वार्षिक शिक्षा कैलेण्डर का निर्माण। 6. शालाओं में नवीन विषय प्रारंभ करने की स्वीकृति देना। 7. समस्त संभागीय एवं राज्य स्तरीय पाठ्येतर गतिविधियां। 8. शालाओं में संचालित गतिविधियों में नवाचार। 9. शैक्षिक सांख्यिकी संग्रह तथा विश्लेषण संबंधी समस्त कार्य। 10. केन्द्रीय तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के क्रियान्वयन का अवीक्षण तथा अनुश्रवण। 11. शिक्षकों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण का दायित्व, शिक्षकों के प्रशिक्षण की संस्था जैसे डाईट, बीटीआई आदि के पूरे अमले का नियंत्रण 12. नई शालाएं खोलने तथा राज्य शासन से प्राप्त राशि से भवन निर्माण या विस्तार आदि के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार, राज्य शासन द्वारा बनाई गई नीति के अंतर्गत जिला योजना समिति का होना।	➢ शासन द्वारा निर्धारित वित्तीय सीमा के अंतर्गत प्राथमिक शाला भवनों का निर्माण जिसमें बालक–बालिकाओं के लिए पृथक से शौचालय हो। ➢ ग्राम पंचायत के प्रत्येक बालक–बालिकाओं को प्राथमिक स्तर की शिक्षा का अवसर प्राप्त करना, सुनिश्चित करना। "इस विषयक आवश्यक प्रयास जैसे – घर–घर सर्वेक्षण, सामूहिक बैठक आयोजन, प्रेरणा एवं प्रोत्साहन संबंधी कार्यक्रमों का संचालन करना"। ➢ प्राथमिक शाला भवनों के संधारण एवं रंग रोगन की व्यवस्था करना। ➢ शाला में बच्चों के लिए समस्त शैक्षणिक सामग्री उपकरण, फर्नीचर, टाट पट्टी, ब्लैक बोर्ड, खिलौने, खेलकूद सामग्री जैसे भौतिक सुविधाओं का प्रदाय एवं उपयोग सुनिश्चित करना। ➢ छात्रवृत्तियों की स्वीकृति एवं वितरण का कार्य। ➢ गणवेशों एवं पाठ्य पुस्तकों का वितरण। ➢ मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का संचालन एवं पर्यवेक्षण करना। ➢ प्राथमिक शाला के समस्त शिक्षकों एवं स्टाफ की उपस्थिति का पर्यवेक्षण, एवं उनके वेतन का भुगतान करना। ➢ निःशक्तजनों एवं बालिकाओं को आवश्यक रूप से प्राथमिक शिक्षा से जोड़ना। ➢ उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक शिक्षा की एक वार्षिक कार्य–योजना तैयार करना। ➢ सर्व शिक्षा अभियान तथा अन्य प्राथमिक शिक्षा से संबंधित नवीन कार्यक्रमों का संचालन करना।	➢ उच्च प्राथमिक शालाओं के संधारण एवं रंग–रोगन की व्यवस्था करना। ➢ बुक बैंक एवं लाईब्रेरी का संचालन करना। ➢ प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शालाओं का पर्यवेक्षण करना। ➢ ग्राम पंचायतों के शिक्षा प्लान एकत्रित कर जनपद स्तरीय प्लान बनाना। ➢ शिक्षाकर्मी वर्ग – 03 की नियुक्ति तथा उन पर पूरा नियंत्रण तथा संवर्ग प्रबंधन।	➢ जिले की समस्त शालाओं का पर्यवेक्षण। ➢ शिक्षाकर्मी वर्ग – 02 एवं वर्ग – 03 की नियुक्ति। ➢ नियंत्रण तथा संवर्ग प्रबंधन। ➢ जिले का स्कूली शिक्षा प्लान तैयार कर शासन से अनुमोदन कराना। ➢ ग्राम पंचायतों तथा जनपद पंचायतों के शिक्षण संबंधी कार्यों का पर्यवेक्षण करना।	➢ जनपद स्तरीय समस्त अमला जनपद पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करेगा। ➢ जिला स्तरीय समस्त अमला जिला पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करेगा।	➢ जिला पंचायत से जनपद पंचायत को विभाग से संबंधित समस्त बजट। ➢ राज्य शासन से प्राप्त होने वाले विभाग से जिला स्तरीय समस्त बजट।

छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग का पत्र क्रमांक एफ–11–33/2005/25–2/आजाक, दिनांक 19/07/2006 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थाओं को संशोधन पश्चात हस्तांतरित कार्य।

राज्य सेक्टर की गतिविधि	जिला पंचायत	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत	अमला	बजट व्यवस्था
1 छात्रों के शैक्षणिक स्तर का मूल्यांकन 2 वार्षिक शिक्षा कैलेण्डर का निर्माण, 3 शालाओं में नवीन विषय प्रारंभ करने की स्वीकृति 4 समस्त संभागीय एवं राज्य स्तरीय पाठ्येत्तर गतिविधियां 5 शैक्षणिक सांख्यिकी संग्रह तथा विधान सभा संबंधी समस्त कार्य 6 शिक्षकों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण का दायित्व शिक्षकों के प्रशिक्षण की संस्था जैसे डाईट, बी.टी. आई. आदि के पूरे अमले का नियंत्रण 7 केन्द्रीय तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के क्रियान्वयन का अधीक्षण तथा अनुश्रवण 8 राज्य सरकार की नीति अनुसार नई शालाएं खोलने तथा राज्य शासन से प्राप्त राशि से भवन निर्माण या विस्तार आदि से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार. 9 शाला या कार्यालय में नये पद का निर्माण 10 विभागीय संस्थाओं के व्यापक हित में नये प्रावधान करना एवं नियम बनाना तथा लागू करना।	• अजा., अजजा के अत्याचार निवारण संबंधी अधिनियम के प्रावधानों का व्यापक प्रचार–प्रसार करना तथा संगोष्ठी आयोजित करना। • माध्य. शालाओं, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों का पर्यवेक्षण। • प्राथमिक शाला एवं माध्य. शाला में बच्चों के लिए समस्त शैक्षणिक सामग्री, उपकरण, फर्नीचर, टाटपट्टी, ब्लैक बोर्ड, खिलौने, खेलकूद, सामग्री जैसी भौतिक सुविधाओं का प्रदाय एवं उपयोग सुनिश्चित कराना। • विभाग की सभी कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना एवं समीक्षा करना।	• चल रहें आश्रम/छात्रावासों, स्कूल का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण तथा जनपद पंचायत की उपसमिति में समीक्षा करना एवं शिक्षा के बेहतर प्रबंध हेतु आवश्यक व्यवस्था करना। • चल रहे अशासकीय अनुदान प्राप्त संस्थाओं का पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण। • विभाग की सभी कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने में भागीदारी	• विभाग से संबंधित योजना की जानकारी एवं योजनांतर्गत चयनित हितग्राहियों की जानकारी वर्ष में एक बार ग्राम सभा को प्रस्तुत करना। • अजा एवं अजजा के विरूद्ध सामाजिक भेदभाव एवं अत्याचार को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही करना, अस्पृश्यता निवारण हेतु कार्य करना। • अजा,अजजा के कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरण कराना। • विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक शालाओं, आश्रमों एवं छात्रावासों का पर्यवेक्षण। • ग्राम पंचायत के प्रत्येक बालक बालिकाओं को प्राथमिक स्तर की शिक्षा का, अवसर प्राप्त कराना, (इस विषयक आवश्यक प्रयास जैसे घर–घर सर्वेक्षण, सामूहिक बैठक आयोजन, प्रेरणा एवं प्रोत्साहन संबंधी कार्यक्रमों का संचालन करना) • रूपये 50,000/– तक के विभागीय भवन के वार्षिक, सामान्य एवं विशेष मरमत/संधारण एवं रंग–रोगन की व्यवस्था करना। • मध्यान्ह भोजन का संचालन।	स्थायी शास. सेवकों पर पूर्ण नियंत्रण. ग्राम में स्थित प्राथमिक आश्रमों में स्वीकृत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद पर कलेक्टर दर/अंशकालिक /नैमित्तिक आधार पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का चयन एवं अनुशंसा। शालाओं के शिक्षाकर्मी वर्ग–02 एवं शिक्षाकर्मी वर्ग–03 पर प्रशासकीय नियंत्रण। पूर्व माध्यमिक शाला एवं आश्रमों एवं छात्रावासों में स्वीकृत चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कलेक्टर दर/अंशकालिक /नैमित्तिक आधार पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का चयन एवु अनुशंसा। शालाओं में नियुक्त शिक्षाकर्मी वर्ग–01 पर प्रशासकीय नियंत्रण। हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी एवं प्रो. मॉ. छात्रावासों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्वीकृत पदों पर कलेक्टर दर अंशकालिक/नैमित्तिक आधार पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का चयन एवु अनुशंसा।	विभागीय बजट को आवश्यकतानुसार जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों को हस्तातरित करना। विभाग से प्राप्त होने वाले मांग संख्या 15 एवं 62 अंतर्गत प्राप्त बजट आबंटन का उपयोग सुनिश्चित करना।

खनिज साधन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग का पत्र क्रमांक 2903/2283/2006/12, दिनांक 07/09/2006 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थाओं को संशोधन पश्चात हस्तांतरित कार्य।

राज्य सेक्टर की गतिविधि	जिला पंचायत	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत	अमला	बजट व्यवस्था
खनिजों का अन्वेषण निरीक्षण खनिज प्रशासन	छ.ग. गौण खनिज नियम, 1986 (1) नियम 30 (13) में खदान से संबंधित लेख/अभिलेख की जांच के अधिकार (2) नियम 30 (15) (16) (17) (18) (19) में खनिजों के अवैध परिवहन पर जुर्मानें, अभिग्रहण एवं राजसात के अधिकार (3) नियम 30 (23) (एक) में निरीक्षण के प्रयोजन से प्रवेश का अधिकार (4) नियम 53 (2) में खनिजों के अवैध उत्खनन/ परिवहन पर खनिज प्रयुक्त औजार तथा वाहनों के अभिग्रहण करने के अधिकार (5) नियम 53 (5) में खनिजों के अवैध उत्खनन पर जुर्माने के अधिकार	छ.ग. गौण खनिज नियम, 1986 (1) नियम 30 (13) में खदान से संबंधित लेख/अभिलेख की जांच के अधिकार (2) नियम 30 (15) (16) (17) (18) (19) में खनिजों के अवैध परिवहन पर जुर्मानें, अभिग्रहण एवं राजसात के अधिकार (3) नियम 30 (23) (एक) में निरीक्षण के प्रयोजन से प्रवेश का अधिकार (4) नियम 53 (2) में खनिजों के अवैध उत्खनन/ परिवहन पर खनिज प्रयुक्त औजार तथा वाहनों के अभिग्रहण करने के अधिकार (5) नियम 53 (5) में खनिजों के अवैध उत्खनन पर जुर्माने के अधिकार (6) नियम 56 में गौण खनिज राजस्व से अनुदान प्राप्त करने का अधिकार (7) छ.ग. गौण खनिज रेत रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय विनियमन निर्देश 2006 में ग्रामीण क्षेत्रों की रू. 5 लाख तक की अनुमानित वार्षिक रायल्टी की खदानें संचालित करने के अधिकार	छ.ग. गौण खनिज नियम, 1986 (1) नियम 3 (1) में खदान क्षेत्र चिन्हित किये जाने का अधिकार (2) नियम 18 (2) में अनुज्ञा/उत्खनिपट्टा की स्वीकृति हेतु संबंधित ग्राम पंचायत का अभिमत आवश्यक है। (3) नियम 30 (13) में खदान से संबंधित लेख/अभिलेख की जांच के अधिकार (4) नियम 30 (15) (16) (17) (18) (19) में खनिजों के अवैध परिवहन पर जुर्मानें, अभिग्रहण एवं राजसात के अधिकार (5) नियम 30 (23) (एक) में निरीक्षण के प्रयोजन से प्रवेश का अधिकार (6) नियम 53 (2) में खनिजों के अवैध उत्खनन/ परिवहन पर खनिज प्रयुक्त औजार तथा वाहनों के अभिग्रहण करने के अधिकार (7) नियम 53 (5) में खनिजों के अवैध उत्खनन पर जुर्माने के अधिकार (8) नियम 56 में गौण खनिज राजस्व से अनुदान प्राप्त करने का अधिकार (9) छ.ग. गौण खनिज रेत रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय विनियमन निर्देश 2006 में ग्रामीण क्षेत्रों की रू. 5 लाख तक की अनुमानित वार्षिक रायल्टी की खदानें संचालित करने के अधिकार		

श्रम विभाग

छततीसगढ़ शासन, श्रम विभाग का पत्र क्रमांक 222/73/2006/16, दिनांक 28/01/2006 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थाओं को संशोधन पश्चात हस्तांतरित कार्य।

राज्य सेक्टर की गतिविधि	जिला पंचायत	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत	अमला	बजट व्यवस्था
			1. समस्त ग्राम पंचायतों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन निम्नलिखित अनुसूचित नियोजनों के संबंध में निरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है :– क्रमांक 1 से 5 नियोजन के अतिरिक्त निम्न को जोड़ा जाये :– (6) कृषि कार्य में संलग्न श्रमिकों का		

महिला एवं बाल विकास विभाग

छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग का पत्र क्रमांक 673/मबावि/समन्वय/07, दिनांक 26/05/2007 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थाओं को संशोधन पश्चात हस्तांतरित कार्य।

राज्य सेक्टर की गतिविधि	जिला पंचायत	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत	अमला	बजट व्यवस्था
विभाग द्वारा संचालित महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी शासकीय संस्थाएं 1. आयुष्मति योजना 2. समेकित बाल विकास सेवा परियोजना का संचालन 3. छ.ग. निर्धन कन्या सामूहिक विवाह योजना। 4. छ.ग. महिला कोष द्वारा संचालित योजनाएं 5. दत्तक पुत्री शिक्षा योजना 6. अशासकीय संस्थाओं को अनुदान	1. अनाथ बच्चों को पारिवारिक वातावरण की सुविधा. 2. बच्चों के लिये झूलाघर 3. चलित शिशुघर 4. महिला जागृति शिविर 5. दिशा दर्शन एवं भ्रमण कार्यक्रम 6. छ.ग. महिला कोष योजना 7.आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण/ पर्यवेक्षण	1. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं की नियुक्ति के अधिकार 2. आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण /पर्यवेक्षण	1. स्थानीय रूप से पोषण आहार की व्यवस्था 2. आंगनबाड़ी केन्द्रो की स्थापना हेतु गांवों का चयन 3. भवन निर्माण 4. आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण /पर्यवेक्षण	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/ सहायिका 3. समेकित महिला बाल विस्तार अधिकारी 4. पर्यवेक्षक के भर्ती के अधिकार जिला/जनपद पंचायत को.	विभाग की मांग संख्या 41 एवं 64 अंतर्गत संचालित योजनाओं से चलित शिशु घर, महिला जागृति शिविर, आदिवासी क्षेत्रों में पोषण आहार कार्यक्रम, झूलाघर बाल कल्याण क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाओं महिला जागृति शिविर एवं अनाथ बालकों को

ग्रामोद्योग विभाग–हाथकरघा प्रभाग

छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग का पत्र क्रमांक एफ 3–59/04/(6)52, दिनांक 09/11/2006 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थाओं को संशोधन पश्चात हस्तांतरित कार्य।

राज्य सेक्टर की गतिविधि	जिला पंचायत	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत	अमला	बजट व्यवस्था
विभिन्न प्रकार के ग्रामोद्योग, हाथकरघा, रेशम, चर्म विकास, हस्त शिल्प तथा खादी से संबंधित तकनीकी. जिला स्तर पर लगने वाली इकाईयों और ग्रामीण उद्यामियों को तकनीकी और विपणन संबंधी सहायता उपलब्ध कराना.	• कुटीर उद्योग की प्रगति का पर्यवेक्षण • प्रशिक्षण केन्द्र के खोलने की स्वीकृति प्रदान करना • प्रशिक्षुओं के भत्ते की व्यवस्था करना • जिला स्तर पर बाजार व्यवस्था करना • बीमा के कार्यो में समन्वय करना स्वैच्छिक संस्था को चयन करना	• खादी, ग्रामीण कुटीर उद्योग, रेशम एवं हस्तशिल्प की गतिविधियों का आकलन कर कार्ययोजना बनाना • चयनित स्वरोजगारियों को प्रशिक्षण प्रदाय करना। • कच्चा माल, उपकरणों एवं अन्य सामानों की पूर्ति करना। • लाईन डिपार्टमेंट के साथ समन्वय करना।	•ग्राम सभा के माध्यम से हितग्राहियों का चयन करना। • चयनित हितग्राहियों/समूहों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल को उपयोग करने हेतु प्रेरित करना तथा बीमा करवाना। •सामुदायिक कार्यशाला का निर्माण करना। •बाजार की व्यवस्था करने में सहयोग करना तथा कुटीर उद्योगों हेतु ऋण प्राप्त करने में स्वरोजगारियों को मदद करना।	• जनपद स्तरीय समस्त अमला जनपद पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करेगा। • जिला स्तरीय समस्त अमला जिला पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करेगा।	•जिला पंचायत से जनपद पंचायत को विभाग से संबंधित समस्त बजट। • राज्य शासन से प्राप्त होने वाले विभाग के जिला स्तरीय समस्त बजट

ग्रामोद्योग विभाग –रेशम प्रभाग

छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग का पत्र क्रमांक एफ 3–59/04/(6)52, दिनांक 09/11/2006 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थाओं को संशोधन पश्चात हस्तांतरित कार्य।

राज्य सेक्टर की गतिविधि	जिला पंचायत	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत	अमला	बजट व्यवस्था
विभिन्न प्रकार के ग्रामोद्योग, हाथकरघा, रेशम, चर्म विकास, हस्त शिल्प तथा खादी से संबंधित तकनीकी. जिला स्तर पर लगने वाली इकाईयों और ग्रामीण उद्यामियों को तकनीकी और विपणन संबंधी सहायता उपलब्ध	• कुटीर उद्योग की प्रगति का पर्यवेक्षण • प्रशिक्षण केन्द्र के खोलने की स्वीकृति प्रदान करना • प्रशिक्षुओं के भत्ते की व्यवस्था करना • जिला स्तर पर बाजार व्यवस्था करना • बीमा के कार्यो में समन्वय	• खादी, ग्रामीण कुटीर उद्योग, रेशम एवं हस्तशिल्प की गतिविधियों का आकलन कर कार्ययोजना बनाना • रेशम गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु भूमि आबंटन में सहयोग। • चयनित स्वरोजगारियों को प्रशिक्षण प्रदाय करना। • कच्चा माल, उपकरणों एवं अन्य सामानों	• ग्राम सभा के माध्यम से हितग्राहियों का चयन करना। • ग्राम सभा के माध्यम से रेशम गतिविधि को बढ़ावा देने हेतु भूमि उपलब्ध कराना। • चयनित हितग्राहियों/ समूहों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल को उपयोग करने हेतु प्रेरित करना तथा बीमा करवाना। • सामुदायिक कार्यशाला का निर्माण करना। • बाजार की व्यवस्था करने में सहयोग	•जनपद स्तरीय समस्त अमला जनपद पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करेगा। विभागीय अभिमत– रेशम प्रभाग में मैदानी स्तर पर कार्यरत समस्त पद (अमला) राज्य संवर्ग भर्ती के पद है। अतः इनका प्रशासकीय नियंत्रण जनपद पंचायत को नहीं सौपा जा सकता है। •जिला स्तरीय समस्त अमला जिला पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करेगा। विभागीय अभिमत– रेशम प्रभाग में मैदानी स्तर पर कार्यरत समस्त पद (अमला) राज्य संवर्ग भर्ती के पद है। अतः	• जिला पंचायत से जनपद पंचायत को विभाग से संबंधित समस्त बजट। विभागीय अभिमत– रेशम प्रभाग द्वारा जिला रेशम अधिकारी को बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा जिलेवार बजट आबंटित किया जाता है जिसका कि संबंधि जिला रेशम अधिकारी वि. ख. में कार्यरत केन्द्रों/योजनाओं की कार्ययोजना के अनुरूप बजट व्यय किया जाता है। अतः जनपद पंचायत स्तर पर विभागीय कार्य के अनुरूप बजट व्यय किया जाता है। अतः जनपद पंचायत स्तर पर विभागीय कार्य के अनुरूप व्यय की समीक्षा की जा सकती है। बजट का नियंत्रण दिया जाना संभव नहीं है। • राज्य शासन से प्राप्त होने वाले विभाग के जिला स्तरीय समस्त बजट विभागीय अभिमत– रेशम प्रभाग द्वारा जिला रेशम अधिकारी को बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा जिलेवार बजट आबंटित किया जाता है जिसका कि संबंधि जिला रेशम अधिकारी वि. ख. में कार्यरत केन्द्रों/योजनाओं की कार्ययोजना के अनुरूप बजट व्यय किया जाता है। अतः जिला पंचायत स्तर पर विभागीय कार्य के अनुरूप बजट व्यय किया

ग्रामोद्योग विभाग –हस्तशिल्प गतिविधियां

छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग का पत्र क्रमांक एफ 3–59/04/(6)52, दिनांक 09/11/2006 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थाओं को संशोधन पश्चात हस्तांतरित कार्य।

राज्य सेक्टर की गतिविधि	जिला पंचायत	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत	अमला	बजट व्यवस्था
विभिन्न प्रकार के ग्रामोद्योग, हाथकरघा, रेशम, चर्म विकास, हस्त शिल्प तथा खादी से संबंधित तकनीकी, जिला स्तर पर लगने वाली इकाईयों और ग्रामीण उद्यामियों को तकनीकी और विपणन संबंधी सहायता उपलब्ध कराना.	• प्रगति का पर्यवेक्षण करना। • जिले के शिल्पियों को औजार उपकरण स्वीकृत करना। • जिला स्तर पर बाजार व्यवस्था उपलब्ध कराना। • जिला स्तर पर लाई डिपार्टमेंट को अपेक्षित सहयोग कर योजनाओं का सफल संचालन करवाना।	• हस्तशिल्प गतिविधियों का आंकलन कर कार्ययोजना बनाना। • हस्तशिल्पियों के सर्वे के लिये मदद करना। • कच्चा माल, उपकरणों एवं अन्य सामानों की पूर्ति के लिये सहयोग करना। • लाईन डिपार्टमेंट के साथ समन्वया।	• ग्राम पंचायत अथवा प्राधिकृत पंच, हितग्राही चयन समिति में सम्मिलित। • प्रशिक्षण हेतु स्थल का निर्धारण करना। • प्रशिक्षण समाप्ति पर प्रमाण पत्र वितरित करना। • संचालित प्रशिक्षण केन्द्रों का निरीक्षण। • छात्रवृत्ति वितरण के समय सरपंच या प्राधिकृत पंच का उपस्थित रहना। • औजार उपकरण का वितरण पंचायत प्रतिनिधि के समक्ष करना। ☐ कर्मशाला अनुदान के लिये पंचायत प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित करना।	• जनपद स्तर पर बोर्ड का कोई कार्यालय एवं स्टॉफ नहीं है। समय–समय पर जिला कार्यालय से कर्मचारी जाकर कार्य संपन्न करते है। • सभी जिलों में बोर्ड के कार्यालय नहीं है। • जिन जिलों में कार्यालय है, उनके अधिकारी/कर्मचारी सीधे मुख्यालय के नियंत्रण में कार्य करते है।	जनपद स्तर पर कोई बजट प्राप्त नहीं होता है। जिला स्तर पर कोई बजट प्राप्त नहीं होता है। राज्य स्तर पर प्राप्त होने वाले बजट को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार राशि भेजी जाती है।

ग्रामोद्योग विभाग–छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग का पत्र क्रमांक एफ 3–59/04/(6)52, दिनांक 09/11/2006 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थाओं को संशोधन पश्चात हस्तांतरित कार्य।

राज्य सेक्टर की गतिविधि	जिला पंचायत	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत	अमला	बजट व्यवस्था
विभिन्न प्रकार के ग्रामोद्योग, हाथकरघा, रेशम, चर्म विकास, हस्त शिल्प तथा खादी से संबंधित तकनीकी. जिला स्तर पर लगने वाली इकाईयों और ग्रामीण उद्यामियों को तकनीकी और विपणन संबंधी सहायता उपलब्ध कराना.	• कुटीर उद्योग की प्रगति का पर्यवेक्षण • प्रशिक्षण केन्द्र के खोलने की स्वीकृति प्रदान करना • प्रशिक्षुओं के भत्ते की व्यवस्था करना • जिला स्तर पर बाजार व्यवस्था करना • बीमा के कार्यो में समन्वय करना स्वैच्छिक संस्था को चयन करना	• खादी, ग्रामीण कुटीर उद्योग, रेशम एवं हस्तशिल्प की गतिविधियों का आकलन कर कार्ययोजना बनाना • चयनित स्वरोजगारियों को प्रशिक्षण प्रदाय करना। • कच्चा माल, उपकरणों एवं अन्य सामानों की पूर्ति करना। • लाईन डिपार्टमेंट के साथ समन्वय करना।	• ग्राम सभा के माध्यम से हितग्राहियों का चयन करना। • चयनित हितग्राहियों/समूहों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल को उपयोग करने हेतु प्रेरित करना तथा बीमा करवाना। • सामुदायिक कार्यशाला का निर्माण करना। • बाजार की व्यवस्था करने में सहयोग करना तथा कुटीर उद्योगों हेतु ऋण प्राप्त करने में स्वरोजगारियों को मदद करना।	• जनपद स्तरीय समस्त अमला जनपद पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करेगा। • जिला स्तरीय समस्त अमला जिला पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करेगा।	• जिला पंचायत से जनपद पंचायत को विभाग से संबंधित समस्त बजट। • राज्य शासन से प्राप्त होने वाले विभाग के जिला स्तरीय समस्त बजट

कृषि विभाग

छत्तीसगढ़ शासन, कृशि विभाग का पत्र क्रमांक 2610/बी–3/23/2006/14–2, दिनांक 27/06/2006 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थाओं को संशोधन पश्चात हस्तांतरित कार्य।

राज्य सेक्टर की गतिविधि	जिला पंचायत	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत	अमला	बजट व्यवस्था
विभाग के अधीन– • समस्त प्रयोगशालाऐं • समस्त प्रशिक्षण केन्द्र • समस्त शासकीय प्रक्षेत्र • समस्त उद्यान रोपणी • समस्त विभाग के निगम/मण्डल /संस्थाएं/ कृषि वि.वि. /कृषि अभियांत्रिकी कर्मशाला एवं अमला • विभाग के अंतर्गत विभाग के नियंत्रण में संचालित गतिविधियां विभाग के अंतर्गत संचालित राज्य/केन्द्र पोषित/केन्द्र प्रवर्तित तथा वाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं के मार्गदर्शन निर्देश में विभाग के नियंत्रण में सौंपे गए कार्य तथा कृषि आदानों के गुण नियंत्रण कार्य।	कृषि विकास को बढ़ावा देने हेतु जिला स्तर पर– 1. कृषि मेला, कृषक संगोष्ठि, प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन का आयोजन करना। 2. कृषि से संबंधित योजनाओं का प्रचार–प्रसार कराना। 3. खरीफ एवं रबी कार्यक्रम का जनपद पंचायत द्वारा तैयार की गई कार्ययोजना का जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति से अनुमोदन कर विभागीय अधिकारियों को उसके अनुरूप कार्य करने हेतु निर्देशित करना तथा फसल कार्यक्रम के अनुरूप आदानों की व्यवस्था कराना। 4. वार्षिक कार्ययोजना का जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति से अनुमोदन तथा समीक्षा करना। 5. विभागीय योजनाओं के अंतर्गत जिले को प्राप्त लक्ष्य का वि.खण्डवार विभाजन तथा आवश्यक संशोधन, विशेष प्रकरणों में हितग्राहियों का चयन एवं जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति से अनुमोदन। 6. फसल बीमा योजना की प्रगति की समीक्षा एवं आवश्यक मार्गदर्शन देना। 7. जनपद पंचायत द्वारा विभागीय योजना के अंतर्गत 40 हैक्टर तक की सिंचाई तालाबों के निर्माण हेतु आबंटन उपलब्ध होने पर रू 10.00 लाख तक की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करना। 8. प्राकृतिक आपदा की स्थिति में कृषकों के लिए राहत की व्यवस्था करना।	कृषि विकास को बढ़ावा देने हेतु जनपद स्तर पर– 1. कृषि मेला, कृषक संगोष्ठि, प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन का आयोजन करना। 2. कृषि से संबंधित योजनाओं का प्रचार–प्रसार कराना। 3. ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित फसल कार्यक्रमों का संकलन कर जनपद पंचायत की कृषि स्थायी समिति के अनुमोदन पश्चात् विभाग के अधिकारियों के माध्यम से जिला पंचायत को प्रेषित करना। 4. ग्राम द्वारा अनुमोदित फसल कार्यक्रम के लिये आवश्यक कृषि आदानों का आंकलन एवं मांग जनपद पंचायत के कृषि स्थायी समिति से अनुमोदन कर विभाग के अधिकारियों के माध्यम से जिला पंचायत को प्रेषित करना। 5. विभिन्न विभागीय योजना में जिला पंचायत द्वारा लक्ष्यों का विकासखण्डवार विभाजन एवं पर्यवेक्षण। 6. फसल बीमा योजना का प्रचार–प्रसार। 7. जनपद पंचायत द्वारा अपने अधिनस्थ क्षेत्र में जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए नाडेप, बायोगैस, वर्मी कम्पोस्ट निर्माण हेतु किसानों को प्रोत्साहित करना तथा विभागीय अधिकारियों के सहयोग से हितग्राहियों का चयन करना। 8. जनपद पंचायत द्वारा विभागीय योजना के अंतर्गत 40 हैक्टर तक की सिंचाई तालाबों के निर्माण हेतु आबंटन उपलब्ध होने पर रू 5.00 लाख तक की प्रशासकीय स्वीकृति। 9. उन्नत कृषि एवं फल परीरक्षण संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन करना।	कृषि विकास को बढ़ावा देने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर– 1. कृषि मेला, कृषक संगोष्ठि, प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन का आयोजन करना। 2. कृषि से संबंधित योजनाओं का प्रचार–प्रसार कराना। 3. ग्राम पंचायत के अधीन ग्रामों के भूमि किस्म, उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए उपयुक्त खरीफ एवं रबी फसल कार्यक्रम का निर्धारण करना एवं अनुमोदन करना 4. अनुमोदित फसल कार्यक्रम के लिये आवश्यक कृषि आदानों का आंकलन कर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को प्रस्तुत करना। 5. विभिन्न विभागीय योजना के अनुसार फसल प्रदर्शन, बीज मिनीकिट, उन्नत कृषि यंत्र, स्प्रिंकलर सेट, पौध संरक्षण यंत्र, अनुदान पर वितरण हेतु पात्र हितग्राहियों का चयन एवं अनुमोदन 6. फसल बीमा योजना का प्रसार प्रचार एवं कृषकों को आवश्यक सहयोग प्रदान करना। 7. ग्राम पंचायत द्वारा अपने अधिनस्थ क्षेत्र में जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए नाडेप, बायोगैस, वर्मी कम्पोस्ट निर्माण हेतु किसानों को प्रोत्साहित करना तथा विभागीय अधिकारियों के सहयोग से हितग्राहियों का चयन करना। 8. ग्राम पंचायत द्वारा अपने अधिनस्थ क्षेत्र में निर्माण कार्यो हेतु स्थल का चयन कर प्रस्ताव विभागीय अधिकारियों के माध्यम से जनपद पंचायत को भेजना, एवं ग्राम पंचात को सौंपे गए संरचना का रखरखाव। 9. कम उत्पादन वाले क्षेत्र का मिट्टी परीक्षण करने हेतु नमूने विभागीय अधिकारियों के माध्यम से प्रयोगशाला भेजना। 10. प्राकृतिक आपदा की स्थिति में कृषकों को फसल स्थिति का आंकलन कर विभागीय अधिकारियों के माध्यम से उच्च स्तर को भेजें। 4. वार्षिक कार्ययोजना का जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति से अनुमोदन तथा समीक्षा करना। 5. विभागीय योजनाओं के अंतर्गत जिले को प्राप्त लक्ष्य का वि.खण्डवार विभाजन तथा आवश्यक संशोधन, विशेष प्रकरणों में हितग्राहियों का चयन एवं जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति से अनुमोदन। 6. फसल बीमा योजना की प्रगति की समीक्षा एवं आवश्यक मार्गदर्शन देना।	जिले में पदस्थ उप संचालक कृषि एवं उनके अधीन विस्तार एवं भू–संरक्षण में कार्यरत समस्त अमलों तथा जिलों में पदस्थ उद्यानिकी विभाग के उप–सहायक संचालक उद्यान एवं उनके अधिनस्थ अमलों पर जिला पंचायत का प्रशासकीय नियंत्रण रहेगा। पूर्व में जारी आदेश संलग्न है।	जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों को योजना से संबंधित बजट आबंटित किया जावेगा जिसका जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति से अनुमोदन लेकर विभागीय अधिकारियों द्वारा व्यय किया जावेगा। पंचायत मद– 80, 82 एवं 15 के बजट का नियंत्रण जिला पंचायत के अधीन रहेगा।

पशुपालन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन, कृषि (पशुपालन) विभाग का पत्र क्रमांक 1285/35/1184/प.रा./06, दिनांक 26/06/2006 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थाओं को संशोधन पश्चात हस्तांतरित

राज्य सेक्टर की गतिविधि	जिला पंचायत	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत	अमला	बजट व्यवस्था
1. राज्य पशु चिकित्सालय 2. चल पशु चिकित्सालय 3. समस्त रोग अनुसंधान प्रयोगशालाएँ 4. माता महामारी उन्मूलन योजना एवं उनकी इकाईयों तथा अमला 5. सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, प्रशिक्षण शाला 6. कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण शाला 7. कुक्कुट प्रशिक्षण शाला 8 .कुक्क परियोजना/ कुकुक्कटसंपदा/ हैचरी 9. केन्द्रीय वीर्य संग्रहायल 10. पशु स्वास्थ्य तथा जैविक उत्पाद संस्थान 11. तरल नत्रजन संयंत्र 12. मुहखुरी व्यापकी इकाई 13. पशु रोग सर्वेक्षण योजना 14. कुक्कुट अनुसंधान प्रक्षेत्र 15. समस्त प्रकार के पशु प्रजनन/कुक्कुट/सूकर / बकरी/बतख/प्रक्षेत्र 16. विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें 17. केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं 18. पशु चिकित्सा परिषद् से समन्वय 19. गौ सेवा आयोग से समन्वय	• जिला स्तर पर पशुधन विकास कुक्कुट पालन एवं दुग्ध व्यवस्था की एक समग्र योजना बनाना • जनपद स्तरीय औषधालयों की स्वीकृति प्रदान करना • दुग्ध संग्रहण, परिवहन एवं संवर्धन हेतु सहकारी संघों का गठन करना। • नए दुग्ध संग्रह मांगों को चिन्हित कर विकसित करना • जिला स्तरीय दुग्ध संवर्धन एवं पशुपालन की प्रशिक्षण आयोजित करना। • नवीन पशु औषधालय /पशु चिकित्सालय खोलने की स्वीकृति भवन व्यवस्था एवं भवन रख रखाव।	• पशु चिकित्सालयों का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण . • उन्नत किस्म के चार के बीजों का वितरण करना • पशुपालन के. उन्नत तकनीकों से कृषकों को अवगत कराने हेतु प्रशिक्षण आयोजित करना • दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों को सही एवं वक्त पर भुगतान सुनिश्चित कराना • चारागाह विकास संबंधी योजना स्वीकृत करना • कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र तथा पशु औषधालयों को स्वीकृत करना • महामारियों तथा संक्रामक रोगों की रोकथाम में मदद करना	• मवेशी कुक्कुट और अन्य पशुधन की उन्नति कार्यक्रम • पशुधन संबंधी योजनाओं को कार्ययोजना तैयार करना तथा हितग्राहियों का चयन करना। • कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र का निर्माण तथा रख रखाव करना • घारागाह विकास करना • दैविक आपदा के समय पशु चारे की व्यवस्था करना • पशु टीकाकरण कार्यक्रम का पर्यवेक्षण करना तथा महामारी की सूचना संबंधित को देते हुये जनपद पंचायत को अवगत कराना। • छोटे दुग्ध	• जनपद स्तरीय समस्त अमला जनपद पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करेगा। • जिला स्तरीय समस्त अमला जिला पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करेगा।	• जिला पंचायत से जनपद पंचायत को विभाग से संबंधित समस्त बजट। • राज्य शासन से प्राप्त होने वाले विभाग के जिला स्तरीय समस्त बजट

मछली पालन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन, कृषि (मछली पालन) विभाग का पत्र क्रमांक 908/36/मपा/प.रा./06, दिनांक 30/11/2006 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थाओं को संशोधन पश्चात हस्तांतरित

राज्य सेक्टर की गतिविधि	जिला पंचायत	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत	अमला	बजट व्यवस्था
1. अनुसंधान कार्य 2. अमले का प्रशिक्षण 3. मत्स्य बीज उत्पादन संबंधी समस्त कार्य 4. मत्स्यालय, मत्स्य विज्ञान केन्द्र का संचालन एवं प्रबंधन 5. भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त केन्द्र क्षेत्र एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं (मत्स्य कृषक विकास अधिकरण को छोड़कर) का क्रियान्वयन।	• 100 हे. से अधिक एवं 200 हे. औसत जलक्षेत्र तक के जलाशय को मत्स्य विकास के पट्टे पर देना • मछुवा सहकारी समितियों को ऋण एवं अनुदान स्वीकृत करना • मछुआरों का प्रशिक्षण आयोजित करना, • मत्स्य कृषकों को नवीन तकनीक से अवगत कराने हेतु अध्ययन भ्रमण एवं प्रशिक्षण आयोजित करना। • मत्स्य पालन प्रसार अंतर्गत आंलकारिक मछली पालन एवं झींगा पालन हु अनु.जाति/जनजाति के मछुआरों को अनुदान देना • मत्स्य कृषक विकास अभिकरण द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का क्रियान्वयन।	• 10 हेक्टेयर औसत जलक्षेत्र के तालाब में मत्स्य विकास के पट्टे देना • मत्स्य बीज संचयन की मांग एकत्र कर मत्स्य बीज प्रदाय करना। • सहकारी समितियों एवं निजी मत्स्य पालकों को मत्स्य बीज उत्पादन एवं संवर्धन हेतु सहयोग करना	• 10 हेक्टेयर औसत जलक्षेत्र के तालाब में मत्स्य विकास के पट्टे देना • हितग्राही मूलक योजनाओं के हितग्राहियों का चयन करना तथा जनपद पंचायत को भेजना • बीमा करने हेतु हितग्राहियों क चयन कर प्रस्ताव विभाग को प्रेषित करना।	जनपद स्तरीय समस्त अमला जनपद पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करेगा। • जिला स्तरीय समस्त अमला जिला पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करेगा।	जो कार्यक्रम/परियोजनाएं अंतरित की गई उनसे संबंधित राशि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्ग बजट मद 80, 82, 15 में अंतरित।

लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग

छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग का पत्र क्रमांक 2125/एफ –1/06/34–2/04, दिनांक 17/08/2006 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थाओं को संशोधन पश्चात हस्तांतरित कार्य।

राज्य सेक्टर की गतिविधि	जिला पंचायत	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत	अमला	बजट व्यवस्था
1. नये नलकूपों का चयन, खनन 2. नल – जल योजनाओं का निर्माण 3. हैण्ड पंप जल योजनाओं का संधारण 4. संपूर्ण स्वच्छता अभियान एवं स्वजलधारा का अनुश्रवण 5. भूजल संवर्धन योजनाओं को बनाना एवं क्रियान्वित करना	1. कुआं, छोटी टंकियों का निर्माण 2. स्वच्छ शौचालयों का निर्माण करना 3. संपूर्ण स्वच्छता अभियान का क्रियान्वयन करना 4. शालाओं एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में स्वच्छता परिसर का निर्माण कराना 5. परंपरागत जल श्रोतो का जीर्णोद्धार एवं शुद्धीकरण करना अवशिष्ट ठोस एवं जल निकास व्यवस्था।	• जिन बसाहटो में पानी की कमी है उन्हें चिन्हित करना, वरीयता के आधार पर उन गांवों में पानी के दोहन हेतु जगहों को चिन्हित करना • पेयजल नमूने इकट्ठे करना तथा प्रयोगशाला भेजकर जांच कराना। • ग्रीष्म ऋतु में आवश्यकता अनुसार पेयजल परिवहन की व्यवस्था करना • जिला पंचायत से जनपद पंचायत को विभाग से संबंधित समस्त बजट • परंपरागत जल श्रोतो का जीर्णोद्धार एवं शुद्धीकरण करना अवशिष्ट ठोस एवं जल निकास व्यवस्था।	• पेयजल के दोहन के लिए स्थानों का चिन्ही करण करना, व्यय का आकंलन करना है एवं गांव स्तरीय पेयजल परियोजना ग्राम सभा के साथ मिल कर प्रस्तावित करना • ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु बड़ी योजना प्रस्तावित करना • भू–जल एवं सतही जल प्रबंधन का प्रचार–प्रसार करना • संपूर्ण स्वच्छता अभियान में जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायतों को समय–समय पर मार्गदर्शन देना।		राज्य शासन से प्राप्त होने वाले जिला स्तरीय बजट

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का पत्र क्रमांक 1794/खाद्य/2006, दिनांक 13/06/2006 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थाओं को संशोधन पश्चात हस्तांतरित

राज्य सेक्टर की गतिविधि	जिला पंचायत	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत	अमला	बजट व्यवस्था
1. ग्राम पंचायत की सौंपी गई गतिविधि को छोड़कर शेष सभी	▯ निगरानी समिति के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा कर ▯ ए.पी.एल. राशनकार्ड का मुद्रण कराना तथा वितरण हेतु ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराना। ▯ जिला स्तरीय कार्य योजना बनाना। ▯ उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु निर्धारित एजेंसियों को कार्यशील पूंजी आबंटित करने हेतु जनपद पंचायतों को राशि उपलब्ध कराना। ▯ सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित जनपद पंचायत स्तर पर अनिराकृत समस्याओं की सुनवाई निगरानी समिति के माध्यम से करना तथा उनका निराकरण करना। ▯ अनिराकृत प्रकरणों को खाद्य विभाग को निराकरण हेतु उपलब्ध करना।	• निगरानी समिति के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा करना • सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित ग्राम पंचायत स्तर पर अनिराकृत समस्याओं की सुनवाई निगरानी समिति के माध्यम से करना। • उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु निर्धारित एजेंसियों को कार्यशील पूंजी आबंटित कराना। • ग्राम पंचायतों से प्राप्त कार्ययोजना को संकलित कर जनपद स्तरीय समीक्षा करना एवं कार्ययोजना तैयार करना।	• ग्राम पंचायत क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकानों की आवश्यकता का आकलन कर सक्षम अधिकारी को प्रस्ताव देना। • उचित मूल्य की दुकानों जहां पंचायतों को सौंपी गई है, के संचालन की व्यवस्था करना। • क्षेत्र की संचालित उचित मूल्य की दुकानों का निगरानी समिति के माध्यम से पर्यवेक्षण करना। • हितग्राहीमूलक योजनाओं, हितग्राहियों को लाभ दिलाने हेतु ग्राम सभाओं के माध्यम से पात्र हितग्राहियों का चिन्हांकन करना तथा उन्हें लाभ दिलाना सुनिश्चित करना। • ए.पी.एल. राशनकार्ड बनाना एवं वितरण कराना। • खाद्य विभाग द्वारा मुद्रित एवं कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए गए बी.पी.एल. अन्त्योदय अन्न योजना एवं अन्नपूर्णा योजना के राशनकार्डों को पात्र हितग्राहियों को वितरित करना। • ए.पी.एल., बी.पी.एल. अन्त्योदय अन्न योजना एवं अन्नपूर्णा योजना के राशनकार्डों की पात्रता का प्रतिवर्ष ग्राम सभाओं के माध्यम से परीक्षण करना। • निगरानी समिति के माध्यम से उचित मूल्य दुकानों के संचालन से संबंधित समस्याओं के आवेदन प्राप्त करना एवं उनका निराकरण करना। • ग्रेन बैंकों की स्थापना एवं संचालन करना। • उपभोक्ता अधिकारों का प्रचार-प्रसार करना। • स्कूलों में कन्ज्यूमर क्लबों का गठन करना।		विभाग के बजट में उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु उपलब्ध कराई जाने वाली कार्यशील पूंजी की राशि जिला पंचायत को प्रदाय। कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराना।

खेल और युवा कल्याण विभाग

छत्तीसगढ़ शासन, खेल और युवा कल्याण विभाग का पत्र क्रमांक 915/960/06/9, दिनांक 27/11/2006 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थाओं को संशोधन पश्चात हस्तांतरित कार्य।

राज्य की गतिविधि	ग्राम पंचायत	जनपद पंचायत	जिला पंचायत	अमला	बजट
1. राज्य स्तरीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता एवं अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं में भाग लेना 2. राज्य स्तरीय महिला खेलकूद प्रतियोगिता एवं अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं में भाग लेना 3. राज्य स्तरीय खेल प्रतिभा खोज स्पर्धा का आयोजन 4. क्षेत्रीय एवं राज्य प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन 5. शेष समस्त विभागीय गतिविधियां राज्य सेक्टर की है।	➢ खेल मैदान का विकास एवं संधारण कार्य ➢ ग्राम में खेलकूद संबंधी कार्यक्रम आयोजित करना ➢ ग्राम पंचायत क्षेत्र में खेलकूद की सुविधाएं बढ़ाने के लिए कार्य योजना तैयार करना तथा क्रियान्वयन करना	• जनपद स्तरीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करना एवं खिलाड़ियों का चयन कर जिला स्तर पर भेजना • जनपद स्तरीय खेल संबंधी प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आंकलन करना तथा जिला पंचायत को भेजना	➢ जिला स्तरीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करना ➢ जिले में नये खेलों एवं एथलेटिक्स को बढ़ावा देना ➢ जिला स्तरीय खेल प्रतिभा खोज स्पर्धा एवं क्षेत्रीय प्रतियोगिता में दल भेजना	जिला स्तरीय अमला उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जिला पंचायत के कार्यकारी नियंत्रण में कार्य करेगा।	जनपद एवं जिला स्तर की योजना से संबंधित स्वीकृत बजट

जलसंसाधन विभाग

छततीसगढ़ भासन, जलसंसाधन विभाग का पत्र क्रमांक 4335/बी–6/2997/स्था./31/06, दिनांक 2/08/2007 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थाओं को संशोधन पश्चात हस्तांतरित

गतिविधि	विवरण
1. लघुसिंचाई योजनाएं 2. जल प्रबंधन	40 हेक्टेअर से कम क्षमता वाले लघु सिंचाई योजनाओं के संधारण एवं संचालन का कार्य ग्राम पंचायतों को सौंपा गया है। प्रदेश में जल प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (पीआईएम) अधिनियम 2006 लागू किया गया है। जल प्रबंधन के कार्य कृशकों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु जल उपभोक्ता संस्थाओं का निर्माण किया गया है। जिनका नियमित निर्वाचन होता है। जल उपभोक्ता संस्थाएं अपने–अपने कार्यक्षेत्र में सिंचाई योजनाओं के प्रबंधन का कार्य देखेंगी।

ऊर्जा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग का पत्र क्रमांक 1614/13/उवि/मानचित्रण/2006, दिनांक 07/07/2006 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थाओं को संशोधन पश्चात हस्तांतरित कार्य।

ग्राम पंचायत	जनपद पंचायत	जिला पंचायत
• ग्राम पंचायत के आबादी क्षेत्र में सड़कबत्ती हेतु विद्युत पोल तथा लाईन की आवश्यकता का आंकलन कर प्रस्ताव मण्डल को प्रेशित करना। • ग्राम पंचायत क्षेत्रान्तर्गत घरेलु विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र इकट्ठा कर विद्युत विभाग को प्रेशित करना। • अवैध विद्युत कनेक्शन तथा विद्युत चोरी की सूचना विभाग को देना तथा रोकने का प्रयास करना। • कृषि के सीजन में लो वोल्टेज सूचना/कटौती की सूचना जनपद पंचायत को देना। • केडा द्वारा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों के प्रचार–प्रसार हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामवासियों की सहभागिता के साथ समय–समय पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। • केडा द्वारा सौर पावर प्लांट स्थापित कर ग्रामों में सामुदायिक प्रकाशन व्यवस्था की जाती है। संबंधित विभागों से हितग्राही अंशदान केडा को प्राप्त होने पर संयंत्रों की स्थापना का कार्य किया जाएगा। • जेट्रोफा प्लांटेशन हेतु ग्रामों के हितग्राहियों को केडा की नर्सरी से 500 पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते है एवं प्रचार–प्रसार के कार्यक्रम नियमित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा।	• कृषि के सीजन में लो वोल्टेज/कटौती की समस्या का निराकरण हेतु ग्राम पंचायतों से जानकारी प्राप्त कर जिला पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करना। • जेट्रोफा स्पंज हेतु कृषि के लिए अनुपयोगी भूमि का चयन कर हितग्राहियों के माध्यम से जेट्रोफा का वृक्षारोपण कराना।	• लो वोल्टेज/कटौती की समस्या का निराकरण हेतु जनपद पंचायतों से जानकारी प्राप्त कर विद्युत विभाग के समक्ष प्रस्तुत करना।

परिशिष्ट 6.2

पंचायतों को सौपे गये कृत्यों के क्रियान्वयन के लिये विभिन्न विभागों द्वारा प्रावधानित राशि

क्र.	शासकीय विभाग	वर्ष	मांग संख्या **80**			मांग संख्या **820TSP** एवं क्र. **41**	मांग संख्या **150SCP** एवं क्र. **64**	कुल योग **(6+7+8)**
			आयोजनेत्तर	आयोजना	योग			
1	2	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	स्कूल शिक्षा	2008-09	0	4500	4500	1	61	4562
		2009-10	9550	11645	21195	0	95	21290
		2010-11	15500	26671.5	42171.5	0	95	42266.5
		योग	**25050**	**42816.5**	67866.5	**1**	**251**	68118.5
		2011-12	*29500*	*33150*	62650	*0*	*0*	62650
		2012-13	*34000*	*40400*	74400	*0*	*0*	74400
2	स्वास्थय एवं परिवार कल्याण	2008-09	633	0	633	0	0	633
		2009-10	698	0	698	0	0	698
		2010-11	0	0	0	0	0	0
		योग	**1331**	**0**	1331	**0**	**0**	1331
		2011-12	*18579*	*7360*	25939	*11009*	*3044*	39992
		2012-13	*19909*	*8964*	28873	*11616*	*3176*	43665
3	लोक स्वास्थय यांत्रिकी	2008-09	955	850	1805	310	177.5	2292.5
		2009-10	1050	1100	2150	382.5	222	2754.5
		2010-11	700	1100	1800	497	222	2519
		योग	**2705**	**3050**	5755	**1189.5**	**621.5**	7566
		2011-12	*1000*	*940*	1940	*495*	*222*	2657
		2012-13	*1000*	*500*	1500	*65*	*0*	1565
4	समाज कल्याण	2008-09	8800	3100	11900	2356	744	15000
		2009-10	8800	5000	13800	3504	1170	18474
		2010-11	10127.94	8090	18217.94	4370	1555.5	24143.44
		योग	**27727.94**	**16190**	43917.94	**10230**	**3469.5**	57617.44
		2011-12	*15103*	*12273*	27376	*7191*	*2816*	37383
		2012-13	*16000*	*11682*	27682	*6118*	*1997*	35797
5	महिला एवं बाल विकास	2008-09	8.72	100	108.72	11	31.47	151.19
		2009-10	7.5	102.5	110	13	37.7	160.7
		2010-11	7.5	103	110.5	13	37.7	161.2
		योग	**23.72**	**305.5**	329.22	**37**	**106.87**	473.09
		2011-12	0	0	0	0	0	0
		2012-13	0	0	0	0	0	0
6	कृषि	2008-09	0	0	0	695	730	1425
		2009-10	0	0	0	0	0	0
		2010-11	0	0	0	0	0	0
		योग	**0**	**0**	0	**695**	**730**	1425
		2011-12	0	0	0	0	0	0
		2012-13	0	0	0	0	0	0
7	पशु पालन	2008-09	142	100	242	116.3	12	370.3
		2009-10	142	125.5	267.5	67.5	12	347
		2010-11	135	125.5	260.5	70	12	342.5
		योग	**419**	**351**	770	**253.8**	**36**	1059.8
		2011-12	0	0	0	0	0	0
		2012-13	0	0	0	0	0	0

8	मत्स्य विभाग	2008-09	155	222.4	377.4	96.35	90.32	564.07
		2009-10	158	397.4	555.4	145	190.45	890.85
		2010-11	165	538.5	703.5	150.75	371.07	1225.32
		योग	**478**	**1158.3**	1636.3	**392.1**	**651.84**	2680.24
		2011-12	0	0	0	0	0	0
		2012-13	0	0	0	0	0	0
9	ग्रामउद्योग	2008-09	131	50	181	5.5	2	188.5
		2009-10	141.25	47	188.25	0	0	188.25
		2010-11	180.6	47	227.6	0	0	227.6
		योग	**452.85**	**144**	596.85	**5.5**	**2**	604.35
		2011-12	0	0	0	0	0	0
		2012-13	0	0	0	0	0	0
10	आदिम जाति कल्याण विभाग	2008-09	0	0	0	18670.95	1716.95	20387.9
		2009-10	0	0	0	35525	1896	37421
		2010-11	0	0	0	48222	2076	50298
		योग	0	0	0	**102417.95**	**5688.95**	108106.9
		2011-12	0	0	0	*39500*	*130*	39630
		2012-13	0	0	0	*48000*	*115*	48115
11	खनिज विभाग	2008-09	0	3862	3862	0	0	3862
		2009-10	0	5775	5775	0	0	5775
		2010-11	0	3163	3163	0	0	3163
		योग	0	**12800**	12800	0	0	12800
		2011-12	0	0	0	0	0	0
		2012-13	0	0	0	0	0	0
12	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	2008-09	0	*0*	0	*0*	*0*	0
		2009-10	0	0	0	0	0	0
		2010-11	0	0	0	0	0	0
		योग	0	0	0	0	0	0
		2011-12	58154	*28350*	86504	*41106*	*5402*	133012
		2012-13	65168	*33100*	98268	*40992*	*5343*	144603
	कुल योग	**2008-09**	**10824.72**	**12784.4**	**23609.12**	**22262.1**	**3565.24**	**49436.46**
		2009-10	**20546.75**	**24192.4**	**44739.15**	**39637**	**3623.15**	**87999.3**
		2010-11	**26816.04**	**39838.5**	**66654.54**	**53322.75**	**4369.27**	**124346.6**
		योग	**58187.51**	**76815.3**	**135002.81**	**115221.85**	**11557.66**	**261782.3**
		2011-12	**122336**	**82073**	**204409**	**99301**	**11614**	**315324**
		2012-13	**136077**	**94646**	**230723**	**106791**	**10631**	**348145**

टिप्पणी :–

1. केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ उक्त तालिका में सम्मिलित नहीं है।

परिशिष्ट – 7.1
सेम्पल ग्राम पंचायतों की कुल प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश (प्रतिशत) : वार्षिक औसत – 2006–07 से 2010–11

(राशि रूपये में)

क्र	जिला	संपत्ति कर		निजी शौचालयों पर कर		प्रकाश कर		वृत्ति कर		जल कर		नाली कर		वाहन कर		सफाई कर	
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
1	बालोद	1741	0.16	-	-	2791	0.26	240	0.02	4919	0.45	-	-	-	-	15	-
2	बलौदाबाजार	2313	0.25	33	-	191	0.02	271	0.03	1082	0.11	t	-	18	t	-	-
3	बलरामपुर	7261	1.18	76	0.01	3	-	98	0.02	-	-	238	0.04	74	0.01	6	-
4	बस्तर	4787	0.54	-	-	-	-	297	0.03	2743	0.31	876	0.10	48	0.01	2	-
5	बेमेतरा	659	0.08	68	0.01	4080	0.52	33	T	967	0.12	116	0.01	-	-	22	-
6	बीजापुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	बिलासपुर	7279	0.67	-	-	-	-	155	0.01	568	0.05	1414	0.13	-	-	-	-
8	दंतेवाड़ा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	धमतरी	1723	0.12	32	-	1566	0.11	449	0.03	5210	0.37	-	-	-	-	16	-
10	दुर्ग	2	-	-	-	58	-	481	0.04	1061	0.09	82	0.01	27	t	140	0.01
11	गरियाबंद	2269	0.23	646	0.07	1951	0.20	824	0.08	3086	0.31	123	0.01	-	-	84	0.01
12	जांजगीर–चांपा	256	0.02	-	-	-	-	772	0.06	1111	0.09	-	-	-	-	89	0.01
13	जशपुर	2767	0.40	8	t	61	0.01	259	0.04	t	-	-	-	-	-	16	-
14	कांकेर	1815	0.09	-	-	3539	0.17	502	0.02	6569	0.32	-	-	-	-	-	-
15	कबीरधाम	31	-	-	-	1	-	229	0.02	825	0.09	-	-	-	-	-	-
16	कोंडागांव	6	-	-	-	27	-	-	-	240	0.01	-	-	-	-	-	-
17	कोरबा	21	-	-	-	-	-	125	0.01	63	0.01	-	-	-	-	-	-
18	कोरिया	45	-	-	-	332	-	1948	0.20	1156	0.12	-	-	7	-	-	-
19	महासमुन्द	1389	0.17	18	t	98	0.05	385	0.05	1668	0.20	20	T	-	-	1	-
20	मुंगेली	1589	0.12	4357	0.32	t	t	63	T	1054	0.08	141	T	17	-	101	0.01
21	नारायणपुर	-	-	-	-	29	t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	रायगढ़	2105	0.19	26	-	867	-	95	0.01	615	0.06	16	-	-	-	26	-
23	रायपुर	1042	0.09	16	-	327	0.14	588	0.05	3162	0.27	19	-	-	-	90	0.01
24	राजनांदगांव	197	0.03	254	0.03	t	t	131	0.02	1780	0.23	3	-	96	0.01	2	-
25	सरगुजा	211	0.02	9	-	-	-	t	-	191	0.02	-	-	-	-	-	-
26	सुकमा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	सूरजपुर	73	0.01	-	-	-	-	368	0.03	1970	0.19	-	-	-	-	-	-
	महायोग	1712	0.16	185	0.02	605	0.06	314	0.03	1611	0.15	132	0.01	13	t	23	t

A: प्रति चयनित ग्राम पंचायत में वार्षिक औसत राजस्व (रू.) में.

B: कुल प्राप्तियों में अंश प्रतिशत। पूर्णांक लिये जाने के कारण प्रतिशतों का योग 100 से कुछ कम या अधिक हो सकता है।

C: जो व्यक्ति व्यवसाय, एजेंसी चला रहे हो उनसे प्राप्त कर को अन्य में लिया गया है।

परिशिष्ट – 7.1 (क्रमशः.....)
सेम्पल ग्राम पंचायतों की कुल प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश (प्रतिशत) : वार्षिक औसत – 2006–07 से 2010–11

(राशि रूपये में)

क्र.	जिला	अन्य		अनिवार्य करों का योग		ऐच्छिक करों का योग		महायोग		प्रति व्यक्ति कर राजस्व
		A	B	A	B	A	B	A	B	
1	बालोद	14109	1.29	4772	0.44	19043	1.75	23815	2.19	12.99
2	बलौदाबाजार	995	0.11	2808	0.29	2115	0.22	4923	0.51	2.16
3	बलरामपुर	-	-	3437	1.21	318	0.05	3755	1.26	1.84
4	बस्तर	1	t	5084	0.58	3669	0.42	8753	1.00	3.98
5	बेमेतरा	320	0.04	4841	0.61	1425	0.18	6266	0.79	2.90
6	बीजापुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	बिलासपुर	408	0.04	7435	0.69	2390	0.22	9825	0.91	4.10
8	दंतेवाड़ा	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	धमतरी	1862	0.13	3770	0.27	7088	0.50	10858	0.77	5.56
10	दुर्ग	2875	0.23	541	0.05	4185	0.34	4726	0.39	2.04
11	गरियाबंद	1846	0.19	5689	0.58	5139	0.52	10828	1.10	5.98
12	जांजगीर–चांपा	11989	0.93	1027	0.08	13189	1.03	14216	1.11	5.87
13	जशपुर	12	t	3096	0.44	36	0.01	3132	0.45	1.66
14	कांकेर	302	0.01	5856	0.29	6871	0.34	12727	0.63	7.31
15	कबीरधाम	445	0.05	261	0.03	1270	0.14	1531	0.17	0.77
16	कोंडागांव	-	-	6	t	240	0.01	246	0.01	0.12
17	कोरबा	135	0.02	173	0.02	198	0.02	371	0.04	0.17
18	कोरिया	363	0.04	1993	0.21	1526	0.16	3519	0.37	1.83
19	महासमुन्द	1682	0.20	2125	0.25	3371	0.40	5496	0.65	2.96
20	मुंगेली	1384	0.10	6107	0.45	2570	0.19	8677	0.64	4.11
21	नारायणपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	रायगढ़	127	0.01	2255	0.20	784	0.07	3039	0.27	1.71
23	रायपुर	39206	3.35	2513	0.22	42476	3.63	44989	3.85	19.85
24	राजनांदगांव	1037	0.14	908	0.12	2919	0.38	3827	0.50	2.09
25	सरगुजा	18	-	220	0.03	209	0.02	429	0.05	0.22
26	सुकमा	-	-	-	-	-	-			-
27	सूरजपुर	75	0.01	440	0.04	2045	0.19	2485	0.23	1.14
	महायोग	**3398**	**0.32**	**2816**	**0.27**	**5178**	**0.48**	7994	0.75	**3.97**

A: प्रति चयनित ग्राम पंचायत में वार्षिक औसत राजस्व (रू.) में.

B: कुल प्राप्तियों में अंश प्रतिशत। पूर्णांक लिये जाने के कारण प्रतिशतों का योग 100 से कुछ कम या अधिक हो सकता है।

C: जो व्यक्ति व्यवसाय, एजेंसी चला रहे हो उनसे प्राप्त कर को अन्य में लिया गया है।

परिशिष्ट – 7.2

सेम्पल ग्राम पंचायतों की कुल प्राप्तियों में कर भिन्न राजस्व का अंश (प्रतिशत) : वार्षिक औसत 2006–07 से 2010–11

क्र.	जिला	सेम्पल ग्राम पंचायत		वार्षिक औसत प्राप्ति							कुल
		संख्या	औसत जनसंख्या	बाजार शुल्क	पशुओं की बिक्री शूल्क	किराया	लायसेंस शुल्क	कांजी हाउस	व्याज प्राप्ति	अन्य	प्रति सेम्पल ग्राम पंचायत औसत प्राप्ति
1	बालोद	79	1834	29604	478	1441	-	-	225	18506	50254
2	बलौदाबाजार	100	2282	4999	3911	456	-	1033	182	5694	16275
3	बलरामपुर	68	2046	23	289	275	119	412	1446	1284	3849
4	बस्तर	63	2202	26	10	96	96	265	9280	269	10042
5	बेमेतरा	67	2159	3872	203	353	14	1009	802	9239	5492
6	बीजापुर	31	1437	217	-	-	-	-	-	-	217
7	बिलासपुर	111	2418	1138	344	1198	62	418	209	2014	5383
8	दंतेवाड़ा	23	1884	-	-	-	-	-	-	-	-
9	धमतरी	67	1952	1940	468	627	4	295	707	5808	9849
10	दुर्ग	53	2312	147	292	570	1387	1551	2175	9421	15548
11	गरियाबंद	62	1808	1594	2521	84	7	193	251	6010	10659
12	जांजगीर–चांपा	115	2423	13125	107	1792	31	447	1461	12805	29768
13	जशपुर	82	1888	1226	127	639	10	62	271	1332	3667
14	कांकेर	77	1741	19	611	707	3213	554	1248	2525	8877
15	कबीरधाम	74	2002	4849	1374	12	275	1007	2597	2519	12633
16	कोंडागांव	53	1979	76	-	68	13	38	2851	2823	5868
17	कोरबा	70	2160	7990	432	51	49	59	771	5284	14636
18	कोरिया	47	1922	24	219	74	34	232	1151	522	2256
19	महासमुन्द	98	1858	1463	2564	97	13	469	1757	3998	10361
20	मुंगेली	60	2113	16	374	423	-	821	995	1167	3796
21	नारायणपुर	14	1711	1371	-	-	-	-	-	-	1371
22	रायगढ़	140	1777	6932	116	514	-	109	1506	1384	10561
23	रायपुर	78	2267	49996	5885	11382	335	622	543	16641	85405
24	राजनांदगांव	138	1828	15358	299	848	38	83	197	10070	26893
25	सरगुजा	71	1981	28	1	37	42	68	195	243	615
26	सुकमा	26	1680	-	-	-	-	-	-	-	-
27	सूरजपुर	78	1830	1858	2958	518	79	342	3781	4292	13828
	महायोग	**1945**	**2014**	**6841**	**996**	**976**	**214**	**395**	**1302**	**5368**	**16092**

टिप्पणी– प्रति सेम्पल ग्राम पंचायत वार्षिक औसत प्राप्ति रु. में है

परिशिष्ट – 7.3

सेम्पल ग्राम पंचायतों की प्रति व्यक्ति औसत प्राप्तियां, व्यय एवं आंतरिक स्त्रोतो से आय वार्षिक औसत 2006–07 से वर्ष 2010–11

क.	जिला	सेम्पल ग्राम पंचायतों की संख्या	ग्राम पंचायत की औसत जनसंख्या (2011)	सेम्पल ग्राम पंचायतों की कुल जनसंख्या (2011)	आंतरिक संसाधनों से औसत वार्षिक प्राप्तियां		सेम्पल ग्राम पंचायतों की वार्षिक औसत प्राप्तियां		ग्राम पंचायतों का वार्षिक औसत व्यय	
					राशि (रू. में)	प्रति व्यक्ति (रू. में)	राशि (लाख रू. में)	प्रति व्यक्ति (रू. में)	राशि (लाख रू. में)	प्रति व्यक्ति (रू. में)
1	बालोद	79	1834	144886	74069	40.39	10.90	594	7.39	403
2	बलौदाबाजार	100	2282	228200	21198	9.29	9.42	413	4.87	213
3	बलरामपुर	68	2046	139128	11603	6.75	6.17	302	6.75	330
4	बस्तर	63	2202	138726	18795	8.54	8.80	400	4.33	197
5	बेमेतरा	67	2159	144653	21757	10.08	7.80	361	4.45	206
6	बीजापुर	31	1437	44547	217	0.15	8.66	603	3.22	224
7	बिलासपुर	111	2418	268398	15208	6.29	10.88	450	5.80	240
8	दंतेवाड़ा	23	1884	43332	0.00	0.00	12.21	648	2.06	109
9	धमतरी	67	1952	130784	20707	10.61	14.18	726	34.06	1745
10	दुर्ग	53	2312	122536	20269	8.77	12.44	538	10.64	460
11	गरियाबंद	62	1808	112096	21487	11.88	9.83	544	8.11	449
12	जांजगीर–चांपा	115	2423	278645	43984	18.15	12.84	530	8.14	336
13	जशपुर	82	1888	154816	6798	3.60	6.97	369	3.22	171
14	कांकेर	77	1741	134057	21604	12.41	20.30	1166	11.99	689
15	कबीरधाम	74	2002	148148	14164	7.07	9.31	465	5.49	274
16	कोंडागांव	53	1979	104887	6114	3.09	19.06	963	10.59	535
17	कोरबा	70	2160	151200	15007	6.95	8.39	388	22.84	10574
18	कोरिया	47	1922	90334	5774	3.00	9.74	507	3.57	186
19	महासमुन्द	98	1858	182084	15856	8.53	8.38	451	5.99	322
20	मुंगेली	60	2113	126780	12473	5.90	13.62	644	2.30	109
21	नारायणपुर	14	1711	23954	1371	0.80	16.57	969	3.60	210
22	रायगढ़	140	1777	248780	13600	7.65	11.15	627	9.84	554
23	रायपुर	78	2267	176826	130394	57.52	11.71	516	5.03	222
24	राजनांदगांव	138	1828	252264	30721	16.81	7.61	416	4.63	253
25	सरगुजा	71	1981	140651	1044	0.53	8.91	450	0.84	42
26	सुकमा	26	1680	43680	0.00	0.00	11.69	696	7.09	422
27	सूरजपुर	78	1830	142740	16314	8.91	10.60	579	5.71	312
	महायोग	**1945**	**2014**	**39,17,230**	**24085**	**11.96**	**10.69**	**531**	**7.78**	**386**

परिशिष्ट – 7.4

ग्राम पंचायत आंतरिक संसाधनों में घटकों का कुल कर राजस्व, कुल आंतरिक संसाधन, कुल प्राप्तियों में अशंदान तथा ग्राम पंचायत की प्रति व्यक्ति आय

क.	आंतरिक संसाधन (IRM) के घटक	प्रति सेम्पल ग्राम पंचायत का वार्षिक औसत राजस्व				राज्य के सभी ग्राम पंचायतों के लिये वार्षिक औसत राजस्व				प्रति व्यक्ति (रू.में) (2011 की ग्रामीण जनसंख्या के अनुसार)
		राशि	कुल कर का प्रति शत/कर भिन्न राजस्व	कुल आंतरिक संसाधन का प्रति शत	कुल प्राप्तियों का प्रति शत	राशि (लाख रू. में)	कुल कर का प्रति शत/कर भिन्न राजस्व	कुल आंतरिक संसाधन का प्रति शत	कुल प्राप्तियों का प्रति शत	
I	कर राजस्व									
A	अनिवार्य कर									
1	संपत्ति कर	1712	21.42	7.11	0.16	166.65	21.42	7.11	0.16	0.85
2	निजी शौचालयों पर कर	185	2.31	0.77	0.02	18.01	2.31	0.77	0.02	0.09
3	प्रकाश कर	605	7.57	2.51	0.06	58.89	7.57	2.51	0.06	0.30
4	वृत्ति कर	314	3.93	1.30	0.03	30.56	3.93	1.30	0.03	0.16
	उप–योग : I-A	**2816**	**35.23**	**11.69**	**0.27**	**274.11**	**35.23**	**11.69**	**0.27**	**1.40**
B	ऐच्छिक कर									
5	जलकर	1611	20.16	6.69	0.15	156.81	20.16	6.69	0.15	0.80
6	नाली कर	132	1.65	0.55	0.01	12.85	1.65	0.55	0.01	0.07
7	वाहन कर	13	0.16	0.05	t	1.27	0.16	0.05	T	t
8	सफाई कर	23	0.29	0.10	t	2.24	0.29	0.10	T	0.01
9	अन्य	3398	42.51	14.11	0.32	330.76	42.51	14.11	0.32	1.69
	उप–योग: I-B	**5177**	**64.77**	**21.50**	**0.48**	**503.93**	**64.77**	**21.50**	**0.48**	**2.57**
	कुल कर राजस्व	**7993**	**100.00**	**33.19**	**0.75**	**778.04**	**100.00**	**33.19**	**0.75**	**3.97**
II	***कर भिन्न राजस्व***									
A	**अनिवार्य कर भिन्न राजस्व**									
1	बाजार कर	6841	42.51	28.40	0.64	665.90	42.51	28.40	0.64	3.40
2	पशुओं का पंजीयन	996	6.19	4.14	0.09	96.95	6.19	4.14	0.09	0.49
	उप–योग : II-A	**7837**	**48.70**	**32.54**	**0.73**	**762.85**	**48.70**	**32.54**	**0.73**	**3.89**
B	**ऐच्छिक कर भिन्न राजस्व**									
3	किराये से प्राप्तियां	976	6.07	4.05	0.09	95.00	6.07	4.05	0.09	0.48
4	लायसेंस शुल्क	214	1.33	0.89	0.02	20.83	1.33	0.89	0.02	0.10
5	कांजी हाउस दंड	395	2.45	1.64	0.04	38.45	2.45	1.64	0.04	0.20
6	ब्याज प्राप्तियां	1302	8.09	5.40	0.12	126.74	8.09	5.40	0.12	0.65
7	अन्य	5368	33.36	22.29	0.50	522.52	33.36	22.29	0.50	2.67
	उप–योग: II-B	**8255**	**51.30**	**34.27**	**0.77**	**803.54**	**51.30**	**34.27**	**0.77**	**4.10**

नोट – पूर्णांक लिये जाने के कारण प्रतिशतों का योग 100 से कुछ कम या अधिक हो सकता है।

परिशिष्ट – 7.5
सेम्पल ग्राम पंचायत की कुल प्राप्तियों में मुख्य घटकों का अशंदान
वार्षिक औसत 2006–07 से 2010–11

क्र.	जिला	आंतरिक संसाधनों से प्राप्तियां (रू.में)			कुल सौंपा गया राजस्व, राज्य, केन्द्र सहायता अनुदान (रू.में)	कुल प्राप्तियां (लाख रू.में)
		कर	कर भिन्न	कुल		
1	2	3	4	5	6	7
1	बालोद	23815	50254	74069	1015931	10.90
2	बलौदाबाजार	4923	16275	21198	920802	9.42
3	बलरामपुर	3755	3849	7604	609396	6.17
4	बस्तर	8753	10042	18795	861205	8.80
5	बेमेतरा	6266	5492	11758	768242	7.80
6	बीजापुर	-	217	217	865783	8.66
7	बिलासपुर	9925	5383	15308	1072692	10.88
8	दंतेवाड़ा	-	-	-	1221000	12.21
9	धमतरी	10858	9849	20707	1397293	14.18
10	दुर्ग	4726	15548	20274	1223726	12.44
11	गरियाबंद	10828	10659	21487	961513	9.83
12	जांजगीर–चांपा	14216	29768	43984	1240016	12.84
13	जशपुर	3132	3667	6799	690201	6.97
14	कांकेर	12727	8877	21604	2008396	20.30
15	कबीरधाम	1531	12633	14164	916836	9.31
16	कोंडागांव	246	5868	6114	1899886	19.06
17	कोरबा	371	14636	15007	823993	8.39
18	कोरिया	3519	2256	5775	968225	9.74
19	महासमुन्द	5496	10361	15857	822143	8.38
20	मुंगेली	8677	3796	12473	1349527	13.62
21	नारायणपुर	-	1371	1371	1655629	16.57
22	रायगढ़	3039	10561	13600	1101400	11.15
23	रायपुर	44989	85405	130394	1040606	11.71
24	राजनांदगांव	3827	26893	30720	730280	7.61
25	सरगुजा	429	615	1044	889956	8.91
26	सुकमा	-	-	-	1169000	11.69
27	सूरजपुर	2085	13828	15913	1044087	10.60
	कुल औसत	**7993**	**16092**	**24085**	**1044915**	**10.69**
	प्रतिशत	**0.75**	**1.50**	**2.25**	**97.75**	**100.00**

परिशिष्ट – 7.6

राज्य की 9734 पंचायतों की कुल प्राप्तियों के घटकः प्रक्षेपित आधार पर

(राशि करोड़ रुपये में

क्र.	जिला	ग्राम पंचायतों की संख्या	आंतरिक संसाधनों से प्राप्तियां						सौंपा गया राजस्व + सहायता अनुदान		कुल प्राप्तिय	
			कर	प्रतिशत	भिन्न कर	प्रतिशत	कुल	प्रतिशत	कुल	प्रतिशत	राशि	प्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	बालोद	393	0.94	2.19	1.98	4.62	2.92	6.81	39.93	93.19	42.85	
2	बलौदाबाजार	499	0.25	0.53	0.81	1.72	1.06	2.25	45.95	97.75	47.01	
3	बलरामपुर	340	0.13	0.62	0.13	0.62	0.26	1.24	20.72	98.76	20.98	
4	बस्तर	317	0.28	1.00	0.32	1.15	0.60	2.15	27.30	97.85	27.90	
5	बेमेतरा	334	0.21	0.81	0.18	0.69	0.39	1.50	25.66	98.50	26.05	
6	बीजापुर	157	-	-	t	-	-	-	13.59	100.00	13.59	
7	बिलासपुर	557	0.55	0.91	0.30	0.49	0.85	1.40	59.75	98.60	60.60	
8	दंतेवाड़ा	114	-	-	-	-	-	-	13.92	100.00	13.92	
9	धमतरी	333	0.36	0.76	0.33	0.70	0.69	1.46	46.53	98.54	47.22	
10	दुर्ग	267	0.13	0.39	0.42	1.26	0.55	1.65	32.67	98.35	33.22	
11	गरियाबंद	308	0.33	1.09	0.33	1.09	0.66	2.18	29.61	97.82	30.27	
12	जांजगीर–चांपा	576	0.82	1.11	1.72	2.32	2.54	3.43	71.42	96.57	73.96	
13	जशपुर	411	0.13	0.45	0.15	0.52	0.28	0.97	28.37	99.03	28.65	
14	कांकेर	386	0.49	0.62	0.34	0.43	0.83	1.05	77.52	98.95	78.35	
15	कबीरधाम	367	0.06	0.17	0.46	1.35	0.52	1.52	33.65	98.48	34.17	
16	कोंडागांव	263	0.01	0.02	0.15	0.30	0.16	0.32	49.97	99.68	50.13	
17	कोरबा	352	0.01	0.03	0.52	1.76	0.53	1.79	29.00	98.21	29.53	
18	कोरिया	236	0.08	0.35	0.05	0.22	0.13	0.57	22.85	99.43	22.98	
19	महासमुन्द	491	0.27	0.66	0.51	1.24	0.78	1.90	40.37	98.10	41.15	
20	मुंगेली	301	0.26	0.63	0.11	0.27	0.37	0.90	40.62	99.10	40.99	
21	नारायणपुर	69	-	-	0.01	0.09	0.01	0.09	11.42	99.91	11.43	
22	रायगढ़	702	0.21	0.27	0.74	0.94	0.95	1.21	77.32	98.79	78.27	
23	रायपुर	390	1.76	3.85	3.33	7.29	5.09	11.14	40.58	88.86	45.67	
24	राजनांदगांव	692	0.27	0.51	1.86	3.53	2.13	4.04	5054	95.96	52.67	
25	सरगुजा	355	0.02	0.06	0.02	0.06	0.04	0.12	31.59	99.88	31.63	
26	सुकमा	132	-	-	-	-	-	-	15.43	100.00	15.43	
27	सूरजपुर	392	0.08	0.19	0.54	1.30	0.62	1.49	40.93	98.51	41.55	
	कुल औसत	**9734**	**7.78**	**0.75***	**15.66**	**1.50***	**23.44**	**2.25***	**1017.12**	**97.75**	**1040.56**	

सभी जिलों का औसत

ट : पूर्णांक लिये जाने के कारण प्रतिशतों का योग 100 से कुछ कम या अधिक हो सकता है।

परिशिष्ट – 7.7

सेम्पल जनपद पंचायतों की आंतरिक संसाधनों से प्राप्तियां : वार्षिक औसत वर्ष 2006–07 से 2010–

(राजस

क्र.	जिला	सेम्पल जनपद पंचायतों की संख्या	जनसंख्या		प्रति सेम्पल वार्षिक औसत सिनेमा कर	प्रति चयनित वार्षिक औसत भिन्न कर राजस्व						
			जिले के जनपद पंचायत	सेम्पल जनपद पंचायत		लायसेंस शुल्क	जनपद पंचायत की संपत्ति से आय	नौका किराया	बजार फीस	मेले से आय	अन्य आय	कुल भि कर राजस
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	बालोद	4	144139	576556	-	-	0.22	-	-	-	0.52	0.
2.	बलौदाबाजार	6	189788	1138728	0.21	-	0.01	1.25	-	0.18	0.25	1.
3.	बस्तर	5	99705	498525	0.06	-	0.18	t	0.03	-	0.04	0.
4.	बेमेतरा	1	180269	180269	-	-	1.16	0.15	-	-	0.27	1.
5.	बीजापुर	2	56398	112796	0.02	-	1.27	0.30	-	0.01	0.05	1.
6.	दंतेवाड़ा	1	53708	53708	1.40	-	-	-	-	-	0.24	0.
7.	धमतरी	3	162511	487533	0.01	-	-	0.61	0.53	-	4.05	5.
8.	दुर्ग	2	205728	411456	-	-	-	0.17	-	0.07	0.23	0.
9.	जांजगीर–चांपा	2	155048	310096	-	-	-	1.62	-	18.41	0.04	20.
10.	जशपुर	3	97002	291006	-	-	-	-	-	0.11	0.07	0.
11.	कांकेर	5	95976	479880	-	-	0.15	0.02	-	0.14	-	0.
12.	कबीरधाम	2	183724	367448	-	-	4.37	-	-	0.03	-	4.
13.	कोंडागांव	4	104076	416304	0.08	0.04	0.08	-	0.01	0.13	1.00	1.
14.	कोरबा	1	152072	152072	-	-	-	-	-	-	2.60	2.
15.	कोरिया	5	90695	453475	-	-	-	-	0.52	0.04	0.18	0.
16.	महासमुन्द	1	182433	182433	-	-	-	0.17	-	0.05	-	0.

म्पल जनपद पंचायत की कुल ग्रामीण जनसंख्या

- बलरामपुर, बिलासपुर, गरियाबंद, नायणयपुर, सुकमा, जनपद पंचातों द्वारा जानकारी नहीं देने के कारण इन्हें सम्मिलित नहीं किया गया हैं।

परिशिष्ट – 7.8
राज्य की सभी ग्राम पंचायतों की अनिवार्य करों से प्राप्तियों का प्रक्षेपण

संपत्ति कर		निजी शौचालयों पर कर		प्रकाश कर		वृत्ति कर		बाजार फीस		पशुओं की बिकी पर पंजीयन शुल्क	
A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
831	6296	34	2762	358	5446	342	3403	843	31045	656	9911
9734	61289383	9734	26881682	9734	53013503	9734	33124470	9734	302191530	9734	96473892
15.1		0.6		6.5		6.2		15.3		11.9	
1473		60		635		606		1494		1163	

2 पंचायतों में से ऐसी ग्राम पंचायतों की संख्या जिन्होने वह कर लगाया।

प्राप्ति

परिशिष्ट – 8.1

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कियान्वित केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान : 2008–09 से 2010–11

(राजस्व लाख रू. में)

महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी				सम्पूर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना				इंदिरा आवास योजना			
केन्द्र	राज्य	कुल उपलब्ध राशि*	व्यय	केन्द्र	राज्य	कुल उपलब्ध राशि*	व्यय	केन्द्र	राज्य	कुल उपलब्ध राशि*	
2	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	
163217	18269	197352	143442	5304	1803	7545	6919	7640	2457	13187	
81489	9140	161734	130374	6314	2111	8935	7977	20806	7932	32277	
168505	18368	223309	163398	6012	2115	9101	8560	13200	3986	21974	
413211	**45777**	**582395**	**437214**	**17630**	**6029**	**25581**	**23456**	**41646**	**14375**	**67438**	
137737	***15259***	***194131.67***	***145738***	***5876.67***	***2009.67***	***8527***	***7818.67***	***13882***	***4791.67***	***22479.33***	

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना				राष्ट्रीय समनिवास योजना/पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोश				योग		
केन्द्र	राज्य	कुल उपलब्ध राशि*	व्यय	केन्द्र	राज्य	कुल उपलब्ध राशि*	व्यय	केन्द्र	राज्य	कुल उपलब्ध राशि*
93112	-	93112	86326	19245	-	19245	19245	288518	22529	330441
51012	-	51012	80455	20760	-	20760	20760	180381	19183	274718
67858	-	67858	30467	26336	-	26336	26336	281911	24469	348578
211982		**211982**	**197248**	**66341**	**-**	**66341**	**66341**	**750810**	**66181**	**653737**
70660.67	**-**	**70660.67**	**65749.33**	**22113.67**	**-**	**22113.67**	**22113.67**	**250270**	**22060.33**	**217912.33**

के प्रारंभ में भोश राशि (प्रारंभिक शेष) सम्मिलित करते हुए

परिशिष्ट – 9.1
सेम्पल ग्राम पंचायतों के व्यय के घटक– वार्षिक औसत 2006–07 से 2010–11

स्थापना एवं प्रशासन		नागरिक सुविधायें		अस्तियों का रख–रखाव		राज्य प्रायोजित योजनायें		केन्द्र प्रायोजित योजनायें		कल्याणकारी कार्य		अन्य	
राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0.16	2.72	1.09	18.54	0.3	5.1	0.12	2.04	2.39	40.65	1.19	20.24	0.63	10.71
0.11	2.39	0.8	17.39	0.59	12.83	0.67	14.57	1.08	23.48	0.93	20.22	0.42	9.13
1.42	21.07	0.93	13.8	1.02	15.13	1.08	16.02	1.86	27.6	0.4	5.93	0.03	0.45
0.06	1.39	0.99	22.97	0.82	19.03	1.02	23.67	0.93	21.58	0.32	7.42	0.17	3.94
0.58	14.25	1.09	26.78	0.29	7.13	0.23	5.65	0.78	19.16	0.67	16.46	0.43	10.57
0.2	7.94	1.7	67.46	0.07	2.78	-	-	0.55	21.83	-	-	-	-
0.14	2.66	1	18.98	0.16	3.04	1.08	20.49	0.87	16.51	0.47	8.92	1.55	29.41
0.13	6.37	0.18	8.82	0.37	18.14	-	-	0.31	15.2	0.42	20.59	0.63	30.88
0.19	0.66	24.7	85.59	0.15	0.52	0.37	1.28	2.38	8.25	0.92	3.19	0.15	0.52
0.09	1.48	1.51	24.79	0.57	9.36	0.87	14.29	1.02	16.75	1.87	30.71	0.16	2.63
0.97	13.42	0.89	12.31	0.46	6.36	0.96	13.28	2.03	28.08	1.33	18.4	0.59	8.16
0.16	2.25	2.53	35.53	0.59	8.29	0.76	10.67	1.3	18.26	1.33	18.68	0.45	6.32
0.31	10.06	0.64	20.78	0.26	8.44	0.15	4.87	1.19	38.64	0.26	8.44	0.27	8.77
0.11	0.92	0.86	7.18	0.53	4.43	1.25	10.44	2.57	21.47	6.5	54.3	0.15	1.25
0.08	1.53	0.82	15.65	0.75	14.31	1.15	21.95	1.18	22.52	0.49	9.35	0.77	14.69
1.39	13.14	0.78	7.37	1.66	15.69	4.8	45.37	1.5	14.18	0.29	2.74	0.16	1.51
0.53	2.35	0.53	2.35	0.29	1.29	0.08	0.36	0.76	3.37	0.55	2.44	19.78	87.83
0.21	5.9	0.35	9.83	0.15	4.21	1.07	30.06	1.68	47.19	0.07	1.97	0.03	0.84
0.05	0.98	0.89	17.38	0.49	9.57	1.31	25.59	0.7	13.67	1.43	27.93	0.25	4.88
0.07	3.4	0.72	34.95	0.11	5.34	0.2	9.71	0.7	33.98	0.05	2.43	0.21	10.19
-	-	2.08	62.65	0.7	21.08	0.03	0.9	-	-	0.46	13.86	0.05	1.51
0.06	1.37	1.13	25.86	0.54	12.36	0.18	4.12	1.07	24.49	0.8	18.31	0.59	13.5
0.97	13.62	1.9	26.69	0.37	5.2	0.61	8.57	1.55	21.77	1.03	14.47	0.69	9.69
0.32	8	0.82	20.5	0.25	6.25	0.2	5	1.17	29.25	0.63	15.75	0.61	15.25
0.02	2.35	0.27	31.76	0.34	40	0.06	7.06	0.14	16.47	-	-	0.02	2.35
0.46	8.32	0.33	5.97	0.22	3.98	-	-	3.11	56.24	0.05	0.9	1.36	24.59
0.29	4.88	1.34	22.56	0.71	11.95	1.64	27.61	1.44	24.24	0.31	5.22	0.21	3.54
0.32	**4.65**	**2**	**29.07**	**0.47**	**6.83**	**0.74**	**10.76**	**1.28**	**18.6**	**0.93**	**13.52**	**1.14**	**16.57**

परिशिष्ट – 9.2

सेम्पल ग्राम पंचायतों द्वारा मूलभूत नागरिक सुविधाओं पर किये गये व्यय के घटक : वार्षिक औसत वर्ष 2006–07 से 2010–11

(लाख रूपये में)

क.	जिला	जल प्रदाय			मार्गों पर प्रका ा व्यवस्था			स्वच्छता एवं नालियां			कचरा उठाव			सड़क			नागरिक सुविधाओं पर कुल व्यय		
		मरम्मत	पूंजी	कुल	मरम्मत	पूंजी	कुल	मरम्मत	पूंजी	कुल	मरम्मत	पूंजी	कुल	मरम्मत	पूंजी	कुल	मरम्मत	पूंजी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	बालोद	0.16	0.14	0.30	0.21	0.12	0.33	-	0.06	0.06	-	0.06	0.06	-	0.34	0.34	0.37	0.72	1.09
2	बलौदाबाजार	0.02	0.27	0.29	0.06	0.06	0.12	0.12	0.01	0.13	-	0.01	0.01	-	0.25	0.25	0.20	0.60	0.80
3	बलरामपुर	0.36	0.16	0.52	0.02	-	0.02	0.22	0.04	0.26	0.04	-	0.04	-	0.09	0.09	0.64	0.29	0.93
4	बस्तर	0.16	0.06	0.22	0.01	-	0.01	0.32	-	0.32	-	-	-	-	0.44	0.44	0.49	0.50	0.99
5	बेमेतरा	0.17	0.11	0.28	0.08	0.04	0.12	0.16	0.04	0.20	0.34	0.03	0.37	-	0.12	0.12	0.75	0.34	1.09
6	बीजापुर	-	0.70	0.70	-	0.28	0.28	-	-	-	-	-	-	-	0.72	0.72	0.00	1.70	1.70
7	बिलासपुर	0.03	0.05	0.08	0.04	0.01	0.05	0.09	0.07	0.16	0.02	0.03	0.05	-	0.66	0.66	0.18	0.82	1.00
8	दंतेवाड़ा	0.03	0.08	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.07	0.03	0.15	0.18
9	धमतरी	0.32	22.94	23.26	0.23	0.14	0.37	0.14	0.23	0.37	-	0.01	0.01	-	0.69	0.69	0.69	24.01	24.70
10	दुर्ग	0.38	0.07	0.45	0.14	0.01	0.15	0.64	0.03	0.67	0.06	-	0.06	-	0.18	0.18	1.22	0.29	1.51
11	गरियाबंद	0.12	0.10	0.22	0.13	.02	0.15	0.13	0.02	0.15	0.01	0.25	0.26	-	0.11	0.11	0.39	0.50	0.89
12	जांजगीर–चांपा	0.58	0.35	0.93	0.13	0.27	0.40	0.24	0.05	0.29	0.01	0.05	0.06	-	0.85	0.85	0.96	1.57	2.53
13	जशपुर	0.02	0.10	0.12	0.01	-	0.01	0.02	0.01	0.03	-	0.02	0.02	-	0.46	0.46	0.05	0.59	0.64
14	कांकेर	0.15	0.08	0.23	0.02	0.02	0.04	0.48	0.01	0.49	0.01	-	0.01	-	0.09	0.09	0.66	0.20	0.86
15	कबीरधाम	0.17	0.21	0.38	0.02	0.01	0.03	0.17	0.02	0.19	-	-	-	-	0.22	0.22	0.36	0.46	0.82
16	कोंडागांव	0.05	0.05	0.10	0.01	-	0.01	0.32	-	0.32	-	-	-	-	0.35	0.35	0.38	0.40	0.78
17	कोरबा	-	0.06	0.06	0.07	0.01	0.08	0.06	0.02	0.08	-	0.02	0.02	-	0.29	0.29	0.13	0.40	0.53
18	कोरिया	0.03	0.03	0.06	-	-	-	0.07	-	0.07	-	-	-	-	0.22	0.22	0.10	0.25	0.35
19	महासमुन्द	0.22	0.07	0.29	0.07	0.01	0.08	0.16	0.01	0.17	0.01	0.21	0.22	-	0.13	0.13	0.46	0.43	0.89
20	मुंगेली	0.14	0.02	0.16	0.01	0.02	0.03	0.06	0.01	0.07	-	0.05	0.05	-	0.41	0.41	0.21	0.51	0.72
21	नारायणपुर	-	0.24	0.24	0.50	0.24	0.74	-	0.36	0.36	-	0.23	0.23	-	0.51	0.51	0.50	1.58	2.08
22	रायगढ़	0.21	0.08	0.29	0.15	0.03	0.18	0.07	0.01	0.08	0.01	0.01	0.02	-	0.56	0.56	0.44	0.69	1.13
23	रायपुर	0.47	0.18	0.65	0.09	0.06	0.15	0.13	0.39	0.52	-	0.12	0.12	-	0.46	0.46	0.69	1.21	1.90
24	राजनांदगांव	0.16	0.14	0.30	0.05	0.05	0.10	0.09	0.04	0.13	0.01	0.04	0.05	-	0.24	0.24	0.31	0.51	0.82
25	सरगुजा	0.07	0.01	0.08	-	0.01	0.01	0.11	-	0.11	0.02	-	0.02	-	0.05	0.05	0.20	0.07	0.27
26	सुकमा	0.04	0.04	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.25	0.04	0.29	0.33
27	सूरजपुर	0.72	0.18	0.90	0.03	-	0.03	0.13	-	0.13	0.01	0.06	0.07	-	0.21	0.21	0.89	0.45	1.34
	योग	**0.23**	**0.91**	**1.14**	**0.07**	**0.08**	**0.15**	**0.15**	**0.15**	**0.30**	**0.02**	**0.04**	**0.06**	-	**0.35**	**0.35**	**0.47**	**1.53**	**2.00**
	कुल व्यय का प्रति ात	*48.9*	*59.6*	*57.0*	*14.9*	*5.2*	*7.5*	*31.9*	*9.8*	*15.0*	*4.3*	*2.6*	*3.0*	*0.0*	*22.9*	*17.5*	*100.0*	*100.0*	*100.0*

नोट – पूर्णांक लिये जाने के कारण प्रतिशतों का योग 100 से कुछ कम या अधिक हो सकता है।

परिशिष्ट – 9.3
सेम्पल ग्राम पंचायतों का कुल व्यय एवं प्रति व्यक्ति व्यय
वार्षिक औसत वर्ष 2006–07 से 2010–11

(लाख रूपये में)

क्र.	जिला	औसत जनसख्या प्रति पंचायत	राजस्व व्यय		पूंजी व्यय		कल्याणकारी व्यय		महायोग		कुल प्रति व्यक्ति व्यय (रू.में)			
			राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	कल्याण कारी व्यय	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	बालोद	1834	3.98	53.78	2.23	30.14	1.19	16.08	7.40	100.00	217	122	65	404
2	बलौदाबाजार	2282	2.24	46.00	1.70	34.91	0.93	19.10	4.87	100.00	98	74	41	213
3	बलरामपुर	2046	6.05	89.63	0.30	4.44	0.40	5.93	6.75	100.00	296	15	20	331
4	बस्तर	2202	3.50	80.83	0.51	11.78	0.32	7.39	4.33	100.00	159	23	15	197
5	बेमेतरा	2159	3.06	68.76	0.72	16.18	0.67	15.06	4.45	100.00	142	33	31	206
6	बीजापुर	1437	0.83	25.78	2.39	74.22	0.00	0.00	3.22	100.00	58	166	0	224
7	बिलासपुर	2418	4.25	73.28	1.08	18.62	0.47	8.10	5.80	100.00	176	45	19	240
8	दंतेवाड़ा	1884	1.47	71.36	0.17	8.25	0.42	20.39	2.06	100.00	78	9	22	109
9	धमतरी	1952	3.94	11.29	30.04	86.07	0.92	2.64	34.90	100.00	202	1539	47	1788
10	दुर्ग	2312	3.94	37.03	4.83	45.39	1.87	17.58	10.64	100.00	170	209	81	460
11	गरियाबंद	1808	5.38	66.34	1.40	17.26	1.33	16.40	8.11	100.00	298	77	74	449
12	जांजगीर–चांपा	2423	4.21	51.72	2.60	31.94	1.33	16.34	8.14	100.00	174	107	55	336
13	जशपुर	1888	2.23	69.25	0.73	22.67	0.26	8.07	3.22	100.00	118	39	14	171
14	कांकेर	1741	5.27	43.95	0.22	1.83	6.50	54.21	11.99	100.00	303	13	373	689
15	कबीरधाम	2002	4.29	78.14	0.71	12.93	0.49	8.93	5.49	100.00	214	35	24	273
16	कोंडागांव	1979	9.89	93.39	0.41	3.87	0.29	2.74	10.59	100.00	500	21	15	536
17	कोरबा	2160	21.58	94.48	0.71	3.11	0.55	2.41	22.84	100.00	999	33	25	105
18	कोरिया	1922	3.24	90.76	0.26	7.28	0.07	1.96	3.57	100.00	169	14	4	187
19	महासमुन्द	1858	3.26	54.42	1.30	21.70	1.43	23.87	5.99	100.00	175	70	77	322
20	मुंगेली	2113	1.57	66.53	0.74	31.36	0.05	2.12	2.36	100.00	74	35	2	111
21	नारायणपुर	1711	1.27	35.28	1.87	51.94	0.46	12.78	3.60	100.00	74	109	27	210
22	रायगढ़	1777	2.88	29.27	6.16	62.60	0.80	8.13	9.84	100.00	162	347	45	554
23	रायपुर	2267	2.82	56.06	1.18	23.46	1.03	20.48	5.03	100.00	124	52	45	221
24	राजनांदगांव	1828	2.84	61.34	1.16	25.05	0.63	13.61	4.63	100.00	155	63	34	252
25	सरगुजा	1981	0.78	92.86	0.06	7.14	0.00	0.00	0.84	100.00	39	3	0	42
26	सुकमा	1680	5.20	73.34	1.84	25.95	0.05	0.71	7.09	100.00	310	110	3	423
27	सूरजपुर	1830	5.17	90.54	0.23	4.03	0.31	5.43	5.71	100.00	283	13	17	313
	योग	2014	4.33	55.66	2.52	32.39	0.93	11.95	7.78	100.00	215	125	46	386

परिशिष्ट – 9.4
पंचायती राज संस्थाओं के कुल व्यय के संघटक
2008–09 से 2010–11

(रू. लाख में)

क.	व्यय की मदें	2008-09	2009-10	2010-11	योग	वर्षिक औसत	%
I.	स्वयं की आय	***2673***	***2673***	***2673***	***8019***	***2673***	***0.70***
II.	सौंपा गया राजस्व						
1.	मू राजस्व एवं मू उपकर	35950	15969	24737	76656	25552	6.65
2.	अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क	2150	2400	2112	6662	2221	0.58
3.	गौण खनिजों पर रायल्टी	3927	4055	4785	12767	4256	1.11
	उप–योग : ***II***	***42027***	***22424***	***31634***	***96085***	***32028***	***8.33***
III.	सहायता अनुदान						
A.	राज्य सरकार						
1.	पंचायत के साधारण अनुदान	3014	3296	5627	11937	3979	1.04
2.	राज्य प्रायोजित योजनाएं	10650	9301	11983	31934	10645	2.77
3.	रा.वि.आ. अंतरण	13000	13000	15000	41000	13667	3.56
4.	शासकीय विभाग अनुदान	11851	16445	24237	52533	17511	4.55
5.	केन्द्र क्षेत्रीय योजनाओं के लिये राज्यां ा	22529	19183	24469	66181	22060	5.74
	उप–योग : ***III-A***	***61044***	***61225***	***81316***	***203585***	***67862***	***17.66***
B.	केन्द्र सरकार						
1.	12वें / 13वे वित्त आयोग के अनुदान	123000	12300	8621	33221	11074	2.89
2.	केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं के अनुदान / अभिकर्ता कमी ान कार्य						
	a) MGNREGS	143442	130374	163398	437214	145738	37.93
	b) PMGSY	86326	80455	30467	197248	65749	17.10
	c) IAY	12668	28748	19632	61048	20349	5.29
	d) SGSY	6919	7977	8560	23456	7819	2.03
	e) RSVY / BRGF	20545	21646	51000	93191	31064	8.08
	उप–योग : ***III.B***	***282200***	***281500***	***281678***	***845378***	***281793****	***73.32***
	II एवं III का योग	***385271***	***365149***	***394628***	***1145048***	***381683***	***99.30***
	महायोग **Grand Total (I से III)**	**387944**	**367822**	**397301**	**1153067**	**384356**	**100.00**

* व्याज प्राप्ति एवं पिछला बकाया सम्मिलित है।

@ अंतरित राजस्व को पूर्ण व्यय मान लिया गया है।

नोट – पूर्णांक लिये जाने के कारण प्रतिशतों का योग 100 से कुछ कम या अधिक हो सकता है।

परिशिष्ट 9.5

पंचायती राज संस्थाओं की कुल प्राप्ति एंव व्यय : वार्षिक औसत वर्ष 2008–09 से 2010–11

(करोड़ रु. में)

क्र.	प्राप्ति/व्यय के मध्य	औसत वार्षिक प्राप्ति		औसत वार्षिक व्यय		बचत/घाटा (+ / -)
		राशि	%	राशि	%	राशि
I	आंतरिक स्त्रोंत	***26.73***	***0.73***	***26.73***	***0.7***	-
	कर	7.85	0.21	7.85	0.2	-
	गैर कर	18.88	0.52	18.88	0.5	-
II	राज्य सरकार से समनुदेशित राजस्व	***320.28***	***8.74***	***320.28***	***8.33***	-
III	अनुदान	***3319.17***	***90.53***	***3496.6***	***90.97***	***(-)177.38***
	राज्य सरकार	677.62	18.48	678.62	17.66	(-) 1.00
	केन्द्र सरकार	2641.55	72.05	2817.93	73.32	(-) 176.38
	कुल योग	**3666.18**	**100**	**3843.56**	**100**	**(-) 177.38**

परिशिष्ट – 11.1
स्थानीय नगरीय निकायो की जिलेवार संख्या

क.	जिला	नगर निगम	नगर पालिका	नगर पंचायत	नगरीय निकायो की संख्या	नगरीय जनसंख्या	कुल नगर / ाहर
1	**राज्य**	**10**	**32**	**127**	**169***	**14**	**182**
2	कोरिया	1	3	3	7	1	**8**
3	सरगुजा	1	0	5	6	2	**8**
4	जशपुर	0	1	4	5*	0	**5**
5	रायगढ़	1	1	8	**10**	0	**10**
6	कोरबा	1	1	3	5	2	**7**
7	जांजगीर–चांपा	0	4	11	**15**	0	**15**
8	बिलासपुर	1	0	12	**13**	4	**17**
9	कबीरधाम	0	1	5	6	0	**6**
10	राजनांदगांव	1	2	5	8	0	**8**
11	दुर्ग	2	4	9	**15**	0	**15**
12	रायपुर	1	3	9	**13**	4	**17**
13	महासमुन्द	0	1	5	6	0	**6**
14	धमतरी	0	1	5	6	0	**6**
15	उत्तर बस्तर कांकेर	0	1	5	6	0	**6**
16	बस्तर	1	0	2	3	0	**3**
17	नारायणपुर	0	0	1	1	0	**1**
18	दक्षिण बस्तर दंतेवाडा	0	2	4	6	0	**6**
19	बीजापुर	0	0	3	3	0	**3**
20	बालोद	0	1	4	5	0	**5**
21	बलौदाबाजार	0	2	4	6	0	**6**
22	बलरामपुर	0	0	5	5	0	**5**
23	बेमेतरा	0	1	4	5	0	**5**
24	गरियाबंद	0	0	3	3	0	**3**
25	कोंडागांव	0	1	2	3	0	**3**
26	मुंगेली	0	1	2	3	0	**3**
27	सुकमा	0	0	2	2	0	**2**
28	सुरजपुर	0	1	2	3	0	**3**

*जशपुर जिले में कुनकुरी को सम्मिलित करते हुए जिसे सितम्बर 2012 में प्रोन्नत किया गया था।

परिशिष्ट – 12.1

12वीं अनुसूची में वर्णित कार्य जो नगर पालिक अधिनियम के अंतर्गत नगरीय निकायो को सौंपे गये

#	कार्य	आवश्यक	ऐच्छिक
1	a) नगरीय योजना		
	b) नगर योजना		
2	a) भूमि उपयोग का विनिमयन		√
	b) निर्माण कार्यों का विनिमयन.		√
3	a) आर्थिक विकास की योजना बनाना		√
	b) सामाजिक विकास की योजना बनाना		√
4	a) सड़के		√
	b) पुल		√
5	जलप्रदाय -		
	a) औद्योगिक,	√	
	b) वाणिज्यिक	√	
	c) घरेलू	√	
6	a) लोक स्वास्थ्य,	√	
	b) स्वच्छता,	√	
	c) शौचालयों की सफाई	√	
	d) कूड़ा करकट प्रबंध	√	
7	अग्नि शमन	√	
8	a) नगरीय वानिकी,		√
	b) पर्यावरण का संरक्षण		√
	c) पारिस्थिति की आयामों की अभिवृद्धि		√
9	हितों की रक्षा –		
	a) कमजोर वर्गो के,		√
	b) विकलांगों के,		√
	c) मानसिक रूप से पिछड़ो के,		√
10	गंदी बस्ती सुधार और प्रोन्नयन		√
11	नगरीय निर्धनता उन्मूलन		√
12	नगरीय जन सुविधायें –		
	a) पार्क		√
	b) उद्यान		√
	c) खेलकूद मैदान		√
13	Promotion of		
	a) शिक्षा	√	
	b) सांस्कृतिक और सौंदर्यपरक आयामों की अभिवृद्धि		√
14	a) शव गाड़ना और कब्रिस्तान	√	
	b) शवदाह और श्मशान	√	
	c) विद्युत शवदाह गृह	√	
15	a) कांजी हाउस	√	
	b) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण		√
16	a) जन्म–मरण सांख्यिकी		√
	b) जन्म–मृत्यु का पंजीयन	√	
17	a) सार्वजनिक सुविधाएं		√
	b) सड़कों पर प्रकाश	√	
	c) पार्किंग स्थल		√
	d) बस स्टाप		√
	e) जन सुविधाएं		√
18	विनिमयन		
	a) वधशालाओं	√	√
	b) धर्मशोधन शालाओं.		

परिशिष्ट – 12.2
12वीं अनुसूची में वर्णित नगरीय निकायो को सौंपे गये कार्यो के संबम्ध में कियान्वयन की स्थिति

#	कार्य	नगरीय निकायो की संख्या		
		पूर्णतः	आंशिक	कभी नही
1	a) नगरीय योजना	-	3	7
	b) नगर यौजना	-	5	5
2	a) भूमि उपयोग का विनिमयन	-	4	6
	b) निर्माण कार्यों का विनिमयन.	1	8	1
3	a) आर्थिक विकास की योजना बनाना	5	2	3
	b) सामाजिक विकास की योजना बनाना	5	3	2
4	a) सड़के	3	7	-
	b) पुल	3	4	3
5	जलप्रदाय -			
	a) औद्योगिक,	7	2	1
	b) वाणिज्यिक	8	2	-
	c) घरेलू	7	3	
6	a) लोक स्वास्थ्य,	6	4	-
	b) स्वच्छता,	8	2	-
	c) शौचालयों की सफाई	7	3	-
	d) कूड़ा करकट प्रबंध	9	1	-
7	अग्नि शमन	5	2	3
8	a) नगरीय वानिकी,	4	4	2
	b) पर्यावरण का संरक्षण	4	3	3
	c) पारिस्थिति की आयामों की अभिवृद्धि	4	2	4
9	हितों की रक्षा –			
	a) कमजोर वर्गों के,	7	2	1
	b) विकलांगों के,	7	2	1
	c) मानसिक रूप से पिछड़ो के,	7	2	1
10	गंदी बस्ती सुधार और प्रोन्नयन	10	-	-
11	नगरीय निर्धनता उन्मूलन	9	1	-
12	नगरीय जन सुविधायें –			
	a) पार्क	7	2	1
	b) उद्यान	7	2	1
	c) खेलकूद मैदान	7	2	1
13	Promotion of			
	a) शिक्षा	-	9	1
	b) सांस्कृतिक और सौंदर्यपरक आयामों की अभिवृद्धि	2	5	3
14	a) शव गाड़ना और कब्रिस्तान	8	2	-
	b) शवदाह और श्मशान	8	2	-
	c) विद्युत शवदाह गृह	4	2	4
15	a) कांजी हाउस	9	1	-
	b) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण	7	3	-
16	a) जन्म–मरण सांख्यिकी	6	4	-
	b) जन्म–मृत्यु का पंजीयन	10	-	-
17	a) सार्वजनिक सुविधाएं	6	4	-
	b) सड़कों पर प्रकाश	7	2	1
	c) पार्किंग स्थल	7	2	1
	d) बस स्टाप	7	2	1
	e) जन सुविधाएं	7	1	2
18	विनिमयन			
	a) वधशालाओं	8	-	2
	b) चर्मशोधन शालाओं.	8	-	2
	a) नगरीय योजना	5	-	2

स्त्रोत: सात नगरीय निकायों के भ्रमण से प्राप्त

परिशिष्ट – 13.1
सेवा प्रदाय स्तर मानक

जल प्रदाय	A	B	C	D
क्षेत्र	< = 25	<=50, >25	<=75, >50	>75
प्रति व्यक्ति	< = 35	<=70, >35	<=100, >70	>100
मापन	< = 25	<=50, >25	<=75, >50	<75
गैर–कर जल	> =50	<50, >=30	<30, >=20	<20
निरंतरता	<=5	<=10, >5	<=20, >10	>20
गुणवत्ता एवं शुद्धीकरण	<=40	<=80, >40	<100, >80	100
उपभोक्ता शिकायतो का निवारण	<=25	<=50, >25	<=80, >50	>80
लागत की वसूली	<=25	<=50, >25	<=75, >50	>75
कर की वसूली में दक्षता	<=30	<=60, >30	<=90, >60	>90
मल निकासी				
शौचालयों की उपलब्धता	<=35	<=70, >35	<=90, >70	>90
सीवरेज का विस्तार	0	<=40, >0	<=70, >40	>70
सफाई क्षमता	0	<=40, >0	<=70, >40	>70
पर्याप्तता	0	<=40, >0	<=70, >40	>70
पुर्नउपयोग / रीसायकल	0	<=10, >0	<=20, >10	>20
गुणवत्ता एवं शुद्धीकरण	<=40	<=80, 40	<100,>80	100
उपभोक्ता शिकायतो का निवारण	<=25	<=50, >25	<=80, >50	>80
लागत की वसूली	0	<=30, >0	<=60, >30	>60
शुल्क की वसूली में दक्षता	0	<=30, >0	<=60, >30	>60
SOLID WASTE MANAGEMENT				
सुविधा कितने परिवारों को उपलब्ध है।	0	<=30, >0	<=60, >30	>60
Efficiency in collection of MWS	<=50	<=70, >50	<=90, >70	>90
पृथक्करण	0	<=25, >0	<=50, >25	>50
Recovered	0	<=25, >0	<=50, >25	>50
निराकरण	0	<=25, >0	<=50, >25	>50
लागत की वसूली	0	<=30, >0	<=60, >30	>60
दरों की वसूली में दक्षता	0	<=30, >0	<=60, >30	>60
उपभोक्ता शिकायतो का निवारण	<=25	<=50, >25	<=80, >50	>80
ठोस अपशिष्ट विस्तार				
विस्तार	<=25	<=50, >25	<=75, >50	>75
मार (incidence)	>=100	>=50, <100	>=25, <50	<25

परिशिष्ट 13.2

कार्य दक्षता के आधार पर नगरीय निकायों की संख्या

	क			ख			ग			घ	
जल आपूर्ति	नगर निगम	नगर परिषद्	कुल	नगर निगम	नगर परिषद्	कुल	नगर निगम	नगर परिषद्	कुल	नगर निगम	नगर प
विस्तार क्षेत्र	0	0	0	2	4	6	5	13	18	3	1
प्रति व्यक्ति	2	4	6	4	12	16	4	12	16	0	4
मापन	0	0	0	0	0	0	1	0	1	9	3
एन.आर.डब्लू	1	3	4	1	4	5	3	6	9	5	1
निरंतरता	0	0	0	0	0	0	0	2	2	10	3
गुणवत्ता एवं शुद्धिकरण	4	13	17	5	11	16	1	4	5	0	4
लागत वसूली	5	3	8	2	7	9	3	14	17	0	8
वसूली दक्षता	0	5	5	5	13	18	3	10	13	2	4
सिवरेज											
शौचालयों की उपलब्धता	1	0	1	9	19	28	0	13	13	0	0
सीवरेज का विस्तार	0	0	0	0	0	0	5	2	7	5	3
अपशिष्ट जल की संग्रहण दक्षता	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	3
पर्याप्तता	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	3
पुनर्उपयोग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	3
गुणवत्ता	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	3
लागत वसूली	0	0	0	0	0	0	1	0	1	9	3
वसूली दक्षता	0	0	0	1	0	1	0	0	0	9	3
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन											
परिवारों को उपलब्धता	1	0	1	3	6	9	6	13	19	0	1
एम.डब्लू.एस. की संग्रहण दक्षता	3	13	16	7	14	21	0	5	5	0	0
पृथक्करण	0	0	0	0	0	0	2	3	5	8	2
पुनः प्राप्त	0	0	0	0	0	0	2	3	5	8	2
वैज्ञानिक निराकरण	0	0	0	0	0	0	2	3	5	8	2
लागत वसूली	2	3	5	0	12	12	8	17	25	0	0
वसूली दक्षता	2	12	14	6	16	22	2	4	6	0	0
बरसाती पानी की निकासी											
विस्तार	0	0	0	2	2	4	2	15	17	6	1

परिशिष्ट 13.3

नगरीय निकायों में अधेसंरचना निर्माण एवं परिचालन में प्रति व्यक्ति निवेश राशि

दक्षता के आधार पर		1B	1C	II	III	IV
जल आपूर्ति	पूंजीगत	4395	5924	4957	5901	5901
	परि. एवं अनु.	613	491	491	368	245
सीवरेज	पूंजीगत	3841	3411	5316	5649	6648
	परि. एवं अनु.	373	290	290	207	145
ड्रेनेज	पूंजीगत	4140	5175	2100	2800	2800
	परि. एवं अनु.	62	78	32	42	42
सड़क	पूंजीगत	23460	29325	16800	22400	22400
	परि. एवं अनु.	421	527	276	368	368
स्ट्रीट लाइट	पूंजीगत	1606	1258	207	107	107
	परि. एवं अनु.	55	54	4	3	3
ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन	पूंजीगत	393	410	236	204	204
	परि. एवं अनु.	189	135	113	113	113

स्त्रोत : एस.पी.ई.सी. रिपोर्ट

परिशिष्ट 14.1

नगरीय निकायों के ऋणों की स्थिति

(लाख रू. में)

क्र.	स्थानीय निकायों के नाम	ऋण की राशि	मूलधन की वापसी	ब्याज भुगतान	भुगतान की गई कुल राशि	बकाया मूलधन	बकाया ब्याज	कुल बकाया राशि
1	अंबिकापुर	133.49	111.24	47.47	158.71	22.25	1.08	23.33
2	भिलाई	94.2	78.5	42.81	121.31	15.7	0.98	16.68
3	भिलाई चरोदा	581.18	484.32	206.68	691	96.86	4.72	101.58
4	बिलासपुर	10326.2	542.65	570.97	1113.61	9783.53	3404.02	13187.6
5	डोंगरगांव	75	64.58	23.71	88.29	12.5	0.54	13.04
6	दूर्ग	482.77	402.31	171.69	573.99	80.46	3.92	84.38
7	गोबरा नवापारा	27.93	23.28	9.93	33.21	4.65	0.23	4.88
8	गोरैला	58.12	48.43	18.37	66.81	9.69	0.42	10.11
9	जगदलपुर	240.82	203.87	91.82	295.69	36.95	1.8	38.75
10	कांकेर	30	25	10.67	35.67	5	0.24	5.24
11	कवर्धा	530.74	192.69	88.53	281.22	338.05	78.23	416.28
12	खरसियां	138	115	63.79	178.79	23	1.65	24.65
13	कोरबा	71.24	59.37	32.37	91.74	11.87	0.74	12.61
14	रायगढ़	122.7	102.2	55.7	157.97	20.4	1.3	21.72
15	रायपुर	5487.37	4626.64	2065.81	6692.45	860.73	42.19	902.92
16	राजनांदगांव	601.67	501.39	216.08	717.48	100.28	4.94	105.22
17	तखतपुर	38.12	31.77	13.56	45.32	6.35	0.31	6.66
	कुल	**19039.5**	**7613.26**	**3730**	**11343.26**	**11428.32**	**3547.3**	**14975.6**

स्त्रोत : संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

परिशिष्ट 15.1
नगरीय निकायों में चरणबद्ध निवेश की आवश्यकता

(करोड़ रु. में)

	वर्ष	पुंजीगत व्यय स्थिर मूल्यों पर 2010–11					परिचालन एवं अनुरक्षण	
		अनुमानित आवश्यकता						
		नगरीय निकायों के समंकों पर आधारित		वृद्धि दर के साथ		8 प्रतिशत स्फीति के साथ	8.8 प्रतिशत वृद्धि दर	8 प्रतिशत स्फीति के साथ
	2011-12		451.56	11 प्रतिशत	451.56			
12 वीं पंचवर्षीय योजना								
1	2012-13	11 प्रतिशत	501.23	15 प्रतिशत	519.29	560.84	310.00	334.80
2	2013-14		556.37		597.19	644.96	337.28	364.26
3	2014-15		617.57		686.76	741.71	366.96	396.32
4	2015-16		685.50		789.78	852.96	399.25	431.19
5	2016-17		760.90		908.25	980.91	434.39	469.14
	Sub - Total		3121.57		3501.27	3781.37	1847.88	1995.71
13 वीं पंचवर्षीय योजना								
6	2017-18			12 प्रतिशत	1017.24	1098.62	472.61	510.42
7	2018-19				1139.30	1230.45	514.20	555.34
8	2019-20				1276.02	1378.10	559.45	604.21
9	2020-21				1429.14	1543.48	608.69	657.38
10	2021-22				1600.64	1728.69	662.25	715.23
	Sub - Total				6462.35	6979.33	2817.21	3042.58
14 वीं पंचवर्षीय योजना								
11	2022-23			8 प्रतिशत	1728.69	1866.99	720.53	778.17
12	2023-24				1866.99	2016.35	783.93	846.65
13	2024-25				2016.35	2177.65	852.92	921.15
14	2025-26				2177.65	2351.87	927.98	1002.22
15	2026-27				2351.87	2540.02	1009.64	1090.41
	Sub - Total				10141.55	10952.87	4295.00	4638.60
15 वीं पंचवर्षीय योजना								
16	2027-28			8 प्रतिशत	2540.016	2743.22	1098.49	1186.37
17	2028-29				2743.217	2962.67	1195.15	1290.77
18	2029-30				2962.675	3199.69	1300.33	1404.35
19	2030-30				3199.689	3455.66	1414.76	1527.94
20	2031-32				3455.664	3732.12	1539.26	1662.40
	योग				14901.26	16093.36	6547.98	7071.82
	कुल योग				**35006.43**	**37806.94**	**15508.07**	**16748.71**

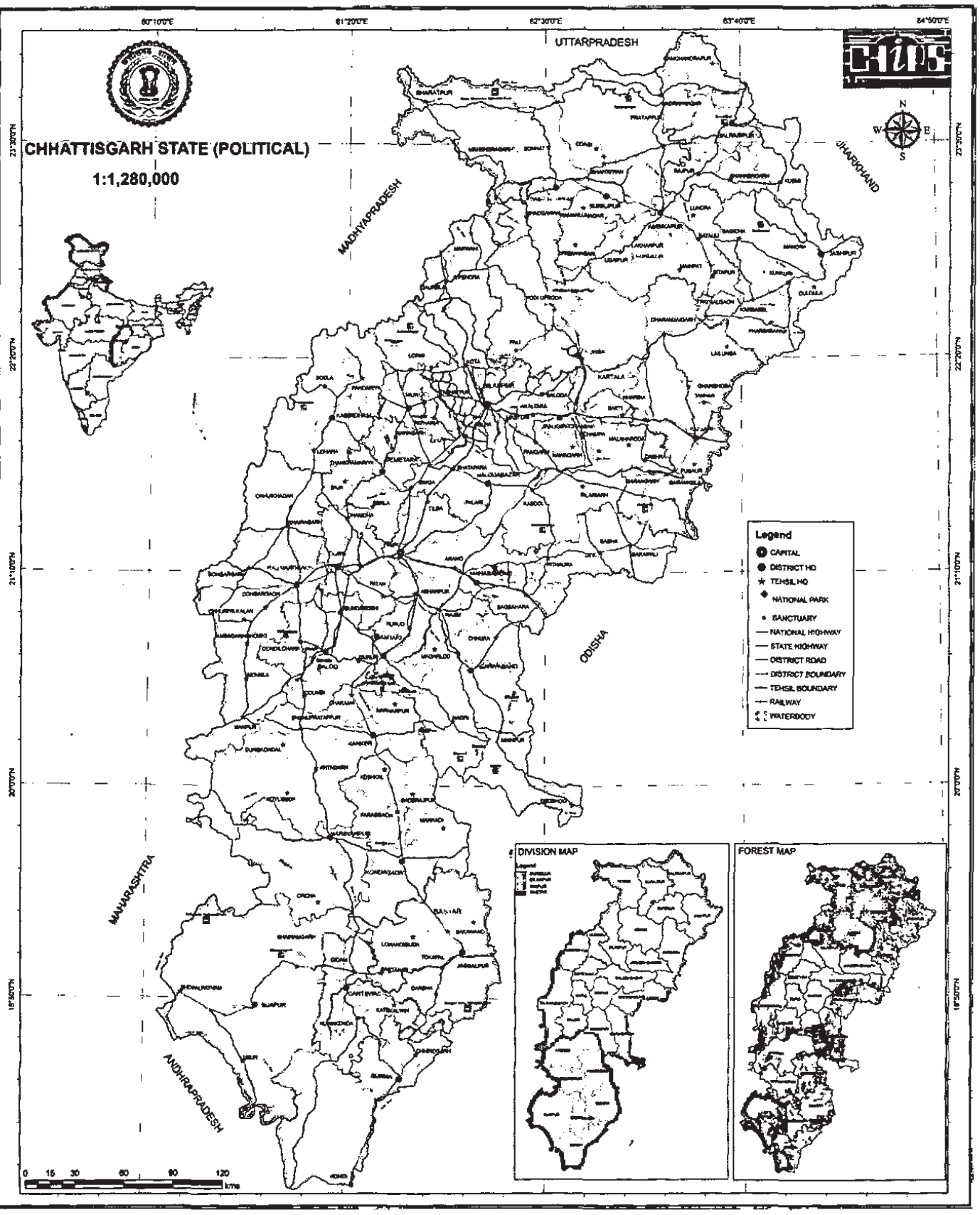
CHHATTISGARH STATE (POLITICAL)
1:1,280,000
UTTARPRADESH
MADHYAPRADESH
JHARKHAND
ODISHA
MAHARASHTRA
ANDHRAPRADESH
Legend
CAPITAL
DISTRICT HQ
TEHSIL HQ
NATIONAL PARK
SANCTUARY
NATIONAL HIGHWAY
STATE HIGHWAY
DISTRICT ROAD
DISTRICT BOUNDARY
TEHSIL BOUNDARY
RAILWAY
WATERBODY
DIVISION MAP
FOREST MAP
0 15 30 60 90 120
KMS